खण्ड 8, अंक 6
शनिवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1925
(05 अप्रैल, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2003)

(खण्ड 8 में 6 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

मूल्य :

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
उत्तरांचल राज्य की विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा की माँग ...	1
प्रश्नोत्तर	2–62
उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2002 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	62–63
जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा, सौराखाल, मयालीरणधार मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
शासन द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत मानदेय पर रखे गये शिक्षा आचार्यों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
उत्तरांचल के लोकायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64–65
जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	65
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट विकास खण्ड के स्थान दडमाड–कोटयूडा के किनारे गंगास नदी पर स्थित झूला पुल टूटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	65
जनपद हरिद्वार के मीनगौड़ा क्षेत्र पिंजरापोल के स्थान पर गौशाला के लिए सुरक्षित भूमि पर भू–माफियों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	65–66
उत्तरांचल में भ्रूण जाँच के लिए अल्ट्रासाउण्ड का प्रयोग गैरकानूनी ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद पिथौरागढ़ के लेक चौसाला में पेयजल की कोई योजना न होने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के क्षेत्र अमृतपुर–अभिया सड़क मार्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	66–67
उत्तरांचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 29 जून, 1991 के बाद सभी दैनिक वेतनभोगी अनुदेशकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
देहरादून के कांवली रोड स्थित आवासीय योजना की टूटी सड़कों को बनाने एवं उजड़े पार्कों को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67–68

विषय	पृष्ठ-संख्या
देहरादून में नेहरूपुरम् आवासीय योजना कावली रोड में विभाग द्वारा गलत बनायी गयी नालियों एवं सीवर लाइनों को मेन लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक के बेगुल नदी के कटान से हजारों एकड़ जमीन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
देहरादून की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित दूध की डेयरियों से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
औचित्य का प्रश्न	69-70
उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	70
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली-बूढ़ाकेदार-किनकखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	70
जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ की ग्राम पंचायत तोलमा एवं मालागाँव में भैंवरपानी नामक तोक में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) ...	71
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर हिंवल नदी में छोटे-छोटे बाँध बनाकर सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) ...	71
जनपद पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया-किमसार रोड के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) ...	71
जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गौचर-सिदौली मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से खरसाई-माठा ग्वाड़ मोटर मार्ग जो क्षतिग्रस्त हो गया है, के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	71
हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में एक महिला साइन्स डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	71
विधान सभा की सर्वदलीय जाँच समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने की सूचना	72
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	72
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	72-78
काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 56 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास ...	78-79
उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	79-97

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की सूचना ...	97–98
अमेरिका, ईराक युद्ध में ईराक की युद्धपीड़ित जनता के प्रति संवेदना प्रस्ताव (स्वीकृत)	98
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (संशोधन अस्वीकृत प्रस्ताव पारित)... ...	98–147
"अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित किये जाने" विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	147–148
"प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किये जाने" विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	148
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	148
जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र बेरीनाग में प्राथमिक विद्यालय कराला महर के भवन क्षतिग्रस्त होने से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	148–149
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की ग्राम पंचायत जोंक के अन्तर्गत लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम के 118 भू–पट्टों के निस्तारीकरण के सम्बन्ध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	149–150
जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़कोट बाजार में आग से हुई क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	150–151
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैड़ी–कुंजासू मोटर मार्ग निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य ...	151–152
सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	152
राष्ट्रगान	152–153
नत्थी 'क' ...	154–155

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
5. श्री उम्मेद सिंह माजिला
6. " काशी सिंह ऐरी
7. " किशोर उपाध्याय
8. " कैलाश शर्मा
9. " कौल दास
10. " गगन सिंह
11. " गणेश प्रसाद गोदियाल
12. " गोपाल सिंह राणा
13. " गोविन्द लाल
14. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
15. " जोत सिंह
16. " तसलीम अहमद
17. " तिलक राज बेहड़
18. " तेजपाल सिंह रावत
19. " दिनेश अग्रवाल
20. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
21. " नव प्रभात
22. " नारायण दत्त तिवारी
23. " नारायण पाल
24. " नारायण राम आर्य
25. " नारायण सिंह जंतवाल
26. काजी निजामुद्दीन
27. श्री प्रकाश पन्त
28. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
29. डा0 प्रताप बिष्ट
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. " प्रीतम सिंह
32. श्री प्रीतम सिंह पंवार
33. " फूल सिंह बिष्ट
34. " बलबीर सिंह नेगी
35. " विजयपाल सिंह सजवाण
36. " बिशन सिंह चुफाल
37. " भगत सिंह कोश्यारी
38. " मदन कौशिक
39. " मन्त्री प्रसाद नैथानी
40. " महेन्द्र भट्ट
41. " महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
42. " मातबर सिंह कण्डारी
43. " मालचन्द्र
44. चौ0 यशवीर सिंह
45. श्री रणजीत सिंह
46. " रसैल वैलेन्टाइन गार्डनर
47. " राम प्रसाद टम्टा
48. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
49. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
50. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51. श्री शहजाद
52. " साधू राम
53. " सुबोध उनियाल
54. " सुन्दरलाल मन्द्रवाल
55. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
56. डा0 हरक सिंह रावत
57. श्री हरबंस कपूर
58. " हरभजन सिंह चीमा
59. " हरिदास
60. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61. " हीरा सिंह बिष्ट
62. " हेमेश खर्कवाल

शनिवार, दिनांक 05 अप्रैल, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उत्तरांचल राज्य की विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा की माँग

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नियम 311 के तहत एक सूचना पर, सभी कार्यों को रोकते हुए, इस पर चर्चा करायी जाये। मान्यवर, यह जो परिसीमन आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया है, उसमें उत्तरांचल राज्य की विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन होना है। उसमें जो व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार पर्वतीय क्षेत्र के पूरे प्रदेश के 10 जिले प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें 6 जिलों से 1–1 विधान सभा क्षेत्र कम हो रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तरांचल की जनता की भावनाओं को जो माननीय सदन के पाँच सदस्य इस कमेटी में हैं, उनके माध्यम से, जनता की भावनाओं को पहुँचाना चाहता हूँ और इस पर चर्चा कराने की माँग करता हूँ। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है और इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने यह सोचकर उत्तराखण्ड की माँग की थी, इसको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले जिससे इनका विकास हो लेकिन जो ये परिसीमन आयोग, भारत सरकार द्वारा व्यवस्था दी गयी है, उसको ध्यान में रखते हुए नियम 311 के तहत चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं को रखना चाहता हूँ।

(घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोले जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, प्रदेश की जनता की भावनाओं को सुन लीजिए। उनकी बात को न काटा जाय। यह उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र की जनता की माँग है कि हम उनकी भावना को इस सदन के माध्यम से माननीय आयोग तक पहुँचाएँ और सदन में एक संकल्प पारित हो जो माननीय सदस्य इस आयोग में सदस्य के रूप में जायेंगे, वे भी इस बात को, उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं को वहाँ कहें।

श्री अध्यक्ष–

सम्मानित ऐरी जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गेहूँ की खरीद एवं मण्डारण की योजना

**1–काजी निजामुद्दीन–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार गेहूँ की खरीद एवं भण्डारण के लिए कोई कार्य–योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार योजना का प्रारुप सदन के पटल पर रखेगी ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

जी हाँ।

कार्य योजना को मा0 मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के उपरान्त सदन के पटल पर रखा जा सकता है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, गेहूँ की फसल तैयार है। लेकिन आज तक माननीय मंत्रि परिषद् का अनुमोदन नहीं किया गया और कब तक आपकी कार्य योजना तैयार होगी ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भारत सरकार के जो गेहूँ क्रय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश हैं, वे प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं और इस समय कार्ययोजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल से 30 जून तक गेहूँ क्रय किया जायेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।

प्रदेश के विद्युत तथा कक्ष विहीन विद्यालयों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था

**2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 30 करोड़ रुपये के कम्प्यूटर लगाये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि कम्प्यूटर ऐसे विद्यालयों में भी लगाये गये हैं जहाँ न तो कम्प्यूटर हेतु कक्ष ही उपलब्ध है और न ही विद्यालय क्षेत्र में विद्युत लाइन ही उपलब्ध है ?

यदि हाँ, तो राजकीय कोष से इस प्रकार से कम्प्यूटर लगाने का क्या औचित्य है ?

क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी नहीं।

प्रदेश के 439 माध्यमिक विद्यालयों में रु0 13,88,75,000 की लागत के कुल 2,149 कम्प्यूटर लगाये गये हैं।

उक्त प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, साज–सज्जा एवं जैनरेटर आदि के क्रय के लिए रु0 70,000 की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं, क्या उन सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक हैं और उनके द्वारा कहाँ से प्रशिक्षण लिया गया है ? क्या उत्तरांचल शिक्षा बोर्ड में कम्प्यूटर विषय रखा गया है नम्बर–1? नम्बर–2, कुल कितने विद्यालय हैं, जिनमें बिजली नहीं है और कितने विद्यालयों में जैनरेटर खरीदा जा रहा है ? नम्बर–3, कम्प्यूटरों की खरीद किस विभाग द्वारा की गई है, क्या यह खरीद केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियमों के अनुसार की गई है ? नम्बर–4, जिस तिथि को कम्प्यूटर खरीदने का आदेश दिया गया, उसके कितने समय बाद कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मेरे मित्र ने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिये हैं। मैं चाहूँगा कि पूरी जानकारी मैं सदन को दूँ। मान्यवर, प्रदेश में राज्य गठन के पूर्व से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता के प्रारम्भिक ज्ञान हेतु कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की गई थी। विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता के सम्बन्ध में संक्षिप्त बिन्दु निम्नवत् हैं :– उत्तरांचल राज्य के गठन से पूर्व 16 विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 5 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय उपलब्ध कराये गये थे। जिनमें अपट्रान के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों को एक वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। वर्ष 2000 में 40 राजकीय विद्यालयों को प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर की दर से उपलब्ध कराये गये थे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु0 220 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 2001–2002 में 180 विद्यालयों में 300 छात्र संख्या तक 3 कम्प्यूटर, 100 अतिरिक्त छात्र पर एक कम्प्यूटर तथा अधिकतम 6 कम्प्यूटर प्रति विद्यालय उपलब्ध कराये गये थे। इस हेतु रु0 908.52 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 2002–2003 में 203 विद्यालयों में कम्प्यूटर स्वीकृत किये गये। इस हेतु रु0 911.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कुल 438 विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता की व्यवस्था कर दी गई है और इस वित्तीय वर्ष में 700 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 27 करोड़ 71 लाख 79 हजार की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए साज-सज्जा हेतु 70,000 रुपया प्रत्येक विद्यालय को दिया गया है, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की खरीद आदि मैसर्स हिल्ट्रान के माध्यम से की गई है, शिक्षकों को मानदेय आदि देने की व्यवस्था बजट में की गई है। साज-सज्जा, जैनरेटर आदि की खरीद तथा रखरखाव के लिए प्रधानाध्यापक को यह पैसा दिया जायेगा। अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया इन्टैल द्वारा 2002 से शुरू कर दी गई है। भीमताल, देहरादून डायट, नैनीताल, अल्मोड़ा और रुड़की में 406 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जो 10-10 लोगों को और प्रशिक्षित कर रहे हैं। अभी तक 1697 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और 2500 अध्यापक अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मास्टर ट्रेनर के लिए 17 दिन का 15 मोड्यूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा जिन विद्यालयों में विद्युत की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जैनरेटर खरीद तथा तेल आदि की व्यवस्था के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। इसका प्रशिक्षण विद्यालय में देने के लिए और इसके रखरखाव पर होने वाले व्यय के लिए 10 रुपया प्रति छात्र, छात्र शुल्क के रूप में लिया जायेगा और जो छात्र गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनसे यह शुल्क नहीं लिया जायेगा और वह पुअर ब्वाइज फण्ड से उनके लिए शुल्क की व्यवस्था की जायेगी।

इन कम्प्यूटरों की खरीद आदि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 2001-2002 में जिन बहुराष्ट्रीय एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों से की है, वे इस प्रकार हैं, एच0पी0, काम्पैक, आई0बी0एम0, एच0सी0एल0 तथा विप्रो। इसमें मल्टीनेशनल कम्पनियों के न्यूनतम रेट 47,350 रुपये थे और भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के न्यूनतम रेट 43,400 रुपये थे। इनके द्वारा ये निविदायें प्रस्तुत की गई थीं। यह 2001-2002 के रेट हैं जब कि वर्ष 2002-03 में यह रेट और भी कम हो गये। मल्टीनेशनल कम्पनियों के रेट 39,900 रुपये और भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 37,300 के रेट दिये गये थे और इसी क्रम में इनसे निविदायें माँगी गई। और जो माननीय सदस्य का प्रश्न था तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार कम्प्यूटर शिक्षा को विषय के रूप में सभी विद्यालयों में शामिल करने के प्रति गम्भीरता से सोच रही है और इसे विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन कम्प्यूटरों में दूसरी कम्पनियों के पुर्जे लगाकर बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी की गई है। यदि हाँ तो क्या वे इसकी जाँच करायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, इस तरह का कोई संज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है तथा इन कम्प्यूटरों की खरीद आई0 टी0 विभाग द्वारा की गई है। यह वही बता सकते हैं और जाँच भी वही करेंगे। क्योंकि वे ही यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इनमें क्या कमी है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, दूसरी लोकल कम्पनियों के पुर्जे बड़े पैमाने पर खरीद कर, हेरा–फेरी की गई है और जब यह हेरा–फेरी की गई तो जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आई0टी0 विभाग द्वारा कम्प्यूटर खरीदे गये हैं तो आई0टी0 विभाग की तरह से इसका उत्तर आना चाहिए था। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि चूँकि उत्तर देना सरकार का सामूहिक दायित्व है, इसलिए यदि माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे पाने में समर्थ नहीं हैं, तो माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी इसका उत्तर दे दें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर देने में सक्षम हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक कमेटी बनाकर इन कम्प्यूटरों की खरीद की गयी। उस कमेटी में सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, पुलिस महानिरीक्षक या उनके द्वारा नामित सदस्य, शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा नामित सदस्य तथा वित्त विभाग द्वारा नामित सदस्य शामिल थे। इस कमेटी ने निविदाओं के आधार पर कम्प्यूटरों की खरीद की है। यह आई0टी0 से सम्बन्धित मामला है, अगर इस कमेटी के ऊपर कोई सन्देह है तो उसके विषय में आई0टी0 विभाग ही बता सकता है कि इनमें कोई कमी है या नहीं। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना है कि पार्ट बदले गए हैं, तो उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ही यह बता दें कि कौन से पार्ट बदले गये हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि "प्रदेश के 439 माध्यमिक विद्यालयों में रू0 13,88,75,000 की लागत के कुल 2149 कम्प्यूटर लगाये गये हैं"। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो धनराशि खर्च की गयी है, यह आई0टी0 विभाग का पैसा है या शिक्षा विभाग का। यदि यह पैसा आई0टी0 विभाग का है, तो हम उनसे इस विषय में पूछेंगे लेकिन यदि यह कम्प्यूटर शिक्षा विभाग ने खरीदे हैं, तो यह देखना शिक्षा विभाग का काम है कि सही चीज खरीदी गयी है या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध सहित यह जानना चाहता हूँ कि यदि यह पैसा आपका है तो आप इसकी जाँच करा रहे हैं या नहीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय ऐरी जी ने पूछा कि यह पैसा किस विभाग का था, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह पैसा शिक्षा विभाग का था किन्तु जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गयी थी और उसी कमेटी ने कम्प्यूटरों की खरीद की है। हम शासन की कमेटी पर पूरा विश्वास करते हैं। यदि उस कमेटी के खिलाफ कोई शिकायत आती है और उसके कोई प्रमाण मिलते हैं तो हम देखेंगे कि धन का उपयोग सही तरीके से हुआ है या नहीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की साफगोई पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से तीन अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पहला है कि जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर आपने जैनरेटर खरीदने की बात कही है? क्या जैनरेटर में जो तेल लगेगा, उसका प्राविधान बजट में किया गया है कि तेल कहाँ से प्राप्त होगा? दूसरा है जो मास्टर ट्रेनर होंगे, वह विभाग के होंगे या उनके लिए नई नियुक्ति कर दी गई है, तो वे बाद में किस विभाग में मर्ज होंगे? तीसरा प्रश्न है जो मास्टर ट्रेनर अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे उनके लिए कोई मानदेय तय किया है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जैनरेटर हमने सबको उपलब्ध कराया है। जहाँ पर हमने कम्प्यूटर की व्यवस्था की है, वहाँ पर हमने जैनरेटर भी उपलब्ध कराया है। तेल की व्यवस्था हेतु हमने जो इससे लाभान्वित होने वाले छात्र हैं उनसे 10 रू0 प्रति छात्र के हिसाब से लेने की एक नीति निर्धारित की है, उससे तेल की व्यवस्था होगी, अगर कोई साधारण कठिनाई होती है जैसे बिजली का तार टूट गया हो या फ्यूज उड़ गया हो तो वह भी इसी 10 रुपये में ठीक होगा। हमारे बच्चे जो गरीब हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं और फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए जो निर्धारित छात्र निधि होती है, उस छात्र निधि से यह पैसा दिया जायेगा। तीसरा प्रश्न आपका मानदेय का है, हमारे जो शिक्षक हैं वह वेतन पा रहे हैं उनको हम यह काम अतिरिक्त दे रहे हैं। ट्रेनर को हम टी0ए0,डी0ए0 सब दे रहे हैं, विद्यालय में जाने के बाद यह भी उनके कार्य का अंग है कि वह अन्य 10 लोगों को प्रशिक्षित करें, उसके बाद जो 10 ट्रेन्ड हो जायेंगे तो वह हमारे सारे छात्रों को ट्रेनिंग देंगे। मैं समझता हूँ कि आपके सभी जवाब आ गये।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने जैनरेटर, कम्प्यूटर कक्ष की साज–सज्जा आदि के क्रय के लिए मात्र 70 हजार की व्यवस्था की गई है। क्या माननीय मंत्री जी यह स्वीकार कर रहे हैं कि मात्र 70 हजार से यह व्यवस्था की जा सकती है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमने प्रति विद्यालय जो 70 हजार रुपये दिया है वह कम्प्यूटर कक्ष की साज–सज्जा और फर्नीचर हेतु दिया है उसकी आज तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी। हमारे सभी विद्यालयों के पास कक्ष हैं उनको कम्प्यूटर कक्ष में परिवर्तित करने के लिए 30–35 हजार रुपये बहुत होते हैं।

मान्यवर, जहाँ तक विद्यालयों में कक्षों की बात है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने 412 विद्यालयों में दो–दो कक्षों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया है तथा 106 विद्यालयों के लिए 4–4 कक्षों के निर्माण के लिए धन आवंटित किया है। जहाँ तक विधायक निधि से साज–सज्जा के लिए तथा फर्नीचर आदि के लिए धन उपलब्ध कराने के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है तो इस सम्बन्ध में मैंने कार्मिक विभाग

से तथा मुख्य सचिव से भी जानकारी ली है कि क्या हम विधायक निधि से इसके लिए धन दे सकते हैं तो उन्होंने भी अपनी सहमति दी है इसके लिए विधायक निधि से आप धन आवंटित कर सकते हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जैसा कि आपने अभी कहा कि मुख्य सचिव से स्वीकृति मिलने के बाद हमने काम किया तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। जबकि आप की स्वीकृति और सहमति के बाद ही मुख्य सचिव/सचिव को काम करना चाहिए। मान्यवर, यह तो हम भी जानते हैं, सारा काम अधिकारी करते हैं। उसके बाद भी यह मानकर चला जाता है कि सारे काम मंत्री करते हैं इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है। हाऊस सर्वोपरि है इसलिए सारी जिम्मेदारी मंत्री की होती है। यह कहना कि मुख्य सचिव की स्वीकृति मिल गई और फिर काम करा दिया गया, उचित नहीं लगता फिर भी अगर आप उचित समझते हैं तो मुझे कोई कष्ट नहीं कि आप उनकी स्वीकृति के बाद काम कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, स्वीकृति और सहमति में थोड़ा सा अन्तर है। कानूनों और नियमों की जानकारी के बारे में यह माना जाता है कि अधिकारियों को इसकी अधिक जानकारी होती है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं अधिकारियों के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। कार्य को करने के आदेश एवं स्वीकृति हमारी होती है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं चाहूँगा, संसदीय कार्यमंत्री जी अपनी बात यहाँ पर कहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है, वह सही है कि हम अपने कार्यों की सहायता के लिए तथा अपनी जिज्ञासाओं के लिए शासन में जो अधिकारीगण होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन अन्तिम निर्णय अन्ततः सरकार का होता है। माननीय मंत्री जी का कहने का तात्पर्य यही था लेकिन वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाये। जनता के प्रतिनिधि ही कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा मंत्रिमण्डल के सम्मानित सदस्य भी उस निर्णय के लिए उत्तरदायी होते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि जहाँ पर कम्प्यूटर दिये गये हैं, उन विद्यालयों को जैनरेटर भी उपलब्ध कराये गये हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैनरेटरों को चलाने के लिए कोई ऑपरेटर दिया गया है या अध्यापक ही इन जैनरेटरों को चलाते हैं, जबकि यह एक तकनीकी मशीन होती है। मान्यवर, यदि अध्यापक जैनरेटर को चलायेंगे तो यह जल्दी ही खराब हो जाएगें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आज तकनीकी बहुत एडवांस हो गयी है, वह जमाना गया जब हाथ से जैनरेटर को घुमाना पड़ता था।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कम्प्यूटर शिक्षा

*1–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा देने हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है ?

यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने कॉलेजों में यह व्यवस्था की जा चुकी है ?

क्या सरकार अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेजों में भी कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु वित्तीय व्यवस्था की जा चुकी है।

जी हाँ।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अपने प्रश्न के उत्तर पर दिलाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेजों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था के सम्बन्ध में यथा समय का उल्लेख किया है। मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में राजकीय इण्टर कॉलेजों में आपने कम्प्यूटर की व्यवस्था की है, यह बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में अशासकीय इण्टर कॉलेज भी बहुत हैं, अकेले मेरे क्षेत्र में 5 कॉलेज हैं। मान्यवर, आपने एक कॉलेज को कम्प्यूटर दे दिया तथा दूसरे कॉलेज को कम्प्यूटर नहीं दिया, इससे बच्चों में हीन भावना पैदा हो रही है। मान्यवर, जबकि अशासकीय विद्यालयों को विभाग की ओर से वेतन भत्ते आदि सब कुछ दिया जाता है। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि राजकीय इण्टर कॉलेजों की तरह अशासकीय इण्टर कॉलेजों को भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह हमारी प्राथमिकता है। हमारी पहली प्राथमिकता राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेजों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराना है, यह लक्ष्य हमने करीब–करीब पूरा कर लिया है। अगले वर्ष से हम अशासकीय विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपका मुझे वह पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें विधायक निधि से कुछ पैसा विद्यालयों को देने का अनुरोध किया गया है। मान्यवर, अवस्थापना निधि से 70,000 (सत्तर हजार) रु० दिये हैं। मान्यवर, जो विधायक निधि का पैसा है, वह 90 प्रतिशत विद्यालयों को जाता है, लेकिन इसके बावजूद 50–60 प्रति० कॉलेजों की हालत खस्ता है।

मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि जो 70 हजार रुपया अवस्थापना मद में है क्या विद्यालय के कक्षों की साज–सज्जा के लिए उस मद को बढ़ाकर 2 लाख रुपया करने का कष्ट करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, विधायक निधि से शासकीय विद्यालयों को दे दिया, लेकिन अशासकीय विद्यालयों के लिए मैंने निवेदन किया कि विधायक निधि से दे दीजिए और हमारे सदस्यों ने इसको स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, कक्षा कक्ष के लिए मैंने रिपोर्ट माँगी कि कितने विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी है और उसी के आधार पर हमने आवंटित किये हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि एक चरण पूरा हो गया है और अगले साल बजट आयेगा तब और दिया जायेगा। मान्यवर, जहाँ भी कक्ष की कमी होगी, उसको देख लिया जायेगा और उसकी पूर्ति की जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यहाँ प्रश्न किया गया कि "क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा देने हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई है"? तो उत्तर आया "जी हाँ"। मान्यवर, दूसरा यह कि यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने कॉलेजों में यह व्यवस्था की जा चुकी है ? तो उत्तर आया कि "प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु वित्तीय व्यवस्था की जा चुकी है"। मान्यवर, चूँकि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में वित्तीय व्यवस्था की जा चुकी है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है और कम्प्यूटर खरीद की क्या प्रक्रिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं पहले ही ब्योरा दे चुका हूँ। मान्यवर, मैं फिर बता देता हूँ कि समस्त 700 विद्यालयों के लिए 27 करोड़ 71 लाख 79 हजार की वित्तीय व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय के लिए कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर की व्यवस्था की है। मान्यवर, यह आज के युग में बहुत ही आवश्यक है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कम्प्यूटर को खरीदने से पहले उस विद्यालय में कम्प्यूटर के लिए साज–सज्जा और कक्ष की व्यवस्था कर दी गई थी या पहले कम्प्यूटर पहुँचा दिये गये थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने अवगत कराया कि 70 हजार रुपया विद्यालय के प्रधानाचार्य को दिया कि वह कक्षा कक्ष की साज–सज्जा और जैनरेटर आदि की व्यवस्था करें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि पहले साज–सज्जा की व्यवस्था की या पहले कम्प्यूटर पहुँचा दिये गये थे।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले साज–सज्जा के लिए व्यवस्था की गयी, उसके बाद कम्प्यूटर भेजे गये, हो सकता है कि कहीं साज–सज्जा हो गयी हो और कम्प्यूटर न भेजे गये हों।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान" द्वारा मान्यता समाप्त करने विषयक

*2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने कष्ट करेंगे कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वायत संस्था "राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान" से मान्यता प्राप्त कितने संस्कृत विद्यालय उत्तरांचल में चलाये जा रहे हैं ?

क्या यह सत्य है कि इन संस्कृत विद्यालयों की मान्यता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा समाप्त कर दी गई है ?

क्या सरकार उक्त संस्कृत विद्यालयों को मान्यता दिलाने हेतु संस्कृत बोर्ड का गठन करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मान्यता प्राप्त 05 संस्कृत विद्यालय उत्तरांचल में संचालित है।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये 5 संस्कृत विद्यालय कौन–कौन से हैं और कहाँ पर हैं, दूसरा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संस्कृत विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान्यवर, इन 5 विद्यालयों की मान्यता राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने समाप्त कर दी है, तो सरकार इन्हें जीवित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ये विद्यालय हैं संस्कृत विद्यालय बिलवेश्वर केमर, टिहरी गढ़वाल, आदर्श संस्कृत विद्या परिषद् सल्ड महादेव, पौड़ी गढ़वाल, श्री महर्षि गणप संस्कृत विद्यालय, कोटद्वार, देववाणी संस्कृत विद्यालय, त्रियुगीनारायण, रुद्रप्रयाग, ज्वालपा देवी संस्कृत महाविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल। मान्यवर, ये 5 विद्यालय इस श्रेणी में हैं और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को दिनांक 07–05–2002 से भारत सरकार द्वारा मानद विश्वविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटी) का स्तर प्रदान कर दिया है, ये मानद विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 के नियमों के अन्तर्गत संचालित होते हैं। अतएव मानद विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त होने के उपरान्त उक्त संस्थानों की मान्यता समाप्त कर दी गयी है। वर्तमान वर्ष की उक्त विद्यालयों की परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का आश्वासन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक द्वारा दिया गया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि इन विद्यालयों का क्या भविष्य है और सरकार इन विद्यालयों के बारे में क्या सोच रही है? दूसरा इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, उत्तरांचल में कुल 88 संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें से 57 सहायता प्राप्त, 06 राजकीय संस्कृत पाठशाला एवं 25 गैर–अनुदानित विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाली विभिन्न कक्षाओं का स्तर निम्नवत् होता है :– प्रथमा कक्षा 8 , पूर्व मध्यमा हाई स्कूल।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो वित्त के अधीन आते हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति यहाँ से आती है, उनका वेतन यहीं से दिया जाता है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यदि सरकार उनका भुगतान करती है तो सरकार इनसे क्या काम लेती है, इन विद्यालयों का क्या भविष्य है, सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है तथा इनकी परीक्षाओं का संचालन कैसे होगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सरकार पूरी तरह से चिन्तित है। मान्यवर, प्रथमा कक्षा 8वीं तक जिसको मान्यता प्राप्त है। पूर्व मध्यमा–हाई स्कूल तक है।

मान्यवर, प्रथमा कक्षा 8, पूर्व मध्यमा–हाई स्कूल, उत्तर मध्यमा–इण्टरमीडिएट, ये माध्यमिक से सम्बन्धित है। अगले वर्ष से हमारे यहाँ जो शिक्षा परीक्षा बोर्ड है, उनमें इनको सम्मिलित किया जा रहा है। शेष जो हमारे शास्त्री (त्रिवर्षीय)–स्नातक, आचार्य–स्नातकोत्तर, शिक्षा शास्त्री–बी0एड0, विद्या वारिधि–पी0एच0डी0, विद्या मार्तण्ड–डी0लिट0, उनके लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से इनको सम्बद्ध करने का भविष्य में प्रयास किया जा रहा है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, या तो माननीय मंत्री जी हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हम अपनी बात को माननीय मंत्री जी को समझा नहीं पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि उन विद्यालयों जिनकी मान्यता समाप्त हो गयी है, जब किसी विद्यालय की मान्यता समाप्त हो जाती है तो वहाँ पठन–पाठन का औचित्य ही नहीं बनता है तो मान्यवर, क्या सरकार उन विद्यालयों की मान्यता के बारे में सोच रही है ? क्या उनको मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रही है ? क्या उन विद्यालयों को बन्द किया जा रहा है, अगर बन्द किया जा रहा है तो वहाँ के जो अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं वे कहाँ जायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, भारत सरकार ने इनकी मान्यता समाप्त की है। मान्यता का सम्बन्ध हमारे यहाँ से नहीं है। यह भारत सरकार ने की है और उन्होंने यह बताया कि उनकी परीक्षाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी परीक्षा कौन लेगा ? इनको हमने अपने यहाँ मान्यता दी है और इनकी परीक्षाओं की व्यवस्था की है। हम शिक्षा परीक्षा बोर्ड से इनकी परीक्षा लेंगे और डिग्री स्तर के लिए जो उत्तरांचल संस्कृत एकेडमी है, वे इनका इंतजाम करेंगे। ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, यह काफी गम्भीर विषय है कि उत्तरांचल के अन्दर संस्कृत और ज्योतिष का अपार भण्डार था लेकिन वर्तमान में इन विद्यालयों में छात्र संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है तो क्या सरकार इनकी छात्र संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रही है जिससे इनकी छात्र संख्या बढ़े और इन विद्यालयों में अध्यापकों और कर्मचारियों के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं। क्या सरकार इनके पदों का सृजन करने पर विचार कर रही है। दूसरा प्रश्न यह है कि इनके भवन बहुत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है अगर इनको विधायक निधि या सांसद निधि से पैसा न दिया जाए तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जायेगी लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और न दे रही है ? क्या सरकार इनको ठीक करने के लिए कार्य कर रही है और इन विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को काफी समय से वेतन नहीं मिला है। क्या सरकार इनको पंचम वेतनमान के अन्तर्गत लाने जा रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जहाँ तक भवनों की बात है तो जैसे ही यह हमारे संज्ञान में आयेगा, उस पर भरसक प्रयास किया जायेगा।

राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की योजना

*3–श्री मदन कौशिक–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ तो योजना का स्वरूप क्या है ?

पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी हाँ।

राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं का स्वरूप निम्नवत् है–

1. सघन मिनी डेयरी परियोजना के माध्यम से इच्छुक दुग्ध उत्पादकों को उन्नतशील नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
2. भारत सरकार के सहयोग से अत्यन्त महत्वाकांक्षी समन्वित डेयरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। योजना के प्रथम चरण में जनपद देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल हेतु 5 वर्षों के लिए रु0 10.11 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष वर्ष 2002–2003 में रु0 476.90 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

योजना के द्वितीय चरण में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी हेतु योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है।

3. मिनी डेयरी फर्मों की स्थापना किये जाने हेतु योजना तैयार कर ली गई है, जिसकी स्वीकृति शासन के विचाराधीन है।

उत्तरांचल राज्य में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और इनकी नस्ल सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल कैटिल एण्ड बफैलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जिसकी लागत रु0 6.07 करोड़ है, उत्तरांचल लाइव स्टॉक डेवलपमैन्ट बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में साँडों का वितरण, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में सुधार व पशुपालकों को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा रुपये 2.48 करोड़ की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त पशु प्रजनन नीति पर भी विचार किया जा रहा है, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की सेवायें ली गयी हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि सघन मिनी डेयरी परियोजना के माध्यम से इच्छुक दुग्ध उत्पादकों को उन्नतशील नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि वे उन्नतशील नस्लें कौन–कौन सी हैं और कितने पशु क्रय किये गये हैं, यह योजना कब प्रारम्भ की गई है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने पूछा कि अभी तक कितने लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने पूछा कि कौन सी उन्नतशील नस्ल है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, गायों में जर्सी को अच्छी नस्ल माना जाता है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, भैंस में कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मुर्रा भैंस अच्छी नस्ल की मानी जाती है। हमारे प्रदेश में जो सर्वेक्षण कराया गय है, उसमें सबसे अधिक माँग जर्सी गाय की आई है। फरवरी, 2003 तक जो योजना की प्रगति है, उसके अनुसार 1833 पशुपालकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुक है। इसमें जिस तरीके से विभिन्न जनपदों में योजना चलाई जा रही है, उसके माध्यम से हमारे प्रदेश में दुग्ध के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में जो सघन मिनी डेयरी परियोजना है, उसमें काश्तकारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि यह योजना कब प्रारम्भ की गई थी, इस योजना के अन्दर कितनी यूनिटें अब तक स्थापित की गई हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह योजना पिछली सरकार के द्वारा चालू की गई थी। जो आपका प्रश्न है कि कितने लोगों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है......................।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि कितने यूनिटें हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसमें 2485 यूनिटें हैं। 1833 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मुर्रा नस्ल की भैंस और जर्सी नस्ल की गाय कहाँ से खरीदी जा रही हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जिन पशुपालकों के पास अच्छी किस्म की तथा नस्ल की गाय अथवा भैंस होती है।

मान्यवर, पशुपालन को एक उद्योग का दर्जा देने के लिए हमारी सरकार के द्वारा एक ब्रीडिंग बोर्ड का गठन किया गया है। उसके माध्यम से हम उन पशुपालकों को बुलाते हैं जिनके पास अच्छी नस्ल की गाय या भैंस होती हैं, उनको हम बुलाते हैं, अभी एक पशु मेला लगाया गया था, हमारे विभाग के द्वारा, उसमें भी इन पशुपालकों को बुलाया गया था और इसमें हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा अच्छी किस्म एवं नस्ल के गाय, भैंसों को चयनित किया जाता है, वहाँ पर काश्तकार भी आते हैं। तब उन गाय अथवा भैंसों को अन्य काश्तकार खरीदते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सघन मिनी डेयरी परियोजना के तहत कितनी मिनी डेयरी यूनिट वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 में स्थापित की गई हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि 1,833 पशुपालक इसका लाभ उठा रहे हैं तो मान्यवर, जो काश्तकार को लाभ दिया जाता है, वही यूनिट होती है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि यह गाय जर्सी है या भैंस मुर्रा है तो क्या वह मान ली जायेगी ?

क्या सरकार द्वारा इन पशुओं की कोई कैटेगरी तैयार की जा रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, कैटेगरी का जो सवाल है, वह तो अपने आप दिख जाता है कि यदि मैं कहूँ कि मैंने जो कुर्ता पहना है तो वह सिल्क का है और मैंने टैरीकोट का पहना है तो यह देखते ही पता चल जाता है और यही बात गाय और अन्य जानवरों के लिए भी है। जर्सी कह देने से कोई गाय जर्सी नहीं हो जायेगी, उसका एक मानक है जो स्वयं ही दिख जाता है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो भैंसों की प्रजाति में एक छोटे घुटनों वाली भैंसें होती हैं जिन्हें मिनी भैंस कहा जाता है और यह गुजराती नस्ल है और यह 20 लीटर दूध रोजाना देती है, इसे पूरे भारतवर्ष ने एडाप्ट किया है। तो क्या माननीय मंत्री जी के सानिध्य में रहते यह उत्तरांचल में भी एडाप्ट की जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसकी पूरी व्यवस्था हमारे पास है और इस पर विचार किया जा रहा है।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

*4–श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

बेसिक शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 एवं स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित श्रेणी) प्रथम संशोधन सेवा नियमावली, 1992 प्रचलित है, जिनके अनुसार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उत्तरांचल राज्य का अलग गठन हो चुका है। क्या शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर कोई नियमावली तथा सेवा नियमावली बनायी गई है या बनाने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अभी तो उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली से ही हम संचालित हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ही हम उत्तरांचल सेवा नियमावली बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के कितने पद रिक्त हैं तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एल0टी0 के कितने पद रिक्त हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मूल प्रश्न भर्ती से सम्बन्धित था, इसमें रिक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन्हें अलग से सारे आँकड़े उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अलग से आँकड़े उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रवक्ता पद पर 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

मिल्क बूथ योजना का प्रारूप एवं बूथ आवंटन योजना

*5–काजी निजामुद्दीन–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 'मिल्क बूथ' योजना का प्रारूप क्या है ?

क्या सरकार 'मिल्क बूथ' आवंटित करने की कोई योजना बना रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

नगर क्षेत्रों में स्वच्छ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को अनवरत दुग्ध आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु समन्वित डेयरी विकास योजना (आई0डी0डी0पी0) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में 58 मिल्क पॉर्लर स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। मिल्क पॉर्लर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और भूमि हस्तान्तरण होते ही मिल्क पॉर्लर स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मिल्क पॉर्लर आवंटन में विकलांगों/पूर्व सैनिकों/महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मिल्क पॉर्लर के आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी, जगह का चयन कैसे होगा, दूध कहाँ से लिया जायेगा और मिल्क पॉर्लरों में कौन–कौन से उत्पाद रखे जायेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, काश्तकारों के सुझाव के अनुसार प्रत्येक जनपद में जगहों का चुनाव किया गया है। जगह चयन के सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि मिल्क पॉर्लर ऐसे स्थान पर लगाए जाएं, जहाँ पर हर प्रदेश और हर जिले के लोग आएं। स्थल चयन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर की पैड़ी, बहादराबाद, बी०एच०ई०एल०, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रोशनाबाद, रुड़की बस स्टेशन, आई०आई०टी० रुड़की, कनखल, रायवाला, गुरूकुल कांगड़ी और ज्वालापुर आदि स्थानों का चयन मिल्क पॉर्लर हेतु किया गया है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या मंगलौर को नहीं लिया गया है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, हमारी यह योजना विस्तारीकरण की योजना है, इससे इस प्रोडक्ट का प्रचार–प्रसार होगा कि आँचल क्या है, उनका मकसद क्या है ? आँचल से सम्बन्धित जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनके प्रचार–प्रसार हेतु मिल्क पॉर्लर की व्यवस्था की है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि चयन कैसे करेंगे। आपने अपने उत्तर में कहा है कि विकलांगों/पूर्व सैनिकों/महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो जिला स्तर पर दुग्ध संघ हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनके माध्यम से चयन किया जायेगा। अखबार के माध्यम से विज्ञापन निकाल करके किया जायेगा, जो मानक पूरा करेगा, उसका चयन किया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने कहा कि मिल्क पॉर्लर की स्थापना किये जाने हेतु स्थल चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि हर की पैड़ी में कौन सा क्षेत्र है, जहाँ संचालित किया जायेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो जगह हमने बतायी है। हमने हरिद्वार नगरपालिका में यह प्रस्ताव भेजा है कि हर की पैड़ी में मिल्क पॉर्लर लगाया जायेगा। जैसे हमारे देहरादून में विधान सभा और सचिवालय में भी इसे लगाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के लिए जो आन्दोलन में थे और बी०सी० तथा ओ०बी०सी० को भी इसमें प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो उत्तरांचल आन्दोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। इसमें मुख्य बात मिल्क पॉर्लर बनाने की है। हमारे यहाँ मुख्य समस्या बेरोजगारों की है। जो हमने जगह चुनी है, यह फर्स्ट स्टेज है, इसको हम अच्छी तरह चलायेंगे, इसे हम रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गाँव हो या कस्बा, वहाँ भी यह खोला जा सकता है। यह गाँव और शहर के बेरोजगार व्यक्तियों को देने का डायरेक्शन है।

श्री सहजाद–

... में दूध की कुल खरीद कितनी है, कितनी लागत है ? प्रदेश में कितना ... फालतू है, अगर कमी है तो इसे पूरा कैसे किया जा सकता है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह प्रश्न जो है, दूध की कमी और बढ़ोत्तरी का, यह तो सीजन पर डिपेन्ड करता है। मान्यवर, हमारे यहाँ जो सरप्लस दूध होता है, उसको बरेली और मेरठ भेजते हैं। जब हमारे यहाँ दूध की कमी होती है तो दूध का पाउडर बनाकर मिलता था।

मान्यवर, हरिद्वार जो उत्तरांचल का प्रमुख तीर्थ स्थान है तथा पर्यटन के हिसाब से भी बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ पर कुम्भ मेले का भी आयोजन होता है इसलिए हम लोगों को यह संकेत देना चाहते हैं कि जब वहाँ पर इतनी उपयुक्त व्यवस्था है तो अन्य जगहों में भी अच्छी व्यवस्था होगी।

उत्तरांचल के प्रान्तीय रक्षक दल के प्रशिक्षणप्राप्त जवानों को नियमित सेवा में लेने की योजना

*6–श्री प्रकाश पंत–

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में प्रान्तीय रक्षक दल के कितने जवान प्रशिक्षण प्राप्त हैं ?

क्या सरकार इन जवानों को नियमित सेवा में लेने की योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक इन्हें सेवायोजित कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी हाँ।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा राज्य में 6902 जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948 के अधीन प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित जवानों को स्वयंसेवक माना गया है एवं विभिन्न आवश्यक अवसरों पर इन जवानों की सेवाएं दैनिक भत्ते/मजदूरी

के आधार पर ली जाती हैं। अधिनियम में इन जवानों को नियमित सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः अधिनियम की व्यवस्था के अधीन ही प्रान्तीय रक्षक दल व्यवस्था राज्य में भी विद्यमान है। अतः इनको नियमित सेवा में लेने अथवा सेवायोजित किये जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने उत्तर में कहा कि प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा राज्य में 6902 जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है। इन जवानों की सेवाएं दैनिक भत्ते/मजदूरी के आधार पर ली जाती हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इनकी दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को सचिवालयकर्मी के रूप में सेवायोजित करने की कोई योजना बना रही है, भले ही उन्हें दैनिक भत्ते के रूप में ही भर्ती किया जाए ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जहाँ तक मजदूरी का प्रश्न है, हमारी सरकार ने दैनिक भत्ते के रूप में जहाँ पहले 50 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 65 रुपये कर दिया है। पूर्व में अन्तर्जनपदीय मजदूरी के रूप में जहाँ इन्हें 55 रुपये मिलते थे, हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया है। प्रान्तीय रक्षक दल के प्रशिक्षित जवानों को विभिन्न विभागों में दैनिक मजदूर के रूप में रखने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके परिणामस्वरूप हमारी सरकार द्वारा 400 जवानों को विभिन्न विभागों में दैनिक मजदूर के रूप में रखा गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सचिवालयकर्मी के रूप में किसी को रखा गया है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 400 प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों को विभिन्न विभागों में रखा गया है। जहाँ तक सचिवालय सुरक्षाकर्मी के रूप में रखने की बात है, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या प्रान्तीय रक्षक दल के लोगों की कोई आयु सीमा निर्धारित है ?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आयु सीमा का क्योंकि प्रश्न नहीं है, इन जवानों को स्वयंसेवक भी माना जाता है, जब तक वे शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तब तक वे काम कर सकते हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एल0टी0,बी0एड0 प्रशिक्षितों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत नियुक्ति देने की योजना

"7–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में

एल0टी0, बी0एड0 प्रशिक्षितों को विशिष्ट बी0टी0सी0 के तहत नियुक्ति देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–7 पर श्रीमती आशा नौटियाल जी का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं हुईं।

जनपद चमोली में भेड़ों एवं बकरियों की अज्ञात बीमारी का पता लगाने एवं दवाइयों का वितरण

*8–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या पशुधन मंत्री को यह ज्ञात है कि जनपद चमोली में भेड़ों एवं बकरियों में अज्ञात बीमारी के कारण विगत वर्षों में कई भेड़–बकरियाँ मर गई हैं जिसके कारण भेड़ पालकों को काफी क्षति हुई है ?

क्या सरकार इस अज्ञात बीमारी का पता लगाने तथा इस बीमारी की रोकथाम के लिए भेड़ पालकों को दवाइयाँ उपलब्ध करायेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

भेड़–बकरियों में अज्ञात बीमारी का पता लगाने के लिए मृत भेड़–बकरियों के अवयव (मैटेरियल) प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गये, भेड़–बकरियों में मृत्यु का कारण पी0पी0आर0 बीमारी होना पाया गया, ग्रसित भेड़–बकरियों की चिकित्सा तद्नुसार की गई तथा बीमारी पर नियंत्रण कर लिया गया है, भविष्य में बीमारी न फैलने पाये इस हेतु दवा/वैक्सीन आदि की व्यवस्था निरन्तर बनाये रखी जा रही है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ, क्या इन भेड़ मालिकों को मुआवजे के रूप में कोई धनराशि सरकार द्वारा दी गयी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, दिनांक 10–7–2000 को बद्रीनाथ क्षेत्र के खीरो, लोरी, मलारी, मरापट्टा, बुग्याल तथा क्वारी बुग्याल के गाँवों से सूचना प्राप्त हुई थी कि इन गाँवों की भेड़–बकरियों में अज्ञात बीमारी से मौतें हो रही हैं। सूचना प्राप्ति के तत्काल बाद 10–7–2000 को ही दो सचल दलों का गठन कर बुग्याल भेजा गया। एक और दल

दिनांक 12–7–2000 को भेजा गया। दिनांक 12–7–2000 को ही मृत भेड़–बकरियों के अवयवों के नमूने लेकर आई0वी0आर0आई0 मुक्तेश्वर को परीक्षण हेतु भेजे गये। सचल दल द्वारा प्रभावित भेड़–बकरियों का उपलब्ध दवाओं से इलाज कराया गया। आई0वी0आर0आई0 ने दिनांक 31–7–2000 को रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसमें बताया गया कि भेड़–बकरियों की मृत्यु पी0पी0आर0 नामक रोग से हुई है। मान्यवर, दल द्वारा 942 भेड़–बकरियों की चिकित्सा की गई तथा 600 अन्य को सुरक्षात्मक दवापान कराया गया। मान्यवर, जो दवा उस समय सरकार के पास उपलब्ध नहीं थी, वर्तमान में सरकार के पास उपलब्ध है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, आपने एक ही क्षेत्र विशेष का उल्लेख किया है। पोखरी, घाट में भी भेड़–बकरी मरी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्या सरकार ने इस क्षेत्र में भी कोई व्यवस्था की है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस क्षेत्र में भी हमने इस बीमारी को रोकने की व्यवस्था की। मान्यवर, यह संक्रामक बीमारी है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बुखार टाईप की बीमारी क्या है तथा वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं थी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह पी0पी0आर0 नामक रोग है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, मान्यवर, पहले यह हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, किन्तु वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि चमोली जिले के अलावा और जिलों की सूचना भी है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जहाँ से सूचना आती है, मैं तुरन्त कार्यवाही करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र यमकेश्वर में इस बीमारी से कई पशु मर गये हैं। मान्यवर, वहाँ पर जो फार्मेसिस्ट हैं, उन्होंने इसकी सूचना दी। लेकिन, उस पर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस विषय पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास आ जायेगी, तब हम कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट– तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद टिहरी के घनसाली क्षेत्र में स्थानीय एवं विभागीय भेड़ों से प्रतिवर्ष अर्जित ऊन की विपणन नीति

1—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पशुधन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड घनसाली में स्थानीय एवं विभागीय भेड़ों की कुल कितनी संख्या है तथा उनसे कितना ऊन प्रतिवर्ष अर्जित किया जाता है।

क्या सरकार द्वारा उपार्जित ऊन विपणन की कोई नीति बनाई गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड घनसाली में स्थानीय भेड़ों की संख्या 9045 एवं विभागीय भेड़ों की कुल संख्या 385 है तथा इनसे लगभग 120 कुन्तल ऊन प्रतिवर्ष अर्जित किया जाता है।

केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड को शत प्रतिशत वित्त पोषित रुपये 718.70 लाख की योजना प्रस्तुत की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षकों एवं छात्रों की कमी के कारण बन्द विद्यालयों की स्थिति

2—श्री मदन कौशिक—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कमी के कारण बन्द हैं तथा कितने विद्यालय छात्रों की संख्या न होने के कारण बन्द पड़े हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण 04 विद्यालय बन्द हैं तथा छात्रों की संख्या न होने के कारण 09 विद्यालय बन्द हैं।

जनपद चमोली के निजमुला, उर्गम, टंगसा, बछेर, पाण्डुकेश्वर हाई स्कूलों के उच्चीकृत का प्रस्ताव

3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ जनपद चमोली की निजमुला, उर्गम, टंगसा, बछेर, पाण्डुकेश्वर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जनपद चमोली के रा0उ0मा0 विद्यालय निजमुला, उर्गम, टगसा तथा बछेर के उच्चीकरण के प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुए हैं। रा0उ0मा0 विद्यालय पाण्डुकेश्वर के उच्चीकरण के प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उक्त विद्यालय इण्टर स्तर पर उच्चीकरण हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के बद्रीनाथ क्षेत्रान्तर्गत जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकरण किये जाने विषयक

4–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के बद्रीनाथ विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत जूनियर हाई स्कूल सरतोली, ईराणी, मैठाणा, गौणा, देवखाल, कुजोमैकोट, टंगणी, पैनी, पलेठी, रैणी तथा पाखी का उच्चीकरण हाई स्कूल स्तर पर किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जूनियर हाई स्कूल गौणा एवं देवखाल के हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव सम्प्रति शासन के विचाराधीन हैं। शेष विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

गोपेश्वर से अपर निदेशक, पशुपालन के कार्यालय का संचालन

5–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अपर निदेशक, पशुपालन के कार्यालय का संचालन गोपेश्वर से किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

...श्वर के जड़ी-बूटी शोध संस्थान में वैज्ञानिक आदि पदों के सृजन का प्रस्ताव

6—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी-बूटी शोध संस्थान, गोपेश्वर में वैज्ञानिक आदि पदों से सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)—

जी हाँ।

पूर्ववर्ती उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत 15 अस्थाई पदों को पुर्नजीवित करने की कार्यवाही विचाराधीन है शीघ्र निर्णय लिए जाने की सम्भावना है। संस्थान की प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा नियमित नियुक्ति होने अथवा एक वर्ष की अवधि हेतु वैज्ञानिक-5 पद, कम्प्यूटर सहायक-2 पद, वैयक्तिक सहायक-1 पद, तकनीकी सहायक-1 पद तथा लेखाकार-1 पद की पूर्ति हेतु निदेश को स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

7—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा भेजी गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें छात्रों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ?

यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा भेजी गयी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें छात्रों को वितरित की जा चुकी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रधान प्रबन्धक पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति

8—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रधान प्रबन्धक दुग्ध विज्ञान एवं दुग्ध सहकारिता में प्रशिक्षित एवं अनुभवी है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार किसी अनुभवी प्रबन्धक को अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

वर्तमान में डा0 एस0एस0 कुटोला, अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के प्रधान प्रबन्धक के पद पर तैनात है, ये दुग्ध विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं हैं, डा0 कुटोला पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक हैं। पशुचिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षण के दौरान दुग्ध विज्ञान की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

डा0 कुटोला फरवरी, 1991 से विभाग से जुड़े हैं तथा उन्हें विभागीय कार्य का 12 वर्ष का अनुभव है वर्तमान में डा0 कुटोला को दुग्ध संघ अल्मोड़ा के प्रधान प्रबन्धक के पद से हटाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है,

प्रश्न नहीं उठता।

महिला डेयरी विकास उत्तरांचल अल्मोड़ा के उच्च अधिकारियों के हवाई यात्रा पर व्यय

9—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह जुलाई, 2002 में महिला डेयरी विकास उत्तरांचल, अल्मोड़ा के निदेशक व अपर निदेशक द्वारा एक सेमिनार में भाग लेने हेतु दिल्ली से पुणे और पुणे से दिल्ली की यात्रा हवाई जहाज द्वारा की गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत थे ?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अधिकारियों के यात्रा भत्ता पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ, माह जुलाई, 2002 में महिला डेरी विकास उत्तरांचल, अल्मोड़ा के निदेशक एवं अपर निदेशक ने बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान पुणे में दिनांक 23–7–2002 से 26–7–2002 तक आयोजित महिला डेरी सहकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने हेतु जनहित एवं परियोजना हित में हवाई यात्रा की थी।

शासनादेश संख्या 2432/28-8-93-4 (14दु0/92) दिनांक 9 जुलाई, 1993 द्वारा निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना, उत्तरांचल को विभाग प्रमुख के रूप में यात्रा भत्ते के प्रयोजन हेतु पी0सी0डी0एफ0 में प्रचलित एवं महिला डेरी विकास, उत्तरांचल में लागू यात्रा भत्ता के नियमों के अन्तर्गत कोटि-1 का अधिकारी घोषित किया है, जो कि हवाई यात्रा करने के लिए अधिकृत/अनुमन्य है और अपर निदेशक द्वारा उक्त यात्रा निदेशक महिला डेरी परियोजना की अनुमति से की गई थी।

इस यात्रा में उक्त दोनों अधिकारियों के जाने व आने में हवाई जहाज यात्रा पर कुल रू0 23,996.00 (रू0 तेईस हजार नौ सौ छियानवें मात्र) व्यय हुआ है।

जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत, विद्यालयों के भवन निर्माण एवं मरम्मत की माँग

10-श्री बलबीर सिंह नेगी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कितने इण्टर कालेज भवनविहीन हैं तथा कितने इण्टर कालेजों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ?

क्या सरकार इन कालेजों के भवन निर्माण तथा जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत करायेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सम्प्रति कोई इण्टर कालेज भवनविहीन नहीं है। 04 इण्टर कालेज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।

जी हाँ।

जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन

11-श्री बलबीर सिंह नेगी-

क्या पशुधन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य पालन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु प्रगतिशील काश्तकारों के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य पालन उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु मत्स्य विभाग में मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत तालाब सुधार/निर्माण हेतु संस्थागत वित्त एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध है, जनपद में एक मिररकार्प हैचरी का निर्माण प्रस्तावित है, हैंवलघाटी एवं घनसाली क्षेत्र में उपयुक्त स्थल उपलब्ध होने पर हैचरी का निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में गठित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की "काउन्सलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन" से सम्बद्धता

12–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल का पृथक रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठित हो जाने के फलस्वरूप "काउन्सलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन" से सम्बद्धता हासिल कर ली गई थी ?

यदि हाँ, तो उक्त बोर्ड द्वारा किन कारणों से सम्बद्धता से इन्कार किया जा रहा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में भवनहीन विद्यालयों में भवन निर्माण

13–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में कितने हाई स्कूल विद्यालय भवनहीन हैं ?

क्या सरकार ऐसे भवनहीन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण करायेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में 03 रा0उ0मा0विद्यालय भवनहीन हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा परियोजना के परिणामों की जानकारी

14–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा परियोजना (डी0पी0ई0पी0) उत्तरांचल के समस्त जिलों में चलाई जा रही है ?

यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम उत्तरांचल के 06 जनपदों बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी एवं हरिद्वार में संचालित की जा रही है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के मुख्य–मुख्य परिणाम निम्नवत् रहे :–

1. 299 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
2. 209 जीर्ण–शीर्ण प्रा0वि0 का पुनर्निर्माण
3. 686 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण
4. 286 एन0पी0आर0सी0 भवनों का निर्माण
5. 32 बी0आर0सी0 भवनों का निर्माण
6. 1418 शौचालयों का निर्माण
7. 8145 अध्यापकों को शिक्षण सहायक सामग्री के लिए अध्यापक अनुदान रु0 500/– प्रति अध्यापक की दर से वितरित किया गया।
8. 4390 विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान रु0 2000/– प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध कराया गया।
9. 619 प्रारम्भिक शिक्षा देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों का संचालन कराया गया।
10. 474 शिक्षा गारन्टी केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया।
11. 8465 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया।
12. बालिका शिक्षा के अन्तर्गत 1310 माता शिक्षक संघ तथा 335 महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया।
13. विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास राष्ट्रीय विकलांग संस्थान के साथ सामंजस्य स्थापित कर 1430 बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण तथा 770 बच्चों को उपकरणों का वितरण किया गया।
14. प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.43 लाख बच्चों को परिषदीय तथा राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1–5 तक अध्ययन करने वाले अनु0 जाति, अनु0 जनजाति के बालकों तथा सभी वर्गों की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया।

जनपद टिहरी के भिलंगना विकास खण्ड में डेयरी फार्म इकाईयों का गठन

15–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में डेयरी फार्म इकाईयाँ गठित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इकाईयाँ स्थापित की जायेंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलगना में डेयरी फार्म इकाईयाँ गठित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड भिलंगना अन्तर्गत वर्तमान में 28 दुग्ध समितियाँ गठित हैं और डेरी फार्म इकाईयां भविष्य में इसलिए गठित नहीं हो पाएगी कि विभाग द्वारा डेरी फार्म नहीं बल्कि दुग्ध समितियाँ संचालित की जाती है।

जनपद टिहरी के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में पशु संवर्धन केन्द्रों में गाय, सांड की उपलब्धता की जानकारी

16–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में दुधारू एवं उन्नतिशील प्रजाति के कितने पशु संवर्धन केन्द्र हैं ?

कितने–कितने गाय, सांड किन–किन केन्द्रों में उपलब्ध हैं ?

कितने भैंसा, सांड किन–किन केन्द्रों में उपलब्ध हैं और कितने ऐसे केन्द्र हैं जिनमें सांड उपलब्ध नहीं है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में दुधारू एवं उन्नतशील प्रजाति के 17 पशु संवर्धन केन्द्र हैं।

वर्तमान में उक्त सभी केन्द्रों पर कोई भी गाय अथवा सांड उपलब्ध नहीं है।

उक्त सभी केन्द्रों में कोई भी सांड अथवा भैंसा सांड उपलब्ध नहीं है।

अल्मोड़ा के भैंसवाड़ा चारा अनुसंधान केन्द्र में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण विषयक

17–श्री कैलाश शर्मा–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भैंसवाड़ा चारा अनुसंधान केन्द्र पर वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

दूनागिरी द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा में पं0गो0ब0 पन्त जड़ी–बूटी शोध संस्थान के नाम विभाग की भूमि की जानकारी

18–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दूनागिरी द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा में पंडित गो0ब0 पन्त जड़ी–बूटी शोध संस्थान के नाम विभाग की कोई भूमि है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त भूमि में जड़ी–बूटी शोध संस्थान खोलने हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विभाग में इस प्रकार की कोई योजना क्रियान्वित नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के भवनविहीन 'नारायण तेवाड़ी देवाल' कन्या हाई स्कूल के भवन निर्माण विषयक

19–श्री कैलाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1994 से कार्यरत भवनविहीन कन्या हाई स्कूल नारायण तेवाड़ी देवाल (एन0टी0डी0) का भवन बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विद्यालय सम्प्रति किराये के भवन में संचालित है।

जनपद टिहरी के मिलंगना विकास खण्ड के भेड़ पालकों से उपलब्ध ऊन पर आधारित औद्योगिक इकाई के गठन की योजना

20–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में भेड़ पालकों की संख्या कितनी है तथा प्रतिवर्ष कितना ऊन उपलब्ध होता है ?

क्या सरकार की इस क्षेत्र में ऊन पर आधारित औद्योगिक इकाई गठित करने की कोई योजना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना में भेड़ पालकों की संख्या लगभग 753 है तथा प्रतिवर्ष लगभग 9.30 क्विन्टल ऊन उत्पादित होती है।

जी नहीं। ऊन पर आधारित कोई औद्योगिक इकाई राजकीय सैक्टर में प्रस्तावित नहीं है। यदि कोई निजी उद्यमी ऐसे इकाई लगाना चाहता है, तो उद्योग विभाग द्वारा सहयोग दिया जायेगा।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खण्ड में उत्पन्न माल्टा फल हेतु औद्योगिक इकाईयों के गठन की योजना

21–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में माल्टा फल प्रचुर मात्रा में हैं ?

यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में कोई लघु औद्योगिक इकाईयों का गठन कराये जाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कितनी इकाईयाँ कहाँ–कहाँ स्थापित की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड भिलंगना में उत्पादित माल्टा की खपत वहाँ के स्थानीय बाजार में ही हो जाती है, अतः उत्पादन के अनुपात में कोई लघु औद्योगिक इकाई स्थापित कराने की आवश्यकता नहीं है।

टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में उद्यान इकाई खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

22–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में उद्यान इकाई खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बूढ़ाकेदार क्षेत्र विकास खण्ड घनसाली के अन्तर्गत आता है इस विकास खण्ड के अन्तर्गत पूर्व से ही उद्यान इकाई के रूप में तीन उद्यान सचल दल केन्द्र स्थापित हैं। अतः अभी कोई नया केन्द्र खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 प्रखण्ड नई टिहरी में सम्पादित निर्माण कार्यों के अवशेष भुगतान

23—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (फैक्स फैड), प्रखण्ड नई टिहरी द्वारा जनपद टिहरी में सम्पादित किये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के अवशेष भुगतान एवं बाधित कार्यों को पूरा करने हेतु विभाग की तरफ लगभग रू0 62.00 लाख की देनदारी है ?

क्या सरकार द्वारा नई टिहरी स्थिति प्रखण्ड कार्यालय बन्द कर दिये जाने के उपरान्त भी अवशेष भुगतान एवं बाधित निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रकरण लम्बित रख गया है ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (फैक्स फैड) उ0प्र0 सरकार के नियंत्राधीन है, जनपद टिहरी में सम्पादित किये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों का उत्तरांचल राज्य में विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाना है।

प्रश्न ही नही उठता।

प्रश्न ही नही उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में अशासकीय हाई स्कूल व इण्टर कॉलेजों की संख्या/रिक्त पदों में नियुक्ति एवं प्रांतीयकरण की जानकारी

24—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने अशासकीय हाई स्कूल व इण्टर कॉलेज हैं ?

इन विद्यालयों में रिक्त पदों पर कब से नई नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं ?

क्या शासन उत्तरांचल के ऐसे अशासकीय विद्यालयों के प्रान्तीयकरण किये जाने पर विचार करेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में 280 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज व हाई स्कूल तथा 209 अशासकीय मान्यता प्राप्त इण्टर कॉलेज व हाई स्कूल हैं।

अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति का दायित्व प्रबन्ध तंत्र का है तथा उत्तरांचल गठन के उपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में नई नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं।

अशासकीय विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की सम्प्रति कोई नीति नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष 1996 में अल्मोड़ा दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

25–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1996 में अल्मोड़ा व बागेश्वर में नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्मोड़ा दुग्ध संघ को भ्रूण प्रत्यारोपण योजना हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा इसका उपयोग स्वीकृत योजना हेतु किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष 1996–97 में उत्तरांचल विकास, उ0प्र0, लखनऊ के शासनादेश संख्या 762/28–8–96–4 (22–दु0)/96, दिनांक 27–6–96 के द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण हेतु अल्मोड़ा/ बागेश्वर जनपदों हेतु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा को रु0 15.30 लाख स्वीकृत किये गये थे, जिसके सापेक्ष रु0 4.625 लाख रु0 उपयोग किये जा चुके हैं तथा रु0 10.675 लाख शेष बचे हैं, शेष धनराशि तकनीकी कारणोंवश उपयोग नहीं की जा सकी है, जिसे शासन को समर्पण की कार्यवाही की जा रही है। यह योजना पाँच वर्षों के लिए थी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में हाई स्कूलों के उच्चीकरण एवं नवीन हाई स्कूल खोलने के प्रस्ताव

26–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कितने हाई स्कूलों को इण्टर स्तर तक उच्चीकृत किये जाने एवं नवीन हाई स्कूलों को खोले जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन रहे तथा कितने विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में 62 रा0उ0मा0 विद्यालयों का इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किये जाने तथा 42 नवीन हाई स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन रहे। इनमें से 06 रा0उ0मा0 विद्यालयों को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण तथा 09 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्तर पर उच्चीकरण किया गया है।

वर्ष 2001–2002 में उत्तरकाशी में चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित धनराशि की जानकारी

27–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में चारा विकास अधिकारी द्वारा चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का वितरण (व्यय) वर्ष 2001–02 में किया गया ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्ष 2001–02 में चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन स्तर से बजट/धनराशि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, नौगाँव, उत्तरकाशी को अपने मूल कार्यालय में भेजे जाने विषयक

28–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नौगाँव जनपद उत्तरकाशी को शिक्षा विभाग साक्षरता प्रकोष्ठ देहरादून से सम्बद्ध किया गया है ?

उन्हें कब तक अपने मूल कार्यालय नौगाँव भेजा जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बी0टी0सी0 समकक्ष पदों पर नियुक्ति विषयक

29–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से प्राप्त शिक्षालंकार (बैचलर ऑफ एजुकेशन) व शिक्षा प्रवेशिका/प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र को बी0टी0सी0 समकक्ष माना गया है ?

क्या उपरोक्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त नहीं है।

उत्तरकाशी में खुले 8 कन्या जूनियर हाई स्कूलों के संचालन की जानकारी

30–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में दशम् वित्त आयोग के तहत 08 कन्या जूनियर हाई स्कूल खुले हैं ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं ?

यदि नहीं, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के राजकीय आदर्श विद्यालयों में तैनात अध्यापकों की स्थिति

31–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जो 28 राजकीय आदर्श विद्यालय हैं उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

क्या प्रत्येक विद्यालय में छात्र मानकों के अनुसार अध्यापक तैनात किये गये हैं?

यदि नहीं, तो बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापकों का समायोजन उक्त विद्यालयों में छात्र हितों के प्रति किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरकाशी में 28 राजकीय आदर्श विद्यालयों मे कुल 25 अध्यापक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को आदर्श विद्यालयों में समायोजित की कोई नीति नहीं है।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में फलोद्यान विभाग के सचल दलों की जानकारी

32–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में फलोद्यान विभाग के कितने सचल दल कहाँ–कहाँ काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उद्यान विभाग के दो उद्यान सचल दल केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

1–बिथ्याणी।

2–बैलूरीण।

यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के उच्चीकरण की माँग

33–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनचट्टी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महादेव चट्टी (यमकेश्वर) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माडई (दुगड्डा) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण झूला व उच्च प्राथमिक विद्यालय माला (यमकेश्वर) का सरकार उच्चीकरण करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रश्नगत विद्यालयों के उच्चीकरण पर वित्तीय उपाशयता के दृष्टिगत वर्तमान में विचार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उखलेत, एकेश्वर (पौड़ी) में महाशेर मत्स्य प्रक्षेत्र प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

34–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास क्षेत्र एकेश्वर के उखलेत (सतपुली) में महाशेर मत्स्य प्रक्षेत्र प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु धन स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी के सतपुली नामक स्थान पर महाशेर हैचरी के निर्माण हेतु रु0 82.15 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में स्वीकृत की गई थी। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग निर्धारित है, स्थल पर वृक्षों के कारण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति में विलम्ब होने से समय पर निर्माण कार्य सम्पादित नहीं हो सका, दिनांक 08–11–2000 को डी0सी0एल0 लैप्स हो गई उक्त योजना में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड पौड़ी के खाते में रु0 7635371/– की धनराशि शेष थी।

लैप्स धनराशि के पुनर्जीवित होने पर केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

यमकेश्वर क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों के भवन निर्माण पूर्ण कराने विषयक

35–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय असनेत (द्वारीखाल), सुण्डल, हथनूड (काण्डाखाल), जुड़ा, मोहनी, गोला, बागी छोटी, गंगा भोगपुर तल्ला (विकास खण्ड यमकेश्वर) का निर्माण कार्य अधूरा है ?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय भवन पूर्ण कराने के लिए कोई कार्यवाही की है तथा कब तक भवन पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्राथमिक विद्यालय असनेत (द्वारीखाल), मोहनी तथा छोटी बागी (विकास खण्ड यमकेश्वर) के विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है तथा शेष के विद्यालय भवन पूर्ण हैं।

जी हाँ, यथाशीघ्र।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में नकुर्ची उच्च प्राथमिक विद्यालय में सृजित पदों की जानकारी

36–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल की ग्राम सभा नकुर्ची उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के कितने पद सृजित हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की ग्राम सभा नकुर्दी में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत नहीं है। इसलिए पद सृजन का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी व टिहरी में फैक्स पैड द्वारा बेसिक पाठशालाओं के अपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी

37–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी तथा जनपद टिहरी गढ़वाल में फैक्स पैड द्वारा कितने बेसिक, पाठशाला भवन तथा कितने जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण कार्य अपूर्ण है ?

क्या सरकार इन अधूरे भवनों के निर्माण हेतु कार्यवाही कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी में फैक्स पैड द्वारा कोई बेसिक पाठशाला भवन तथा जूनियर हाई स्कूल भवन अपूर्ण नहीं है। जनपद टिहरी गढ़वाल में 13 प्राथमिक विद्यालय एवं 20 जूनियर हाई स्कूलों का निर्माण कार्य अपूर्ण है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में राजकीय फलोद्यानों की संख्या, लाभ–हानि की स्थिति तथा इनके उत्थान की योजना

38–श्री मातबर सिंह कण्डारी व श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में कितने राजकीय फलोद्यान हैं ?

इनमें से प्रत्येक की लाभ–हानि की स्थिति क्या है ?

हानि में चल रहे फलोद्यानों को उबारने के लिए क्या कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल में 94 फलोद्यान हैं। 89 उद्यान हानि में तथा 5 लाभ में हैं। 27 उद्यानों को आदर्श उद्यानों के रूप में विकसित किये जाने की योजना है जिसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। शेष उद्यानों को प्रतिष्ठित कम्पनियों/उद्यानपतियों को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों के संचालन हेतु दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की योजना है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग, पट्टी बछणस्यूँ में निर्मित नैसर्गिक पशुपालन केन्द्र की जानकारी

39—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की ग्राम सभा खांकरा पट्टी बछणस्यूँ में नैसर्गिक पशुपालन केन्द्र के भवन का निर्माण कब हुआ था?

क्या सरकार द्वारा उक्त भवन का सदुपयोग हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

खांकरा में जलागम द्वारा नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र के भवन का निर्माण माह मार्च, वर्ष 1989 में किया गया, जलागम योजना समाप्त होने पर उक्त भवन माह अक्टूबर वर्ष, 1992 को विभाग को हस्तान्तरित हुआ।

दिनांक 18—08—1999 को उक्त भवन को ग्राम सभा फतेहपुर (खांकरा) के स्वामित्व में हस्तान्तरित किया गया जिसका सदुपयोग ग्राम सभा द्वारा जनहित में किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य के जूनियर हाई स्कूलों में परिचारकों के पदों के सृजन पर विचार

40—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में जूनियर हाई स्कूलों में परिचारकों के पदों का सृजन किये जाने का कोई प्रस्ताव, शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उल्लिखित पद सृजित कर दिये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जून, 2002 में अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु विधायकों द्वारा दी गई सूचियों की जानकारी

41—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा माह जून, सन् 2002 में विधायकों से पाँच—पाँच अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु नाम माँगे गये थे ?

क्या स्थानान्तरण विधायकों द्वारा दी गई सूचियों के अनुरूप हुए हैं ?

यदि नहीं, तो सूचियाँ माँगने का औचित्य क्या था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

माननीय विधायकों द्वारा संस्तुत/अग्रसारित सम्बन्धित अध्यापकों का इच्छित स्थान पर पद रिक्त होने पर यथा सम्भव स्थानान्तरण करने का प्रयास किया गया। जहाँ स्थान रिक्त नहीं था व शासनादेश के अनुरूप प्रकरण समीचीन नहीं था, ऐसे स्थानान्तरण संभव नही हो सके।

मा0 विधायकों से जनहित में क्षेत्रीय समस्या के दृष्टिगत सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उत्तरकाशी में जिला शिक्षा कार्यक्रम व सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने की जानकारी

42–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम व सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकें उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी की पट्टी दिचली में टिहरी बाँध प्रभावित क्षेत्र के गाँवों के छात्रों की शिक्षा व्यवस्था

43–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञान है कि जनपद उत्तरकाशी में पट्टी दिचली (गमटी) के टिहरी बाँध प्रभावित क्षेत्र के गाँवों के छात्रों को इण्टर तक की शिक्षा के लिए छाम आना पड़ता है ?

नल्डोगी व स्यांसू में भागीरथी पर बने पुल के डूबने से उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्नगत विद्यालयों के अन्यत्र स्थानान्तरण का प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य विहीन राजकीय इण्टर कॉलेजों की संख्या तथा उन पर नियुक्ति

44–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के कुल कितने राजकीय इण्टर कॉलेज प्रधानाचार्य विहीन हैं ?

क्या इन कॉलेजों में प्रधानाचार्य तैनात किये जायेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के 26 राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अद्यतन स्थिति

45–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज रुद्रपयाग के भवन निर्माण हेतु 0.301 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तानान्तरण कर लिया गया है।

उत्तरकाशी के राजकीय आदर्श विद्यालयों में छात्र एवं अध्यापकों का मानक

46–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय आदर्श विद्यालयों में कुल कितने छात्र छात्रायें अध्ययनरत हैं ?

क्या उनमें अध्यापक मानकों के अनुरूप हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय आदर्श विद्यालयों में कुल 1755 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।

जी नहीं।

राजकीय आदर्श विद्यालयों में अध्यापकों का संवर्ग मृत संवर्ग घोषित है।

उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज कोटधार में प्रवक्ताओं के स्वीकृत पद तथा उन पर नियुक्ति

47—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज कोटधार (दशमी) में प्रवक्ताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने प्रवक्ता वर्तमान में तैनात हैं ?

प्रवक्ता के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

राजकीय इण्टर कॉलेज कोटधार (दशमी) उत्तरकाशी में प्रवक्ताओं के सृजित पदों, भरे हुए पद तथा रिक्त पदों के विवरण निम्नवत् हैं :—

सृजित पदों की संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3
09	01	08

वर्तमान 01 प्रवक्ता तथा 03 शिक्षा बन्धु, इस प्रकार कुल 04 शिक्षक कार्यरत हैं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज चिन्यालीसौड़ में कक्षावार छात्रों की संख्या एवं कक्षों की व्यवस्था

48—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज चिन्यालीसौड़ में कक्षावार छात्र संख्या क्या है ?

क्या कक्षावार छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है ?

यदि नहीं, तो छात्रों की संख्यानुसार कक्ष कब तक बना लिये जायेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

राजकीय इण्टर कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में कक्षावार छात्र संख्या निम्नवत् है :—

कक्षा	छात्र संख्या
1	2
कक्षा—6	65
कक्षा—7	76
कक्षा—8	61
कक्षा—9	215

1	2
कक्षा–10	286
कक्षा–11	180
कक्षा–12	105
योग–	988

जी नहीं।

यथाशीघ्र।

शिक्षा आचार्यों के मानदेय में वृद्धि की माँग

49–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा बन्धुओं तथा शिक्षा मित्रों की भाँति शिक्षा आचार्यों के मानदेय में पाँच सौ रुपये की वृद्धि की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रा0बा0इ0 कॉलेज रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु भूमि की स्वीकृति एवं निर्माण की जानकारी

50–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रा0बा0इ0कॉ0 रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार एवं उत्तरांचल सरकार द्वारा वन भूमि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार को फल पट्टी घोषित करने की जानकारी

51–काजी निजामुद्दीन–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार को उत्तरांचल सरकार फल पट्टी घोषित करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा मंगलौर, हरिद्वार में कार्यरत लघु/कुटीर उद्योग इकाईयों की संख्या

52–काजी निजामुद्दीन–

क्या लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कस्बा मंगलौर, जनपद हरिद्वार में कुटीर उद्योग क्या–क्या हैं ? और किस–किस लघु एवं कुटीर उद्योग की कितनी–कितनी इकाईयाँ कस्बा मंगलौर में कार्यरत हैं ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उपलब्ध सूचनानुसार कस्बा मंगलौर (जनपद हरिद्वार) में हथकरघा उद्योग, टोकरी निर्माण, चिक निर्माण, फर्नीचर निर्माण, बुग्गी बनाना, कृत्रिम ज्वैलरी, वाशिंग शॉप निर्माण, मोमबत्ती निर्माण एवं जूता निर्माण आदि के कुटीर उद्योग स्थापित हैं। कस्बा मंगलौर में लघु एवं कुटीर उद्योग इकाईयों की प्राप्त सूचनानुसार कुल संख्या 88 है, जो निम्नवत् है :–

लघु/कुटीर उद्योग	संख्या
1. आटा चक्की	5
2. रेडीमेड गारमेन्ट	5
3. बेकरी	1
4. टी0वी0 रेपेयरिंग	1
5. रैक्सीन चप्पल	16
6. कोल्ड स्टोरेज	1
7. पशु आहार	1
8. जूता निर्माण	1
9. बिजली रिपेयरिंग	2
10. कृषि उपकरण	1
11. वाशिंग शॉप	1
12. मोमबत्ती	1
13. स्टील फैब्रीकेशन	1
14. ड्राईंग सर्वे	2
15. डस्टबिन	1
16. ट्रैक्टर रिपेयरिंग	1
17. हैण्डलूम	25
18. बुग्गी बनाना	10
19. फर्नीचर निर्माण	5
20. आर्टिफिशियल ज्वैलरी	3
21. चिक निर्माण	3
22. टोकरी निर्माण	1

पिथौरागढ़ के रा0इ0कॉलेज पांखू में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति की माँग

53–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री मिज्ञ हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के रा0इ0कॉ0 पांखू में विज्ञान वर्ग में प्रवक्ता के पद रिक्त होने के कारण विज्ञान वर्ग की कक्षायें सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में यथाशीघ्र उक्त पद पर नियुक्ति करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग के मण्डलीय कार्यालयों को पुनर्जीवित करने का विचार

54–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने सहकारिता विभाग के मण्डलीय कार्यालय समाप्त कर दिये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उनको पुनर्जीवित करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

मण्डलीय कार्यालयों को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों पर शासन स्तर पर विचार विमर्श हो रहे हैं जिसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल स्थित बन्द पड़ी हल्दूचौड़ सोयाबीन फैक्ट्री को पुनः चालू करने का विचार

55–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित हल्दूचौड़ सोयाबीन फैक्ट्री बन्द पड़ी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्री को चलाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

सोयाबीन फैक्ट्री हल्दूचौड़ उ०प्र० सहकारिता संघ लि०, लखनऊ (पी०सी०एफ०) के नियंत्रणाधीन है, पी०सी०एफ० द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धन करा लिया गया था। केन्द्रीय निबन्धक, भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2002 में उक्त निबन्धन निरस्त कर दिया गया है, जिससे उ०प्र० एवं उत्तरांचल राज्य के मध्य पी०सी०एफ० उ०प्र० की परिसम्पत्तियों का बंटवारा करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है, परिसम्पत्तियों के बंटवारे के पश्चात उक्त फैक्ट्री की चलाने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

पिथौरागढ़ में शारीरिक शिक्षा विद्यालय खोलने की माँग

56–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में शारीरिक शिक्षा विद्यालय खोले जाने की माँग स्थानीय जनता से प्राप्त हुई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ में शारीरिक शिक्षा विद्यालय स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त रा०इ०कॉलेज गोरंगचौड़ के भवन की मरम्मत

57–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अतिवृष्टि के कारण राजकीय इण्टर कॉलेज, गौरंगचौड़, पिथौरागढ़, का भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कक्षाओं के सफल संचालन हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

क्या विद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं, अपितु राजकीय इण्टर कॉलेज गौरंगचौड़, पिथौरागढ़ की छत क्षतिग्रस्त हुई है।

अध्यापक अभिभावक समिति द्वारा छत की मरम्मत कर वैकल्पिक अस्थाई व्यवस्था कर ली गई है। विद्यार्थियों हेतु समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय से 02 कक्ष भी अधिगृहित किये गये हैं।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय हाई स्कूल व इण्टर कॉलेजों के रिक्त शिक्षकों के पदों की संख्या एवं उन पर नियुक्ति

58–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के अशासकीय हाई स्कूल तथा इण्टर कॉलेजों में शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल राज्य के अशासकीय हाई स्कूल तथा इण्टर कॉलेजों में शिक्षकों के कुल 1240 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा बंधुओं की नियुक्ति विषयक

59–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कॉलेजों की भाँति अशासकीय विद्यालयों में भी शिक्षा बन्धुओं की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी स्थित चम्बा में फल पट्टी योजना एवं आवंटित पट्टों के नियमितीकरण की जानकारी

60—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या औद्यानिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चम्बा जनपद टिहरी गढ़वाल में फल पट्टी योजना कब बनायी गयी ?

क्या उद्यानपतियों को आवंटित पट्टों का नियमितीकरण किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

चम्बा मसूरी फल पट्टी योजना का अनुमोदन शासनादेश सं0 5610/एल0एफ0/17जी—186एफ/62/दिनांक 21—3—64 द्वारा किया गया।

जी नहीं।

शासनादेश में नियमितीकरण का प्राविधान नहीं है।

पशुपालन विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को दिये गये कार्यों/शर्तों की जानकारी

61—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पशुपालन विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को क्या—क्या कार्य किन—किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

पशुपालन विभाग द्वारा कोई भी कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं को नहीं दिये गये हैं।

सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी

62—श्री प्रकाश पन्त—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहकारी समितियों के सचिव लम्बे समय से वेतन पुनरीक्षण की माँग कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके वेतन पुनरीक्षण पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पैक्स सचिवों का वेतन भुगतान जिला सहकारी बैंकों में जिला स्तर पर संचालित कैडर फण्ड से किया जाता है जिसमें समिति, बैंक एवं शासन का अंशदान प्राप्त होता है जो कि सचिवों के वेतन भुगतान से अत्यधिक न्यून होने के कारण अधिकांश जिला सहकारी बैंकों में उक्त खाते (कैडर फण्ड) में अधिविकर्ष हो गया है, जिससे बैंकों को हानि हो रही है एवं उक्त धनराशि उनके एन0पी0ए0 में सम्मिलित की जा रही है, शासन स्तर से कैडर फण्ड में धनाभाव के कारण समुचित प्रतिपूर्ति की जानी सम्भव नहीं हो रही है।

विण व मूनाकोट (पिथौरागढ़) में बेसिक तथा जूनियर स्तर विद्यालयों की संख्या एवं अध्यापकों को सेवायोजित करने विषयक

63--श्री प्रकाश पन्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण तथा मूनाकोट में बेसिक तथा जूनियर स्तर के कितने विद्यालय हैं ?

क्या इन विद्यालयों में मानकों के अनुरूप शिक्षक कार्यरत हैं ?

क्या कोई विद्यालय अध्यापक विहीन भी है ?

यदि हाँ, तो उन विद्यालयों में कब तक अध्यापक सेवायोजित कर दिये जायेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

विकास खण्ड विण एवं मूनाकोट में बेसिक तथा जूनियर स्तर के कुल 289 विद्यालय हैं।

जी नहीं।

विकास खण्ड विण में कोई भी विद्यालय अध्यापक विहीन नहीं है। विकास खण्ड मूनाकोट में 07 विद्यालय असंचालित हैं।

यथासमय।

सभी जनपदों के खेल विभाग में कार्यरत उप क्रीड़ाधिकारी/सहायक प्रशिक्षकों का नियमितीकरण

64--श्री प्रकाश पन्त--

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के सभी जनपदों के खेल विभाग में उप क्रीड़ा अधिकारी/सहायक प्रशिक्षक पदनाम से खेल प्रशिक्षक कार्यरत हैं?

यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या ?

क्या सभी प्रशिक्षक नियमित किये जा चुके हैं ?

यदि नहीं, तो कब तक नियमित किये जायेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह--

जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, हरिद्वार एवं बागेश्वर के अतिरिक्त सभी जनपदों में उप क्रीड़ा अधिकारी अथवा सहायक प्रशिक्षक कार्यरत हैं। जनपद टिहरी,

हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर में जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यरत हैं।

उत्तरांचल में आठ उप क्रीड़ा अधिकारी एवं पाँच सहायक प्रशिक्षक कार्यरत हैं।

जी नहीं। दो उप क्रीड़ा अधिकारी एवं पाँच सहायक प्रशिक्षक तदर्थ रूप से कार्यरत हैं।

इनके नियमितीकरण से सम्बन्धित वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसके कारण इनके नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कॉलेजों को भवन के रख–रखाव हेतु अवमुक्त धनराशि एवं उसके उपभोग की जानकारी

65–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कॉलेजों तथा राजकीय इण्टर कॉलेजों के भवनों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2001–2002 तथा 2002–2003 में कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ?

क्या सभी विद्यालयों हेतु प्राप्त धन का उपभोग कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ स्थित राजकीय बालिका इण्टर कॉलेजों तथा राजकीय इण्टर कॉलेजों के भवनों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2001–2002 में रु0 2.50 लाख तथा वर्ष 2002–2003 में रु0 150 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इण्टर कॉलेज, पिथौरागढ़, बड़ाबे, नाकोट, शैलकुमारी, बांस एवं चौरपाल में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की माँग

66–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज, बड़ाबे, नाकोट, शैलकुमारी, बांस, चौरपाल तथा राजकीय इण्टर कॉलेज, पिथौरागढ़, जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो कब से ?

क्या चालू वर्ष में उक्त सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय इण्टर कॉलेज, बडाबे, नाकोट, बांस तथा चौरपाल में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। राजकीय इण्टर कॉलेज, शैलकुमारी एवं राजकीय इण्टर कॉलेज, पिथौरागढ़ में प्रधानाचार्य के पद रिक्त नहीं हैं।

विद्यालय नाम	रिक्ति की तिथि
1. रा0इ0कॉ0, बडाबे	18–8–92
2. रा0इ0कॉ0, नाकोट	01–7–92
3. रा0इ0कॉ0, बांस	09–3–97
4. रा0इ0कॉ0, चौरपाल	25–5–99

आगामी शैक्षिक सत्र में उक्त विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ कर दिये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के दूनाकोट, बांकू, चौबाटी, आदिचौरा में चाय बागान लगाने की योजना

67–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या उद्यान मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के पमतोली चाय नर्सरी में एक लाख पौधे रोपण के लिए तैयार हैं ?

क्या दूनाकोट, बांकू, चौबाटी, आदिचौरा में मृदा परीक्षण करने के बाद भूमि चाय बागान के लिए उपयुक्त पाई गई ?

क्या सरकार की इन क्षेत्रों में चाय बागान लगाये जाने की योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारिता के माध्यम से चाय बागान विकसित करने की योजना है इस निमित्त नाबार्ड एवं कृषि वित्त निगम से पत्राचार चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के चौड़मन्य रा0इ0 कॉलेज के जर्जर भवन हेतु धन उपलब्ध कराने की माँग

68–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0कॉ0, चौड़मन्य, पिथौरागढ़ के भवन का आगणन शासन को प्राप्त हुआ है ?

क्या यह सत्य है कि विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी हाँ।

जी हाँ।

यथा समय।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण/मूनाकोट में माह जनवरी, 2003 में हुए स्थानान्तरणों की जानकारी

69–श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विकास खण्ड विण/मूनाकोट में माह जनवरी, 2003 में कितने स्थानान्तरण किये ?

क्या यह सत्य है कि इन विकास खण्डों में मानक से अधिक अध्यापक पहले से कार्यरत थे ?

यदि हाँ, तो इन स्थानान्तरणों का क्या औचित्य था ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

बेसिक शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा माह जनवरी, 2003 में विकास खण्ड विण तथा मूनाकोट में 13 स्थानान्तरण किये गये।

जी हाँ।

जानकारी प्राप्त की जा रही है।

प्रदेश के राजकीय उद्यानों को लीज पर निजी कम्पनियों को दिए जाने एवं शर्तों का विवरण

70–श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री अजय भट्ट–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने प्रदेश में कितने राजकीय उद्यानों को किन–किन निजी कम्पनियों को किन शर्तों पर सौंपा है ?

यह सत्य है कि सरकार द्वारा सात उद्यानों को औने–पौने दामों पर निजी कम्पनियों को सौंपा गया है ?

यदि हाँ, तो कम्पनियों का विवरण क्या है ?

क्या सरकार जनहित में क्षेत्रीय गरीब जनता को इन उद्यानों को एक वर्ष की लीज पर दिये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

राज्य सरकार ने 6 उद्यानों को संलग्न विवरण में अंकित संस्थाओं को उल्लिखित शर्तों के अधीन विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों के सम्पादन हेतु सौंपा है।

जी नहीं, सरकार द्वारा 25 वर्ष हेतु लीज पर प्रतिष्ठित संस्थाओं को सौंपा गया है।

संस्थाओं का विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

सरकार दीर्घकालीन लीज पर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने वाली प्रतिष्ठित कम्पनियों/व्यक्तियों को ही इन्हें विभिन्न औद्यानिक गति विधियों के संचालन हेतु देने पर ही विचार करेगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0–154–155 पर)

राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में निर्देशानुसार दो–दो अध्यापकों की तैनाती की जानकारी

71–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों की तैनाती के निर्देश हैं ?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में दो–दो अध्यापक तैनात हैं?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती हेतु बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने के कारण दो–दो अध्यापक प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में तैनात नहीं हैं।

मत्स्य विभाग में बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाओं की जानकारी

72–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मत्स्य पालन विभाग के अन्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार देने की क्या–क्या योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ, मत्स्य विभाग के द्वारा बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन की दृष्टि से ग्रामीण अंचलों में केन्द्रपोषित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना संचालित की जा रही है, योजनान्तर्गत मत्स्य पालन तालाब निर्माण/सुधार हेतु संस्थागत वित्त एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन में अल्पकालीन प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज शासकीय दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समयमान वेतनमान तथा प्रोन्नति की सुविधा

73–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की भाँति बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान तथा प्रोन्नति की सुविधा प्रदान की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नही है।

पिथौरागढ के रा0इ0 कॉलेज, बांस में विज्ञान विषय खोलने की माँग

74–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज, बांस, पिथौरागढ की स्थापना कब हुई थी ?

क्या क्षेत्रीय जनता इण्टरमीडिएट में विज्ञान विषय खोले जाने की माँग कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक विज्ञान संकाय खोल दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय इण्टर कॉलेज, बांस, पिथौरागढ की स्थापना प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप 28–12–1990 को हुई थी।

जी हाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रवक्ताओं एवं एल0टी0 शिक्षकों का विनियमितीकरण

75–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कितने प्रवक्ताओं तथा एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों का विनियमितीकरण कर दिया गया है तथा कितने शेष हैं ?

क्या अवशेष प्रवक्ताओं / एल0टी0 शिक्षकों का विनियमितीकरण शीघ्र कर दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नवत् राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का विनियमितीकरण कर दिया गया है और निम्न कालम–3 पर अंकित शिक्षकों का विनियमितीकरण शेष है :–

पदनाम	विनियमितीकरण जो किया गया	अवशेष
1	2	3
प्रवक्ता	1201	17
एल0टी0	2741	73

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के विण क्षेत्र स्थित जूनियर हाई स्कूल, गोगना के निर्मित विद्यालय भवन के सम्बन्ध में

76–श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड विण में स्थित जूनियर हाई स्कूल, गोगना के विद्यालय भवन का निर्माण किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

क्या उक्त विद्यालय निर्मित भवन में संचालित किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वर्ष 1998 में।

जी नहीं।

क्षेत्रवासियों के परस्पर विवाद के कारण प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में बाल पोषाहार में खाद्यान्न आवंटन की जानकारी

77–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001–2002 में अल्मोड़ा जनपद के किन–किन विकास खण्डों में बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया गया?

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त अवधि में जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया विकास खण्ड में भी बाल पोषाहार के रूप में खाद्यान्न आवंटित किया गया था ?

यदि हाँ, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 2001–2002 में अल्मोड़ा जनपद के सभी विकास खण्डों में बाल पोषाहार (सम्प्रति मध्यान्ह भोजन योजना) के रूप में खाद्यान्न का वितरण किया गया।

जी हाँ।

विकास खण्ड चौखुटिया में बाल पोषाहार (सम्प्रति मध्यान्ह भोजन योजना) के रूप में 569.04 कुन्तल खाद्यान्न का आवंटन किया गया तथा 535.41 कुन्तल का वितरण किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के बेरीनाग, गंगोलीहाट क्षेत्र के बन्द विद्यालयों एवं एकल अध्यापक की जानकारी

78–श्री नारायण राम आर्य–

क्या प्राथमिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग, गंगोलीहाट में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ?

इनमें से कितने बन्द हैं तथा कितने विद्यालयों में एकल अध्यापक हैं ?

क्या सरकार बन्द प्राथमिक विद्यालयों को खोलने तथा एकल विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग में 129 तथा गंगोलीहाट में 150 प्राथमिक विद्यालय हैं।

विकास खण्ड बेरीनाग में एक तथा विकास खण्ड गंगोलीहाट में आठ विद्यालय असंचालित हैं। वि0ख0 बेरीनाग में 36 तथा गंगोलीहाट में 45 विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन की माँग

79–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने हाई स्कूल ऐसे हैं जहाँ चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित नहीं हुए हैं ?

क्या यह सत्य है कि उक्त पद सृजन के अभाव में कतिपय हाई स्कूलों के अध्यापक चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित कार्य करने को विवश हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त पदों का सृजन करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 16 हाई स्कूल ऐसे हैं जहाँ चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित नहीं हैं।

जी नहीं, अपितु अन्य विद्यालयों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी में हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति

80–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में तृतीय श्रेणी के कुल 46 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

सालम पंजा अतीस, कुटकी, जड़ी–बूटी को निकालने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की माँग

81–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या उद्यान मंत्री जी अवगत हैं कि सालम पंजा अतीस, कुटकी, जड़ी–बूटी को प्रतिवर्ष न निकाले जाने के कारण उक्त जड़ी–बूटी का दोहन हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जड़ी–बूटी के निकाले जाने पर से प्रतिबन्ध हटाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

यह प्रजातियाँ पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक भूभाग में काफी ऊँचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, तथा यह प्रजातियाँ वन उत्पाद की प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं, इनको प्राकृतिक स्थलों से विलुप्त प्राय: होने के खतरे से बचाने के लिए इन प्रजातियों के विदोहन पर वैधानिक प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसका विदोहन एवं विपणन भारत सरकार (वन एवं पर्यावरण) विभाग की पूर्वानुमति के बिना सम्भव नहीं है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल विकास हेतु नीति

82–श्री तसलीम अहमद–

क्या खेलकूद मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में खेलों के विकास के लिए खेलकूद नीति बनाई गयी है ?

यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए कोई नीति बनाई गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह –

जी नहीं।

खेल नीति तैयार किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

जनपद हरिद्वार के सुल्तानपुर जनता इण्टर कॉलेज को शासकीय सहायता देने की माँग

83–श्री तसलीम अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1965 में स्थापित जनता इण्टर कॉलेज, सुल्तानपुर, आदमपुर, तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार को पात्र श्रेणी में होते हुए भी शासकीय सहायता क्यों नहीं दी गई ?

इस कॉलेज को कब तक शासकीय सहायता दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

नवगठित उत्तरांचल राज्य में अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने तथा सवित्त मान्यता प्रदान किये जाने के विषय पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

राज्य की प्रत्येक न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना की जानकारी

84—श्री तसलीम अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल की प्रत्येक न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो स्कूल कब तक खोले जावेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की जानकारी

85—श्री प्रकाश पन्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद माह सितम्बर, 2002 तक रिक्त थे ?

क्या वर्तमान में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त युवक, युवतियाँ जनपद में सेवायोजित होने से रह गये ?

क्या प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे ?

यदि हाँ, तो शिक्षकों को नियुक्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में माह सितम्बर, 2002 तक शिक्षकों के 44 पद रिक्त थे।

24 बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों को नियुक्ति दी जा चुकी है शेष 01 अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रकरण गतिमान है।

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में 44 रिक्त पदों को भरने हेतु माह अक्टूबर, 2002 में विज्ञप्ति निकाली गयी थी। 25 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित युवक/युवतियों के आवेदन–पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है। शेष 01 अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रकरण गतिमान है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सी0टी0 मृत संवर्ग शिक्षकों को पंचम वेतनमान का लाभ देने की जानकारी

86—डा0 नारायण सिंह जंतवाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सी0टी0 मृत संवर्ग के शिक्षकों को पंचम वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ केन्द्र से पद से पद की समानता की नीति के आधार पर लागू की गई हैं। सी0टी0 संवर्ग के शिक्षकों हेतु पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियाँ अप्राप्त हैं।

राजकीय आलू फार्मों को घाटे से उबारने की योजना

87—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या औद्यानिक विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे के उत्तरांचल में कितने राजकीय आलू फार्म हैं ?

प्रत्येक की लाभ—हानि की स्थिति क्या है ?

क्या सरकार घाटे में चल रहे राजकीय आलू फार्मों को घाटे से उबारने के लिए कोई योजना बनाए जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरुप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

उत्तरांचल में 10 आलू फार्म हैं।

सभी 10 फार्म हानि में चल रहे हैं।

जी हाँ।

6 फार्मों को आदर्श उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है शेष 4 को विभिन्न औद्यानिक गतिविधियों के संचालन प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं को लीज पर दिया जावेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल सहकारी समिति विधेयक, 2002 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, 2 अप्रैल को माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उत्तरांचल सहकारी समिति, 2002 का एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। मान्यवर, उस विधेयक में यह बात आई कि विधेयक की धारा 98–5, 98–ड, 98–ढ में त्रुटि है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि यह लिपकीय त्रुटि है। मान्यवर, इसमें संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, चूँकि इसको पूरे सम्मानित सदन ने अंगीकृत कर लिया और इसमें केवल महामहिम की अनुमति मिलना शेष है। मान्यवर, इसी त्रुटि में अगर विधेयक को महामहिम जी की अनुमति मिल गई तो उस स्थिति में थोड़ी सी परेशानी का सबब बनेगा। मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूँ। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 196 के अनुसार इसमें यह होना चाहिए कि सरकार की ओर से एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत हो और उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अनुसार उस संशोधन को रखा जाए। मान्यवर, आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूँ ताकि आने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष–

इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली के नियम 160 में सचिव को शाब्दिक संशोधन करने का अधिकार है। मैं इस नियम को पढ़ देता हूँ–नियम 159 के आधीन हस्ताक्षरित प्रति के साथ राज्यपाल को एक विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें विधेयक में किये गये ऐसे शाब्दिक और आनुषंगिक संशोधन या त्रुटियों का शोधन दर्शाया जायेगा जो नियम 147 और 159 के अन्तर्गत किये गये हैं। विधेयक में किये गये इन परिवर्तनों की प्रतिलिपि राज्यपाल की अनुमति की घोषणा से पूर्व सचिव द्वारा पटल पर रखी जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यहाँ पर शाब्दिक नाम दिया है। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसे हम शाब्दिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह धारा जिसमें निबन्धक की धारा 125 स्पष्ट रूप से बताई गई है। जबकि धारा 125 की जगह इसमें दूसरी धारा है।

श्री अध्यक्ष–

हम इसका परीक्षण करा लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण कल सदन के पटल पर रख दिया गया है।

नियम 301 के अन्तर्गत आज श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह पंवार, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रकाश पन्त, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री मदन कौशिक, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरिदास, काजी निजामुद्दीन, श्री नारायण पाल, श्री हरबंस कपूर की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तिलवाड़ा सौराखाल, मयाली रणधार मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा सौराखाल तथा मयाली रणधार मोटर मार्ग का निर्माण हुए 30 वर्ष बीत गये हैं, किन्तु अभी तक उक्त मोटर मार्गों का

नोट — [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डामरीकरण नहीं हुआ है। जनता लम्बे समय से उक्त दोनों मोटर मार्गों के डामरीकरण की माँग कर रही है।

अतः तिलवाड़ा सौराखाल तथा मयाली रणधार मोटर मार्ग का डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर को आवश्यक निर्देश दिलाने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता से की जाए।]

शासन द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत मानदेय पर रखे गये शिक्षा आचार्यों के मानदेय में वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार--

[मान्यवर, वर्ष 2000-2001 में शासन द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत असेवित बस्तियों या गाँवों में जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, विद्या केन्द्रों की स्थापना की गई तथा इन स्थापित किये गये विद्या केन्द्रों में शिक्षा आचार्यों को मानदेय पर रखा गया है। शिक्षा मित्र और शिक्षा आचार्य एक ही योजना के तहत लगाये गये हैं इनका पठन-पाठन एक जैसा तथा दोनों को प्रशिक्षण, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त हुआ है। शिक्षा मित्र व शिक्षा आचार्यों के मानदेय में भारी असमानता है। शिक्षा आचार्यों को मात्र रु0 1000.00 (एक हजार रु0) प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है जो कि बहुत कम है। शिक्षा बन्धुओं तथा शिक्षा मित्रों के मानदेय में वर्तमान सरकार द्वारा रु0 500.00 की वृद्धि की गई है किन्तु शिक्षा आचार्यों के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता एवं बुनियादी सुधार हेतु शिक्षा आचार्यों के मानदेय में वृद्धि की जाय। दोहरी नीति के कारण शिक्षा आचार्यों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय मंत्री जी से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल के लोकायुक्त कार्यालय में अधिकारियों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"--

[मान्यवर, जैसा सर्वविदित है कि उत्तरांचल में लोकायुक्त की स्थापना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु की गई है, परन्तु उक्त कार्यालय में अन्वेषण कार्य प्रगति नहीं कर पा रहा है। आज के समाचार पत्र में उल्लेखित समाचार से ज्ञात हुआ है कि 300 शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में लम्बित हैं। यह अन्वेषण अधिकारीगण की कमी के कारण है।

मेरे द्वारा पत्रांक, अ-29455, दिनांक 4-3-03 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत भी कराकर यह सुझाव दिया गया था कि लोकायुक्त के मुख्य अन्वेषण अधिकारी के रिक्त पद पर आई0पी0एस0 संवर्ग का अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर मानकानुसार सिविल जज, सीनियर डिवीजन अथवा एच0जे0एस0 रैंक के न्यायिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु शासन अनुमति प्रदान कर दे, जिससे उक्त उच्च पद का उपयोग

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल से भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु किया जा सके। परन्तु एक माह के उपरान्त भी शासन द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। फलस्वरूप भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जो जनहित के विरुद्ध है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मै शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पन्त–

[मान्यवर, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में विगत लम्बे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों यथा हृदय रोग विशेषज्ञ, एनस्थिटिक, अस्थि रोग विशेषज्ञ इत्यादि की रिक्तियाँ चली आ रही हैं। पिथौरागढ़ जिले का एक मात्र जिला चिकित्सालय होने के कारण रोगियों की संख्या अधिक है। परन्तु विशेषज्ञ चिकित्सक न होने से क्षेत्रीय जनता को अनुमन्य सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट विकास खण्ड के स्थान दडमाड–कोटयूडा के किनारे गँगास नदी पर स्थित झूला पुल टूटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

[मान्यवर, विगत 13 फरवरी, 2003 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत द्वाराहाट विकास खण्ड के स्थान दडमाड–कोटयूडा के किनारे गँगास नदी पर स्थित झूला पुल टूटकर गिर गया। उक्त पुल के टूट जाने से गँगास नदी के दोनों ओर निवास करने वाली 15 ग्राम सभाओं की लगभग 8 हजार जनता का नदी के आर–पार जाना पूरी तरह बन्द हो गया है। जिसमें दडमाड, कोटयूडा, मटेला, कारचूली, पन्तकोटली, बलना, मनचौड़ा, सैली सुनोली, तैली सुनोली, कूना, पन्यारी, असगोली, बडेत, चमिनी, किरोली कुल 15 ग्राम सभाओं की जनता सीधे प्रभावित हो रही है। यदि इस वर्षात से पहले उस क्षेत्र में नये पुल का निर्माण नहीं किया गया तो नदी के दोनों ओर बसे गाँव जिनकी खेती नदी के दोनों ओर स्थित है उनका व उनके पशुओं का आर–पार जाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा, यही नहीं मान्यवर, विगत वर्षों में गँगास नदी के दोनों ओर बसे गाँवों के कई निवासी व पशु पूर्व में भी नदी के तीव्र बहाव में बहकर जान गँवा चुके हैं।

लोक निर्माण विभाग–निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा दिसम्बर, 2002 में ही उक्त पुल के स्थान पर नये मोटरेबुल पुल निर्माण का 55 लाख रुपये का आगणन व प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया है। इस सन्दर्भ में मेरे द्वारा मा० लोक निर्माण मंत्री जी को पूर्व में अवगत करवाया जा चुका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के भीमगोडा क्षेत्र पिंजरापोल के स्थान पर गौशाला के लिए सुरक्षित भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, हरिद्वार में भीमगोडा क्षेत्र में सूखी नदी के पास पिंजरा पोल नाम का

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक स्थान गौशाला के लिए सुरक्षित था, लेकिन आज कल कुछ भू-माफियाओं द्वारा उस स्थान पर दीवार खड़ी कर, कब्जा कर लिया गया है. इससे नदी भी अवरुद्ध कर दी गयी है उससे क्षेत्र को बरसात के आने वाले दिनों में खतरा उत्पन्न हो गया है, और सरकार की भी करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जबकि सम्बन्धित खसरा नं0 वहाँ है ही नहीं, और किस प्रकार उस स्थान का नक्शा पास किया गया है इस प्रकरण से पूरे हरिद्वार में रोष व्याप्त है, जनता आन्दोलन का मन बना रही है। विषय अविलम्बनीय लोक महत्व और तात्कालिक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल में भ्रूण जाँच के लिए अल्ट्रासाउण्ड का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तरांचल में शून्य से 6 वर्ष की बालिकाओं की निरन्तर घट रही संख्या के कारण बालकों एवं बालिकाओं के अनुपात में आ रही गिरावट की ओर दिलाना चाहता हूँ। इससे यह सिद्ध होता है कि आज भी उत्तरांचल में भ्रूण हत्या कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है।

महोदय, उत्तरांचल में शून्य से 6 वर्ष बालक-बालिका में प्रत्येक 1000 बालकों में 900 बालिकाओं का औसत आ गया है जो कि एक चिन्ता का प्रश्न है तथा कई जनपदों में यह अन्तर इससे भी अधिक है प्रत्येक जनपदों में अल्ट्रासाउण्ड या अन्य इलेक्ट्रानिक्स मशीनों के माध्यम से भ्रूण जाँच गैरकानूनी ढंग से हो रही है भ्रूण हत्या की जाँच के लिए जिलों में समितियाँ बनाई गई हैं परन्तु एक भी अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया।

अतः महोदय यह एक अत्यधिक गम्भीर एवं लोक महत्व का विषय है जिस पर सरकार का ध्यान दिया जाना एवं इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की माँग सदन से करता हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ के लेक चौसाला में पेयजल की कोई योजना न होने से उत्पन्न पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल-

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के लेक चौसाला में पेयजल की कोई योजना न होने से क्षेत्र में पेयजल का संकट बना हुआ है। क्षेत्र की जनता ने बराबर विभाग से पेयजल निर्माण की माँग करती आ रही है। क्षेत्र में व्यापक असंतोष है, स्थिति गम्भीर है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की जाय।]

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के क्षेत्र अमृतपुर-अगिया सड़क मार्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जंतवाल-

[मान्यवर, विकास खण्ड भीमताल, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लगभग दो दर्जन गाँवों को मोटर मार्ग से जोड़ने वाली अमृतपुर-अगिया सड़क जिसके रख-रखाव का दायित्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में "जमरानी डाम डिवीजन" के पास है। इस सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय है तथा कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जमरानी डाम डिवीजन के संज्ञान में उपरोक्त मार्ग की जीर्ण–शीर्ण अवस्था को कई बार लाया जा चुका है। परन्तु जमरानी डाम डिवीजन ने बताया है कि इस डिवीजन को वित्तीय आवंटन नहीं किया जा रहा है। मार्ग का सुधार सड़क को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जा सकता है। क्षेत्रीय जनता में इस समस्या का समाधान न किये जाने से घोर निराशा व आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं शासन से माँग करता हूँ कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर प्रभावी कार्यवाही की जाय।]

उत्तरांचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 29 जून, 1991 के बाद सभी दैनिक वेतन भोगी अनुदेशकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह ऐरी–

[मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत वे सभी दैनिक वेतन भोगी अनुदेशक जो 29 जून, 1991 से पूर्व नियुक्त किये थे, उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी शासनादेश द्वारा ही नियमित कर दिया गया है।

किन्तु 29 जून, 1991 के बाद दैनिक वेतन पर नियुक्त लगभग 36 अनुदेशक अभी भी नियमित नहीं किये गये हैं। जबकि सभी अनुदेशक वांछित अर्हता रखते हैं एवं साक्षात्कार के द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इस स्थिति को लेकर इन सभी अनुदेशकों में हताशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

देहरादून के कांवली रोड स्थित आवासीय योजना की टूटी सड़कों को बनाने एवं उजड़े पार्कों को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिदास–

[मान्यवर, देहरादून स्थित आवासीय योजना कांवली रोड जो कि विस्थापितों के लिए विभाग द्वारा बनाकर विस्थापितों को आवंटित की गई है। कालोनी में बनी सड़क जब से यह कालोनी बनी है उसके बाद से आज तक कभी भी सड़कों को दोबारा नहीं बनाया गया। महोदय, कालोनी की सड़क की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि उस पर चलना भी दूभर है। कालोनी में बने पार्कों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है उजाड़ पड़े इस पार्क को गन्दगी के कारण हर समय सुअरों एवं मवेशियों का जमावड़ा बनना रहा है जिससे कि वहां का वातावरण बहुत दूषित हो गया है और वहाँ रहने वाले लोगों का उस सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। इस सम्बन्ध में कालोनी के निवासियों द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनेक बार उपाध्यक्ष मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण एवं अधिशासी अभियन्ता टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (पुनर्वास) को अपनी समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है परन्तु दोनों ही विभाग एक दूसरे पर इस जिम्मेदारी को डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिस कारण से आज तक विस्थापितों की इस ज्वलन्त समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि वहाँ रहने वाले विस्थापितों की इस गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन को कालोनी में बनी सड़कों का पुनर्निर्माण एव पार्कों को व्यवस्थित करने हेतु सदन का ध्यान कराना चाहता हूँ।]

देहरादून में नेहरूपुरम आवासीय योजना कांवली रोड में विभाग द्वारा गलत बनायी गई नालियों एवं सीवर लाइनों को मेन लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

काजी निजामुद्दीन–

[मान्यवर, देहरादून शहर के नेहरूपुरम आवासीय योजना कांवली रोड (एम0डी0डी0ए0 कालोनी) जो कि विस्थापितों के लिए बनाकर उन्हें आवंटित की गई है। इस कालोनी में विभाग द्वारा बनायी गयी नालियों का बहाव कालोनी के बाहर की तरफ न होकर कालोनी के भीतर की तरफ बनाया गया है तथा उसे सड़क की मेन लाइन से जोड़ा गया है। मेन लाइन के तेज बहाव से गन्दे पानी एवं घोसियों द्वारा नाली में गिराया गया और गोबर कालोनी की नालियों में सड़ता रहता है। जिस कारण से कालोनी में बीमारियों के फैलने का हमेशा खतरा बना रहता है। इसी प्रकार सीवर की डाली गयी लाइनों को मेन लाइन से न जोड़ने के कारण प्रायः सीवर की लाइनें चोक रहती हैं और सीवर का गन्दा पानी कालोनी के निवासियों के घरों में घुसता है। इस सम्बन्ध में कालोनी के निवासियों द्वारा अनेक बार अधिकारियों से निवेदन किया गया, परन्तु उनके द्वारा इस ज्वलन्त समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि नेहरूपुरम आवासीय योजना कांवली रोड (एम0डी0डी0ए0 कालोनी) में विभाग द्वारा गलत बनाई गयी नालियों एवं सीवर लाइनों को मेन लाइन से जोड़ने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक के बेगुल नदी के कटान से हजारों एकड़ जमीन की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण पाल–

[मान्यवर, सितारगंज ब्लॉक के बेगुल नदी के कटान से हजारों एकड़ जमीन कट रही है, जिससे वहाँ पर किसानों की आर्थिक हालत दयनीय होती जा रही है। ये सिलसिला विगत 15 वर्षों से चल रहा है, इसमें खण्ड–2 में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। जबकि कुछ भी इसकी दशा नहीं सुधरी। इस ब्लॉक के अन्तर्गत अन्य ग्राम दोहरी, ओदली, बिचेई, टुकड़ी, ईट्टक, मुहम्मदगंज, सुन्दरनगर, देवकली, आस्ता, साधुनगर आदि ग्रामों में भी हजारों एकड़ जमीन कट रही है। मैं इस गम्भीर समस्या का नियम 301 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देहरादून की धनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित दूध की डेयरियों से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

[मान्यवर, वर्तमान में शहर के व्यस्तम एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दूध की डेयरियाँ स्थित हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, पशुपालकों द्वारा पशुओं का गोबर नालियों में बहा दिए जाने के कारण घरेलू पानी की निकासी हेतु बनायी गयी नालियाँ गोबर से अवरुद्ध हो जाती है जिससे सारी गन्दगी सड़कों पर आ जाती है यहाँ तक की नालियाँ एवं सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। नगर निगम द्वारा इन पशुपालकों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही न करने के कारण यह समस्या दिन–प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। पशुपालकों के पास पर्याप्त भूमि न होने के कारण गोबर का संचय नहीं किया जाता और सारा गोबर नालियों में ही बहा दिया जाता है, जहाँ एक ओर गोबर से खाद बनायी जा सकती थी जिसका लाभ किसान को मिल सकता था। ऐसा न होने के साथ–साथ गोबर वर्तमान में शहर के सीवरेज व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मान्यवर, जल संस्थान, जल निगम द्वारा सड़क के किनारे बिछाई गयी पेयजल की लाइनें भी अक्सर इसका शिकार हो जाती हैं और जहाँ भी पाइप लाइन अथवा पाइप लाइन के जोड़ में थोड़ी सी लीकेज हुई गोबर–पानी के पाइपों में प्रवेश कर जाता है।

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत इस अति लोक महत्व एवं अविलम्बनीय समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 5–4–2003 को माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी ने नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न की सूचना दी है। जिसमें उन्होंने सदन में उठाये गये अलग–अलग नियमों के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कार्यवाही न किये जाने की बात कही है। मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ किन्तु शासन से यह अपेक्षा जरूर की जाती है कि जनहित में जो भी विषय शासन के संज्ञान में लाये जायें उन पर कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय कण्डारी जी ने जो बात रखी है उस पर आपका विनिश्चय आ गया है और उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मान्यवर, 301 में जो सूचनाएं दी जाती हैं, उन सूचनाओं पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इससे सदन को अवगत कराया जाता है, यह परम्परा रही है और यह पीठ से भी निर्देश हैं तो मान्यवर, सरकार की तरफ से कोई निर्देश आ जाए कि अवगत करा दें तो बेहतर रहेगा।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत दूसरी सूचना काजी निजामुद्दीन जी ने उठाई है जो विधान सभा के अधिवेशन और उनके उपवेशनों के सम्बन्ध में है. इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी शासन का पक्ष प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य मंत्री (डा0 "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय काजी निजामुद्दीन जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, तो वास्तव में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से ही हमारा सदन चल रहा है। उ0प्र0 विधान सभा में न्यूनतम 90 दिन का निर्णय है. अभी हम यहाँ पर कोई नई नियमावली नहीं बना पाए हैं तो इसकी हमारी बाध्यता है। इस वर्ष में हमें 4 चुनाव लेने पड़े हैं और आचार संहिता तथा चुनावों में भी भागीदारी लेनी पड़ी। इसमें हमारा पूर्ण संकल्प है कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले और जन-समस्याएं सदन के माध्यम से उठायी जाएं और उन समस्याओं का निदान भी सदन के माध्यम से हो, इसमें सरकार की नियति साफ है अब आगे जो सत्र होने हैं उनमें फिलहाल कोई निर्वाचन जैसी बाध्यता नहीं है और हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इन बिन्दुओं के बारे में बातचीत करके निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने उन कारणों का उल्लेख भी किया है जिनके कारण उपवेशनों की संख्या कम रही और मेरा निश्चित मानना है कि उपवेशनों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि शासन निकट भविष्य में इस दिशा में ध्यान रखेगा।

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का पहला अधिनियम बन गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली–बूढ़ाकेदार–किनकखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में (याचिका)

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली–बूढ़ाकेदार–किनकखाल मोटर मार्ग के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री हिम्मत सिंह रौतेला एवं अन्य निवासीगण जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ की ग्राम पंचायत तोलमा एवं मालागाँव में भंवरपानी नामक तोक में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में (याचिका)

*डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ की ग्राम पंचायत तोलमा एवं मालागाँव में भँवरपानी नामक तोक में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रणजीत सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड यमकेश्वर हिंवल नदी में छोटे–छोटे बाँध बनाकर सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में (याचिका)

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर हिंवल नदी में छोटे–छोटे बाँध बनाकर सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में" श्री उदय सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया–किमसार रोड के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में (याचिका)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल की कौड़िया–किमसार रोड के डामरीकरण एवं सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री ओम प्रकाश कड़वाल एवं अन्य निवासीगण जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से खरसाई माठा ग्वाड़ मोटर मार्ग जो क्षतिग्रस्त हो गया है, के सम्बन्ध में (याचिका)

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से खरसाई माठा ग्वाड़ मोटर मार्ग जो क्षतिग्रस्त हो गया है, को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री भरत सिंह चौधरी एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में एक महिला साइंस डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में (याचिका)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र में एक महिला साइंस डिग्री कालेज की स्थापना करने के सम्बन्ध में" श्री मुकेश कुमार शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाये। सचिव, दयाशंकर यादव एवं महावीर प्रसाद ने इसकी रिपोर्ट लिखाई। 2–3 की रात को काशीपुर गढ़ी नेगी सरकारी अस्पताल के डाक्टरों श्री बी०पी० सिंह एवं श्री नौटियाल के घर पर लूट की घटना हुई। पुलिस का हाल यह है कि वहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसके उत्पादन और उसकी कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, कारण पुलिस की उगाही है।

पुलिस द्वारा जिस प्रकार से उगाही की जा रही है, वह बहुत उत्पीड़ित करने वाली है एक कच्चा माल जो किसी उद्योग के लिए आता है वह जिस भी ट्रक से आता है चाहे वह दिल्ली से आ रहा हो या कहीं माल लेकर जा रहा हो। वह बिना उगाही के नहीं आ जा सकता है। मान्यवर, जगह–जगह रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं चौकियाँ हैं या कोतवाली हैं उन सब जगहों पर उगाही की जाती है और तब ही उन्हें आगे जाने दिया जाता है। मैंने भी कई बार यह पूछा है कि यह उगाही क्यों की जा रही है तो मजाक के तौर पर मुझे उत्तर मिला कि यह सेवा ऊपर तक करनी है और यह ऊपर तक की ऊँचाई क्या है यह तो मुझे नहीं मालूम। और वे यह भी कहते हैं कि वे इसलिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें ऊपर तक सेवा करनी है।

मान्यवर, इससे परिवहन उद्योग प्रभावित हो रहा है और जिस तरह से पुलिस उगाही कर रही है उससे परिवहन उद्योग एक दिन फेल हो जायेगा और यह दीवार बनकर आपके सामने खड़ा हो जायेगा। मान्यवर, कत्ल, डकैती और लूटपाट तो आम घटनायें होती जा रही हैं। मैंने तो सिर्फ काशीपुर को ही यहाँ पर उद्धृत किया है अगर मैं पूरे ऊधमसिंह नगर की बात करूँ तो खटीमा से लेकर जसपुर तक ये घटनायें आम हो गई हैं। महीने में हर दूसरे या तीसरे दिन कत्ल हो जाना भी आम बात हो गई है। यह एक स्वाभाविक बात हो गई है। मान्यवर, यह जो डकैतियाँ पड़ी हैं और पड़ रही हैं उससे हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है वह रात में सोने के बजाय वैपन लेकर छतों पर जाग–जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं और शहर के अन्दर भी लोग छतों पर बैठकर पहरा दे रहे हैं। मान्यवर, जो बातें अभी मैंने रखीं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की क्या व्यवस्था है।

मान्यवर, दूसरी समस्या आम किसानों की है जो पटवारी गाँवों में होता है वह किसानों से जुड़ा हुआ आदमी होता है यदि किसी किसान को खतौनी आदि की नकल लेनी होती है तो पहले पटवारी इसमें 5 रुपया लेते थे अब 50 से 100 रुपये लिए जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया नोटिस पर ही बोलें। जो आप अभी कह रहे हैं उसकी नोटिस आपने नहीं दी है। इन बातों को आप अभिभाषण पर जब चर्चा होगी, उसमें रख सकते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैंने जो समस्याएं सदन के समक्ष रखी हैं वे अत्यन्त गम्भीर हैं और मामला प्रदेश के लॉ एण्ड आर्डर से जुड़ा है। अतः मैं सदन की शेष कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक तात्कालिक घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ, आजकल काशीपुर में धार्मिक जयन्ती मेला लगा हुआ है, वहाँ पर घोड़ों के बहुत से व्यापारी अपने घोड़ों के साथ आए हुए हैं। अभी कल की घटना है, 5 व्यापारियों को जहरीले बिस्कुट खिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया गया तथा उनके साथ लूटपाट की गयी। इनमें से 3 व्यापारियों को होश आ गया है, उनकी जेब से 45 हजार रुपये निकाल लिए गये हैं। दो व्यापारी अभी भी बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। मान्यवर, इस घटना पर स्थानीय पुलिस निष्क्रिय पड़ी हुई है।

मान्यवर, मेरा कहना है कि इस पर गम्भीरता से कार्यवाही की जाय जिससे कि इन घटनाओं पर रोक लग सके।

डा0 ''श्रीमती'' इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वहाँ पर नशीले बिस्कुट खिलाने का जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण की हम गम्भीरता से जाँच करायेंगे, अगर वहाँ पुलिस में परिवर्तन से सुधार हो सकता है तो वह भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी और सदस्य को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उत्तरांचल के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत पूर्व व्यवसायिक शिक्षा अतिथि विषय विशेषज्ञ अध्यापकों को वर्ष 1999 से आज तक मानदेय भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में मेरी इस सूचना को कार्य–स्थगन में मुझे सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, उत्तरांचल में वर्ष 1999 से आज तक व्यवसायिक शिक्षा अतिथि विषय विशेषज्ञ अध्यापक और अध्यापिकाओं को उनको जो मानदेय की व्यवस्था की गई थी उसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया। इस सम्बन्ध में बार–बार इन शिक्षक और शिक्षिकाओं के माध्यम से बात उठायी जाती रही, जिसके सम्बन्ध में विभाग के अपर शिक्षा निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को विभाग के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निदेशित किया कि आप अपने यहाँ से माँग–पत्र भेजें कि कितना भुगतान होना है, जिला विद्यालय निरीक्षकों ने माँग–पत्र भेज दिया। जनपद पिथौरागढ़ में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिनांक 1–10–2001 को दो प्रपत्रों में अपना माँग–पत्र प्रेषित किया था। मान्यवर, आज तक जो अतिथि विषय विशेषज्ञ अध्यापक हैं उन्हें अभी तक अवशेष भुगतान नहीं मिल पाया है। इस प्रकार यह कुल लगभग एक लाख अट्ठासी हजार है। मान्यवर, वैसे तो एक छोटा एमाउन्ट है, लेकिन जो चार शिक्षक हैं उनकी आजीविका इसी मानदेय पर निर्धारित है। मान्यवर, उनका मानदेय 1999 से आज तक नहीं दिया गया है। वैसे यह मामला पिछली सरकार का है। इस सवा साल के समय में सरकार द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की गई। मान्यवर, इसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया यह स्थिति अत्यन्त विस्फोटक और चिन्ताजनक है। मान्यवर, उनके साथ जनप्रतिनिधि भी मिलकर उनके समर्थन में खड़े हो गये हैं, कि उनका मानदेय का भुगतान किया जाय।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा0 ''श्रीमती'' इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह सही है कि दिनांक 31–03–2003 को प्रातः 07:40 बजे वादी श्री अरुण कुमार भक्कू पुत्र सतपाल भक्कू निवासी रामनगर रोड, काशीपुर जो फार्मर है, ने थाना काशीपुर पर सूचना दी कि उनका रामनगर रोड में बीना जोशी अस्पताल के बराबर में मकान है। इस मकान के भूतल में उनकी माता श्रीमती शकुन्तला भक्कू उम्र करीब 73 वर्ष रहती है तथा मकान की पहली मंजिल में वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। दिनांक 30/31–03–2003 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा जिस कमरे में उनकी माता श्रीमती शकुन्तला भक्कू सोई थी उसकी खिड़की की ग्रिल उखाड़कर उनके कमरे में प्रवेश करके सामान तितर–बितर कर दिया और उनकी माता श्रीमती शकुन्तला भक्कू की सोते हुए गला दबाकर हत्या कर दी तथा उनके कान के कुण्डल, गले की चैन वजनी, लगभग 4–5 तोला सोने के जेवरात ले गये। इस घटना की जानकारी उन्हें तब हुई, जब वे दिनांक 31–03–2003 की सुबह 07:00 बजे अपनी माँ को चाय देने गये। इस सूचना पर थाना काशीपुर पर मु0अ0 सं0 281/2003 धारा 460 भारतीय दण्ड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना स्थल पर हल्द्वानी से फिंगर प्रिंट टीम तथा मुरादाबाद से डॉग स्क्वाड बुलाया गया।

मान्यवर, श्री डी0डी0 शर्मा पुत्र एन0सी0 शर्मा, सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर निवासी इन्द्रा कालोनी, रामनगर रोड, काशीपुर की तहरीर पर थाना काशीपुर में मु0अ0 सं0 283/2003 धारा 380/511 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी श्री डी0डी0 शर्मा द्वारा अंकित कराया गया कि दिनांक 30/31–3–2003 की रात्रि लगभग 2:40 बजे अज्ञात चोरों द्वारा वादी डी0डी0 शर्मा तथा उनके पड़ोसी सुभाष शर्मा व गोविन्द सिंह बिष्ट के घरों में चोरी करने का प्रयास किया गया। उनके व मोहल्ले वालों के जाग जाने पर चोर भाग गये। घटना स्थल के निरीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि एक ही गिरोह द्वारा 5 से 15 मिनट के अन्दर वादी व उसके पड़ोसी श्री गोविन्द व सुभाष शर्मा के घरों में चोरी करने का प्रयास किया गया। क्षेत्राधिकारी काशीपुर और प्रभारी निरीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में रात्रि 12 बजे से प्रातः 4:30 बजे तक सघन गश्त प्रारम्भ कर दी गयी है और अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, यह सही है कि चोरी और लूटपाट हुई है। मान्यवर, चोटों का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि सितारगंज और काशीपुर में जो घटनाएं हुई हैं, वह उसी गिरोह द्वारा की गयी हैं जो बदायूँ और मुरादाबाद के आस–पास के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। मान्यवर, यह गिरोह बहुत ही निर्ममता से लूट और हत्या का कार्य करता है। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए गृह विभाग और प्रशासन को विशेष निर्देश दिये गये हैं। सरकार ने इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि लेबरों, घरों में काम करने वाले नौकरों तथा खेतों में काम करने वाले कर्मचारियों का आइडेंटीफिकेशन किया जाय। मान्यवर, इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच के आदेश दे दिए गये हैं। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि कृत्य किस गिरोह का है, लेकिन जल्दी ही इस बात का पता चल जाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, मृतक के परिवार के प्रति हम सिर्फ संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, उसे वापस तो नहीं ला सकते लेकिन भविष्य में किसी और परिवार के साथ इस तरह की वीभत्स घटना न घटने पाए इसके सख्त निर्देश सरकार द्वारा दे दिए गये हैं।

मान्यवर, मैं समझता हूँ इससे ज्वलन्त कोई विषय नही हो सकता जिस तरह आज उनके परिवारों की स्थिति है वह बडी सोचनीय है। मैं चाहता हूँ कि इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, व्यवसायिक शिक्षा योजना एक केन्द्र पोषित योजना है। केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही इन अतिथि विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई। मान्यवर, यह भारत सरकार की योजना थी। मान्यवर, इसमें 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार का है और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का है। वर्षों से भारत सरकार अपना अंशदान नहीं दे पा रही है इसके लिए विभाग द्वारा निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है, किन्तु इस सम्बन्ध में भारत सरकार का कोई जवाब उपलब्ध नहीं हुआ है। जहाँ तक राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अंशदान का सवाल है इस सम्बन्ध में शिक्षक मुझसे मिले थे। राज्य सरकार के अंशदान के बारे में हमने निदेशक को निर्देश दिये कि वे इसका भुगतान कर दें और भारत सरकार से निवेदन किया जाए कि वे मानवीयता के आधार पर उन बेचारे शिक्षकों का भुगतान कर दें क्योंकि उनकी स्थिति अत्यन्त खराब है। फिर भी यदि राज्य सरकार के अंशदान का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया तो तुरन्त कर दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सितम्बर, 2001 में एक पत्र इस सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक द्वारा भेजा गया जिसमें यह लिखा गया है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा के वर्ष 2001–02 के अतिथि विषय विशेषज्ञों के अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक के मानदेय भुगतान के लिए शासन से बजट का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में देहरादून में आयोजित 6 एवं 7 अगस्त, 2001 को प्रधानाचार्यों की बैठक में विस्तृत जानकारी दी गई थी और यह अपेक्षा की गई थी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक मानदेय भुगतान हेतु, माँग हेतु, माँग–पत्र उपलब्ध करायें। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि बजट का प्राविधान कर दिया गया है। मान्यवर, सितम्बर, 2001 का प्रकरण है उस व्यवस्था के तहत आज तक भुगतान नही किया गया। मान्यवर, इस तरह से टाल–मटोल न करके स्पष्ट रुप से जब बजट का प्राविधान था तो भुगतान होना चाहिए था। 25 प्रतिशत जो राज्य सरकार का अंशदान है उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जिस पत्र का संज्ञान लिया गया है उस पत्र को समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा गया है उसमें यह जानकारी चाही गई है कि किस अध्यापक को कितनी धनराशि मिलनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका भुगतान हो गया होगा, अगर अभी भुगतान नहीं हो पाया है तो शीघ्र ही इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कोई समय सीमा निर्धारित कर दें कि उस समय सीमा के अन्दर भुगतान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रकाश पन्त जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

काजी निजामुद्दीन सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 56 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

(काजी निजामुद्दीन सदन के वेल में आ गये और उन्होंने कहा कि मैं डैमोक्रेटिक व्यक्ति हूँ और वेल में आना नहीं चाहता। कृपया मेरी बात को सुनें)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें और इस सम्बन्ध में एक नोटिस दे दें। माननीय काजी निजामुद्दीन जी मैं आपको धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दूँगा। कृपया आप आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त विधायक अपनी–अपनी सीटों पर खड़े हो गये तथा कुछ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भी अपनी–अपनी सीटों पर खड़े हो गये।)

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार मुसलमानों के मामले को अनदेखा करके चल रही है। एफ0आई0आर0 थाने में दर्ज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका नोटिस आया नहीं है, नियम के तहत मैं आपको सुन लूँगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो कृपया अल्पसंख्यकों की बात सुनने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपका निर्णय सर्वोपरि है, किन्तु जैसे सत्र का अन्तिम दिन होने के नाते आपने नियम 301 के अन्तर्गत सारी सूचनाएं स्वीकार की, इसे भी स्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, जितनी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनको स्वीकार कर लिया है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने यह सूचना 9 बजकर, 20 मिनट पर सचिव, कार्यालय में दी थी, यदि सूचना आप तक नहीं पहुँची तो यह गलती सचिव, कार्यालय की है।

डा0 "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चूँकि सूचना अग्राह्य हुई, अगर आप सूचना देंगे भी तो सरकार उत्तर नहीं दे पायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, नियम 56 की जितनी भी सूचनाएं आयी हैं, उसमें से आपने निर्णय किया कि तीन को ग्राह्यता पर सुन लेंगे। मेरा अनुरोध केवल इतना है जो शेष सूचनाएं अस्वीकृत की हैं। मैं चाहता हूँ आप इसको स्वीकृत करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया है तथा इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003

*पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल के अन्दर मत्स्य के क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन के लिए अपार संभावनायें हैं। मान्यवर, हमारे राज्य में जितनी नदियाँ हैं उनकी कुल लम्बाई 2 हजार 6 सौ 86 कि0मी0 है जिसमें प्राकृतिक जलों का क्षेत्रफल 300 हेक्टेयर के करीब है और मानव निर्मित जल संसाधन का क्षेत्रफल 20 हजार 75 हेक्टेयर है जिसमें निर्माणाधीन टिहरी जलाशय एवं अन्य जल विद्युत परियोजना के निर्माण में वृद्धि हुई। मान्यवर, वर्तमान में एक हजार 3 सौ 41 तालाबों का क्षेत्र 628 हेक्टेयर उपलब्ध है।

मान्यवर, इन तमाम विलक्षणों के बाद सरकार ने अपने प्रदेश के अन्दर मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में एक नया एक्ट प्रस्तुत करने के लिए इस सदन के पटल पर विचार हेतु रखा है। मान्यवर, वर्तमान में जो हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 लागू था उसके तहत उत्तर प्रदेश 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के तहत यह अधिनियम उत्तरांचल में भी लागू है। मान्यवर, इसका कारण हमारे प्रदेश में जो वर्तमान में जलाशय हैं उन जलाशयों पर आज भी उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के कब्जे की बात है, परिसम्पत्तियों के बँटवारे की बात है। मान्यवर, पिछले एक वर्ष के अन्दर जो हमारी रायल्टी है, ऊधमसिंह नगर की जो रायल्टी है उस रायल्टी को उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम में जमा किया जाता था। और उसे रोकने के लिए हमारी सरकार हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट से निर्देश आया कि जो रायल्टी हमारे प्रदेश के अन्दर उन जलाशयों से उपलब्ध होगी वह रायल्टी न उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम लेगी और न वह हमारे कब्जे में होगी वह रायल्टी राजधानी के एक राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा होगी। मान्यवर, पहली विजय हमारी सरकार की यह हुई। मान्यवर, पिछली सरकार के सम्मानित वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं इस बात का संज्ञान इसलिए देना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी सरकार की होनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए उसको बखूबी से निभाया जाना चाहिए। मान्यवर, पिछले समय में जलाशयों के सवाल पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह निर्देश दिया गया कि जो रायल्टी उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम को जा रही है, क्या सरकार उसके पक्ष में है? तो वहाँ यह कहा कि हम उसके पक्ष में हैं हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मान्यवर, उसके तहत वह रायल्टी उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम में जमा हुई। हमारी सरकार द्वारा प्रयास किया गया और उस रायल्टी को उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के अन्दर जो जमा होना था उसको रोका गया और दूसरी अपील यह की गई कि जो उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की रायल्टी जो वहाँ पर जमा होनी थी उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के आदेश हुए।

मान्यवर, उसमें अपील भी की गयी, हमने भी कहा कि हमारा भी प्रदेश है, और हमारे प्रदेश का भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, और उसमें इसे जमा किया जाए और उसमें हमें सफलता मिली। हम अपने ग्रामीण अंचल के लोगों का और जो हमारे मैदानी, तराई क्षेत्र के लोग हैं, उनका जीवन–वर्धन, जीवन का स्तर कैसे बढ़ाएँ इसके सन्दर्भ में अपने एक्ट के निर्माण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर प्रस्तुत है। इसके तहत इस विधेयक के अन्तर्गत मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि उन तमाम समुदायों का, उन तमाम लोगों का अधिकार इसमें निहित है जो पहले से चला आ रहा है। जिस वर्ग के बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो केवल मत्स्य पालन का ही कार्य करते हैं और उनके अधिकारों को पूर्ण रूप से इसमें समाहित किया गया है। इस एक्ट की पूरे प्रदेश में हमने समीक्षा की और मत्स्य पालन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति, वैसे सदन के कई माननीय सदस्य ऐसे होंगे जो माँसाहारी नहीं होंगे, लेकिन जो माँसाहारी हैं, मत्स्य पालन के हिसाब से शरीर को अच्छे से अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मछली पालन का भी बहुत बड़ा महत्व है। इससे दिमाग भी बढ़ता है और जो हार्ट अटैक की आजकल सबसे बड़ी समस्या है उसमें भी यह उपयोगी है, इससे कालेस्ट्राल में भी कमी आती है। इस दृष्टि से जैसे हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, आलू की खेती होती है, उसी तरह से हमारी सरकार की मंशा है कि इस विधेयक के माध्यम से हम अपने प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में मछली की खेती का प्रारूप तैयार करना चाहते हैं। उसके माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोग समितियाँ बनायें जैसे को–ऑपरेटिव का हमारा सेक्शन है। मान्यवर, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम पूरे देश के स्तर पर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके तहत मान्यवर, सदन से मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछली सरकार का जिक्र किया तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उसका सीधा सा उत्तर होता है पिछली सरकार। मान्यवर, यह एक बहुत सरल सा उत्तर है, सरकार के पास यही जुमला रह गया है।

मान्यवर, ये जो पिछली सरकार बोल रहे हैं तो पिछली सरकार ने कुछ समस्या हल की है तो कुछ आप हल करेंगे इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जब कोई कार्य यह सरकार नहीं कर पा रही है तो यह कह देती है कि पिछली सरकार। यहाँ कोई कार्य तो हो नहीं रहा है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने आदेश की बात कहीं तो मैं यह पूछना चाहता

हूँ कि वह आदेश कब हुआ सुप्रीम कोर्ट का। मान्यवर, इस समय इनको यह ध्यान होना चाहिए कि जब दो प्रदेशों का बँटवारा होता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। आज भी परिवहन का मामला वैसे ही है, वैसे ही टी0डी0सी0 का मामला है। आप कोई भी पैसा अपने बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा सरकारी बैंक में जमा हो रहा है वह भी हाई कोर्ट के माध्यम से। लेकिन अभी तक ठेका आपके माध्यम से नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बताएं। अगर हो रहा है तो मैं आपको धन्यवाद दूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

नहीं हो रहा है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

तो कहना गलत है कि पिछली सरकार ने किया। अनावश्यक छींटाकशी करना उचित नहीं है। मान्यवर, आज भी ठेका उत्तर प्रदेश कर रहा है और पैसा सरकारी बैंक में जमा हो रहा है। समस्या का समाधान तो करते नहीं। अगर कोई समस्या है तो उसको हल करने के लिए प्रयास करना चाहिए केन्द्र सरकार के पास जाकर हल कर लेना चाहिए। समस्या तो हल नहीं कर पा रहे और कहते हैं कि पिछली सरकार। अभी तक आप ठेका नहीं करा पा रहे हैं तो पिछली सरकार की बात मत करिये।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मछली खाने से दिमाग भी बढ़ता है। मान्यवर, अभी हमारे एक साथी जो कांग्रेस के ही हैं वे कह रहे थे कि शायद माननीय मंत्री जी मछली नहीं खाते, तो मान्यवर, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि वे मछली खाते हैं या नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तरांचल के लिए उत्तरांचल में अनेक बड़ी–बड़ी नदियाँ हैं और छोटी–छोटी नदी भी है और मछली पालक की यहाँ बहुत सम्भावनाएँ हैं। मान्यवर, अगर इस विधेयक को पढ़े तो इसमें जो दण्डात्मक कार्यवाही दी गयी है कि हम जेल भेजेंगे, अर्थ दण्ड दे देंगे, तो क्या इस दण्ड व्यवस्था से और जेल भेजने से मछली पालन हो पायेगा। अर्थात् इस प्रकार की व्यवस्था से मछली पालन विकसित नहीं होगा। इसलिए मैं इस संशोधन के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ और सुझाव भी दे रहा हूँ।

मान्यवर, क्या वन विभाग मछली पकड़ने की अनुमति दे देगा। जिन नदियों में आप मछली पकड़ने के लिए लाइसेन्स देंगे, क्या वन विभाग उनमें मछली पकड़ने की अनुमति दे देगा ? सिंचाई विभाग की नहरें हैं, क्या सिंचाई विभाग उनमें मछली पकड़ने की अनुमति दे देगा ? कितने डैम बने हुए हैं क्या ऊर्जा विभाग उनमें मछली पकड़ने की अनुमति दे देगा ? आप मछली पालकों को पट्टा देने की बात कर रहे हैं, क्या मछली

पालन के पास भूमि है ? राजस्व विभाग से आदेश लेना पड़ेगा। क्या इस विधेयक को बनाने से पहले राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग और ऊर्जा विभाग की बैठक हुई है और क्या यह सहमति बनी कि मत्स्य पालन विभाग जो निर्णय लेगा उसे ये सभी विभाग मानेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस पर सभी विभाग आपत्ति करेंगे। हमारे यहाँ भागीरथी नदी है, भिलंगना नदी है यदि आप इन नदियों में मछली पालन की अनुमति देंगे तो क्या ऊर्जा विभाग भी अनुमति दे देगा कि आप मछली पालन करें। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सरकार एक कमेटी का गठन करे जो राजस्व विभाग की भी राय ले, सिंचाई विभाग की राय ले, ऊर्जा विभाग की राय ले, वन विभाग की भी राय ले तभी एक ठोस रणनीति बन पायेगी। इस विधेयक को मैंने पढ़ा, इसमें लिखा है कि वन क्षेत्र में प्राकृतिक तालाब है, उसका आवंटन मछली पालन विभाग करेगा। मान्यवर, वन मंत्री जी इसके लिए भले ही तैयार हो जाएं लेकिन, वन विभाग के अधिकारी इससे असहमति ही जताएंगे। वे कहेंगे कि ये हमारे वन क्षेत्र में पड़ता है और वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने मछली पालन को प्रोत्साहन देने की बात कही थी लेकिन, हम कहीं भी मछली पालन नहीं कर पाये। जो नदियाँ हैं जिनमें आपने मछली पालन करने की बात कही क्या वन विभाग इसके लिए अपनी स्वीकृति दे देगा? आपने एक्ट में तो कह दिया लेकिन, इसमें बहुत सी खामियाँ हैं। वन विभाग की भी अनुमति लेनी होगी। आपने कहा कि आप मछली पालकों को पट्टे देंगे, क्या राजस्व विभाग सहमत हो जायेगा ? आपके पास भूमि कहाँ है, कितने साल के लिए लीज पर देंगे? जब आपके पास भूमि ही नहीं है तो पट्टा किस चीज का देंगे ? ये खामियाँ इस विधेयक में हैं। आपने कहा कि हम मत्स्य पालकों को सुविधाएं देंगे, मगर क्या सुविधा देंगे इस विधेयक में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आपने कहा कि विभाग प्रगतिशील कृषकों को निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। लेकिन, सुविधाएं क्या होंगी इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। आपने कहा कि प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का प्रावधान किया जायेगा। लेकिन क्या करेंगे, कैसे पुरस्कृत करेंगे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके साथ-साथ जो मछली पालकों को प्रोत्साहन देने की बात कही है तो आपने कितना बजट में रखा है। यह बहुत अच्छी बात है कि मछली पालन से हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार का अवसर मिल सकता है। लेकिन कितना बजट माननीय मंत्री जी इस मछली पालन के लिए बजट में एक साल में प्रावधान करेंगे ? और अगर आपके पास बजट नहीं होगा तो आप कहेंगे कि इसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना द्वारा कर दिया जायेगा तो यह भी उचित नहीं होगा और इसमें जो दण्ड देने की बात कही गई है उसमें भी स्पष्ट नहीं है कि क्या दण्ड दिया जायेगा और आपने कहा है कि यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में हम पैसा जमा कर देंगे। आप यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या ऊधमसिंह नगर जनपद में जितने भी जलाशय हैं उनका आपने अधिग्रहण कर लिया है और क्या वह आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है तो फिर आपकी उपलब्धि क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय कण्डारी जी कृपया संक्षेप में अपनी बात को रखें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को जल्दी–जल्दी में विभाग द्वारा तैयार कर दिया गया है इसमें माननीय मंत्री जी की सोच नहीं है यह विभाग के अधिकारियों की सोच है। अगर माननीय मंत्रीगण विधेयक को बनाने से पहले थोड़ी एक्सरसाईज कर लें ऐसा विधेयक जो कि अपूर्ण है, अस्पष्ट है आज सदन के समक्ष नहीं आता। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है इसमें लाखों–लाख लोगों को रोजगार सुलभ हो सकता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस विधेयक को वापस लें और उत्तरांचल के हित में एक नया विधेयक बनायें जो स्पष्ट हो, पूर्ण हो और जनहित में हो जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः माँग करता हूँ कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय कण्डारी जी के संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, यह विधेयक जिसे उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 का नाम दिया गया है मान्यवर, इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त इसके विशाल जल संसाधनों एवं इनमें उपलब्ध मत्स्य सम्पदा को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुभव किया गया कि मत्स्य आहार की पौष्टिकता को देखते हुए इसके उत्पादन पर बल दिया जाए और इसके माध्यम से मत्स्यजीवी जातियों और मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाय साथ ही मत्स्य आखेट एवं मनोरंजन मात्स्यिकी को प्रोत्साहित किया जाय। इन्हीं उद्देश्यों एवं कारणों से प्रस्तावित उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है और अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि 1341 तालाब 628 हेक्टेयर भूमि में उत्तरांचल में हैं और यहाँ पर उसकी व्यापक संभावनायें हैं। अभी माननीय कण्डारी जी ने कहा था कि यह विधेयक अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है यह सत्य है, इसमें कहीं पर भी जनसहभागिता नहीं है यह माननीय मंत्री जी द्वारा तैयार किया नहीं लगता है। इसमें एक तरह से इंस्पेक्टर राज की झलक देखने को मिल रही है।

मान्यवर, इसकी धारा 8 में बिना वारन्ट की गिरफ्तारी की बात है इतना गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें बिना वारन्ट के गिरफ्तारी का प्रावधान है। मान्यवर, इसकी धारा 8 के खण्ड 1 में लिखा है कि कोई मछली पदाधिकारी या जो मत्स्य विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हो या पुलिस पदाधिकारी जो सब–इन्सपेक्टर के पद से नीचे का न हो, या अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दें। किसी व्यक्ति को जो उसके विचार में मछली पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है तथा इसी धारा के खण्ड क में उल्लेख है कि गिरफ्तार व्यक्ति जब तक अपना ठीक–ठाक पता नाम आदि न बता दे उसे रोका जा सकता है अर्थात इसमें यही है कि जब तक वह उसकी जेब न गर्म कर दे उसे गिरफ्तार रखा जायेगा। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है।

मान्यवर, धारा 8 (1) के खण्ड–क में उल्लेख है कि "सिर्फ नाम और पता मालूम न होने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है"। इसके अतिरिक्त धारा 8(3) में उल्लिखित है कि "प्रत्येक मछली पदाधिकारी को मछली पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जाँच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन सब–इन्सपेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त हैं। मान्यवर, इससे इन्सपेक्टर राज साफ झलक रहा है। मान्यवर, धारा 10(1) में यह कहा गया है कि "गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी मछली पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खण्डन न किया जाय, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित मछली पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए मुआवजे के रूप में कोई धनराशि ग्रहण कर ले, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिये जाने पर वह व्यक्ति हिरासत में ही, मुक्त कर दिया जायेगा और फिर उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी"। मान्यवर, इससे साफ परिलक्षित होता है कि सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जायेगा। मान्यवर, इसके बाद की धारा तो बहुत ही विचित्र है, उसमें लिखा है "किसी ऐसी सम्पत्ति को जो जब्ती के योग्य होने के कारण जब्त कर ली गयी हो, बिना कोई और धनराशि लिये या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दे और ऐसे मूल्य का भुगतान होने पर वह सम्पत्ति मुक्त कर दी जायेगी और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी"। मान्यवर, इस विधेयक द्वारा यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं हुआ कि आप ट्राउन जोन और स्नो–ट्राउन जोन को कैसे विकसित करेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मछली की खेती की बात कही, लेकिन इस विधेयक को देख कर साफ लग रहा है कि इसके आधार पर मछली की खेती नहीं हो सकती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, उनको देख कर तो यह नहीं लगता कि वह इन्सपेक्टर राज के हिमायती होंगे। हाँ यह सरकार जरूर इन्सपेक्टर राज की हिमायती है, जिसने विगत 13 दिसम्बर को हम लोगों के ऊपर निर्ममतापूर्वक लाठियां बरसाई। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन्सपेक्टर राज का आभास दिलाने वाले इस विधेयक को वापस ले लें तथा इसे संशोधित करके पुनः सदन में पुरःस्थापित करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संशोधित रूप में इस विधेयक को उसी प्रकार सदन में सर्वसम्मत्ति से पारित किया जायेगा, जिस प्रकार कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश को पास किया जाता है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह जो विधेयक आ रहा है इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऊधमसिंह नगर में बैगुल डाम, तुमड़िया डाम, नानक सागर डाम यह मत्स्य पालन के बहुत बड़े स्रोत हैं। मान्यवर, इन डैमों की नीलामी अभी भी उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है। मान्यवर, दो किस्म के माफिया तो सुने थे भू–माफिया और शराब माफिया लेकिन इससे भी बड़ा होता है मत्स्य माफिया। मान्यवर, जो यह विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोग अपनी जीविका के लिए मत्स्य पालन का धन्धा कर सकें। मान्यवर, इसकी कोई ठोस योजना होनी चाहिए,

मत्स्य पालन योजना प्रदेश में बहुत बड़ा धन्धा बन सकता है। इसके लिए एक योजना होनी चाहिए उस योजना के अनुसार ही बिल लाना चाहिए। मैं मातबर सिंह कण्डारी जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पर माननीय कण्डारी जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। मान्यवर, इस व्यवस्था से जो हमारे यहाँ पिछड़ी जाति हैं वह इससे जुड़ सकती थी, लेकिन इस विधेयक को माननीय मंत्री जी द्वारा अपने अधिकारियों से बनवाकर यहाँ सदन में रखा गया है। इस नियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सरकार ने सारे अधिकार अपने साथ में लिये हैं। लाइसेंस दिये जाने की नीति कहीं इसमें वर्णन नहीं है, इसमें मत्स्य पालन हेतु ऋण दिये जाने की भी बात नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसे सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसी के साथ मैं कण्डारी जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित कण्डारी जी, सम्मानित पन्त जी, सम्मानित चीमा जी तथा सम्मानित कौशिक जी के जो विचार यहाँ पर आये हैं उसके संदर्भ में जो इन्सपेक्टर राज की बात कही गई है। मान्यवर, इन्सपेक्टर राज की बात इस विधेयक में कहीं दिखाई नहीं देती और न ही इन्सपेक्टर राज कबूल किया जायेगा। मान्यवर, जो मछलियों को मारने का क्रूर तरीका प्रचलित था कि बहुत सारे लोग ब्लिचिंग पावडर डालकर मछलियों को मार देते थे उससे बड़ी मछलियाँ ही नहीं उनके बच्चे तक मर जाते थे, पूरी नदी मछलियों से शून्य हो जाती थी तथा एक तरीका और भी था जिसके अन्तर्गत दूर तागा बाँध दिया जाता था इसमें छोटी बड़ी सभी मछलियाँ फँस जाती थी, एक तरह से इसे मछलियों को फाँसी लगाना कह सकते हैं। इसी प्रकार डायनामाइट लगाकर मारते हैं इन्हीं सब क्रूर तरीकों को मद्दे नजर रखते हुए इस एक्ट में प्राविधान किये गये। जो प्राविधान रखे गये हैं वे हमारे प्रदेश के हिसाब से बिल्कुल उचित हैं। इन्सपेक्टर राज नहीं है क्योंकि अगर एक्ट में हम इस तरह का प्राविधान न करते तो अराजकता फैल जाती। हमारी सरकार द्वारा अभी तक 1760 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा तालाब निर्माण हेतु बैंको से लगभग 15 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है। मान्यवर, यह तो एक्ट है। एक्ट में योजना का कोई प्रारूप नहीं होता। योजना का प्रारूप तो विभाग बनाता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पहले एक्ट आता है उसके बाद विभाग योजना का प्रारूप बनाता है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, एक्ट अलग चीज है और योजना को लागू किया जाना एक अलग चीज है माननीय सदस्य को इस बात से अगर ठेस पहुँची है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा मकसद यह नहीं था। योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन हो यह हमारी जिम्मेदारी है उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जहाँ तक 2001–2002 में तुमड़िया जलाशय के नीलामी की बात है तो इसको हमने निरस्त कराया। उसके बाद 2002–2003 में तुमड़िया जलाशय की नीलामी की बात फिर हुई उसको हमने

फिर निरस्त करवाया। 2001-02 में शारदा सागर में ठेकेदारी की नीलामी की बात हुई उसको भी हमने निरस्त करवाया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस एक्ट में जो प्राविधान किये गये हैं उसके लिए हमने वन विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग तथा राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों से विचार-विमर्श किया उसके बाद ही यह प्राविधान बनाये गये।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा यह एक्ट प्रस्तुत किया है। यह एक ऐसा एक्ट है, जो हिन्दुस्तान के अन्दर पहला है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी पहली सरकार है, जिसने अपनी मत्स्य नीति बनायी है। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या वर्ष 2003)

उत्तरांचल में मछली पालन की व्यवस्था करने के लिये एक अधिनियम :-

उत्तरांचल राज्य में मछली पालन की व्यवस्था तथा तद्सम्बन्धी विषयों के लिए भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह राज्य सरकार के सरकारी गजट में विज्ञापित होने के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

2. परिभाषाएं :-

इस अधिनियम में जब तक कोई अन्यथा न हो :-

(1) "मछली" का तात्पर्य मछली, शैल फिश, फिन फिश, कछुआ, पानी में उगने वाले ऐसे पौधे जो मछली पालने के लिए महत्वपूर्ण हैं और मछली के जीवन काल की प्रत्येक अवस्था की मछली सम्मिलित है;

(2) "फिशिंग क्राफ्ट" का तात्पर्य मानव चालित या इंजन चालित नाव से है जो मछली शिकारगाही या मछली यातायात के उपयोग में लाया जाय;

(3) "शिकारमाही उपकरण" का तात्पर्य मछली पकड़ने के जाल, कांटे की लाइन, रौड लाइन, शिकारमाही यंत्रों से है;

(4) "मछली पकड़ने का अपराध" का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन दण्डनीय हो;

(5) "मत्स्य पदाधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्य सरकार ने इस अधिनियम के समस्त या किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए या कोई ऐसा काम करने के लिए नियुक्त किया हो, जिसके करने का इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन आदेश हो, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, जो पद में सब इन्सपेक्टर से निम्न पद हो, इस प्रकार नियुक्त न किया जायेगा;

(6) "स्थिर इंजर" का तात्पर्य ऐसे जाल, पिंजड़े वंसी (फंदा) या मछली पकड़ने के किसी ऐसे उपकरण से है, जिसे भूमि में लगाया गया हो या जिसे किसी अन्य प्रकार से स्थिर कर दिया गया हो;

(7) "निजी जलाशय" का तात्पर्य ऐसे जलाशय से है, जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था की एकांकी सम्पत्ति हो या जिसमें किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था या समिति को मछली पकड़ने का स्वामी, पट्टेदार या किसी अन्य रूप में एकाधिकार प्राप्त हो और इसमें ऐसे तालाब, पौड़, प्राकृतिक कृत्रिम झील आदि भी सम्मिलित है, जिन्हें उनके स्वामी ने अपने व्यय से खुदवाया हो और जिनमें वर्षा ऋतु में नैसर्गिक पानी अर्थात नदियों, नहरों, धाराओं और झीलों का पानी न आता हो;

(8) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;

(9) मत्स्य अभ्यारण/संरक्षित जल स्रोत का तात्पर्य उन जल स्रोतों के सन्दर्भ में है जिनमें किसी भी कारणवश मछली का शिकार करना प्रतिबन्धित है। ऐसे सभी जल स्रोतों को मत्स्य जैव विविधता के संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया जाए।

3. नियमों द्वारा चुने हुए जलाशयों में मछली मारने पर लाइसेंस लगाना और उसका निषेध करना :—

(1) राज्य सरकार इस धारा में आगे बताये गये प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है और ऐसे नियमों के अधीन यह घोषणा करेगी कि किन जलाशयों के सम्बन्ध में यह सब नियम या इनमें से लागू होंगे।

(2) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे नियम या इनमें से किसी को किसी निजी जलाशय पर उसके स्वामी और उन सब व्यक्तियों की लिखित स्वीकृति से लागू कर सकती है जिनका उस समय उसमें से मछलियाँ पकड़ने का अधिकार हो या यदि राज्य सरकार को इस बात का संतोष हो जाय कि स्वीकृति बिना उचित कारण के रोक ली गई है, तो बिना उनकी स्वीकृति के भी लागू कर सकती है।

(3) ऐसे नियम :–

(क) नीचे लिखी हुई सब बातों या उनमें से किसी बात को निषिद्ध या नियमित कर सकते हैं,

अर्थात्–

(1) स्थिर इंजनों को लगाना और चलाना;

(2) जल प्रबन्धन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा नालों में निर्मित चैक डेमों का स्वामित्व सम्बन्धित विभागों का होगा किन्तु मत्स्य विकास एवं प्रबन्धन का अधिकार मत्स्य पालन विभाग में निहित होगा। इन चैक डेमों में मत्स्य पालन एवं संग्रहण के लिए मत्स्य विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीण सहायता समूहों या मत्स्य सहकारी समितियों को पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान होगा;

(3) जालों का नाम, प्रकार और जाल के फंदे या मछली पकड़ने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले किसी अन्य उपकरण का आकार और उनको उपयोग में लाने का ढंग।

(ख) लाइसेंस के बिना मछली पकड़ने का निषेध करना, ऐसे लाइसेंस दिये जाने की विधि निर्धारित करना, उनके लिये शुल्क नियम करना और जिन प्रतिबन्धों के साथ वह दिये जायेंगे उनको नियत करना।

(ग) बन्दूक, बर्छी, धनुष और बाण या उसी प्रकार के हथियारों द्वारा मछली मराना या मारने का प्रयत्न करना, जलाशय को विषैला करना या कारखानों इत्यादि के गंदे पानी से जलाशय गंदा करना।

(घ) ऋतुएं निर्धारित करना, जिनमें कि विशेष प्रकार की छोटी या बड़ी मछली या उनके अंडे पकड़ने, मारने, बेचने का निषेध होगा।

(ङ) कम से कम माप तौल निर्धारित करना जिससे कम की किसी निर्धारित प्रकार की कोई मछली मारी या बेची न जायेगी।

(च) किसी निर्दिष्ट जलाशय में नियम अवधि के लिए मछली पकड़ने का निषेध करना।

(छ) किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के बाहर मछलियों के निर्यात और उस मूल्य की व्यवस्था करना जिस पर सब या किसी विशेष प्रकार की मछलियाँ निर्दिष्ट मण्डियों में खरीदी या बेची जा सकती है;

(ज) किसी तालाब या झील के स्वामी साधि बन्धक ग्राही या पट्टेदार को यह आदेश देना कि वह ऐसे तालाब, झील में किसी प्रकार या प्रकारों की मछलियाँ इकट्ठा करें।

(झ) प्रजनन काल में नदी नालों एवं अन्य प्रजनन स्थलों में प्राकृतिक प्रजनन हेतु मत्स्य दोहन निषेध रहेगा। निजी क्षेत्र में हैचरी बनवाने

हेतु विभाग द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी।

(ञ) प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ट) मत्स्य जीवी वर्ग जिसमें बंगाली, आदिवासी, मछुवा, निषाद, कश्यप समाज आदि भी सम्मिलित हैं के लिए मात्स्यिकी प्रशिक्षण के साथ-साथ मछली पालन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ठ) मछली पालन व्यवसाय की उन्नति एवं मत्स्य कृषकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा संघ या समिति स्थापित करके प्रदत्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

(ड) विभाग प्रगतिशील कृषकों को निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे बैंक ऋण, तालाब निर्माण, मत्स्य बीज, मत्स्य आहार, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराएगा।

(ढ) मछली बाजार को नियंत्रित करना, मछली का प्रसंस्करण एवं मछली उत्पादों का क्रय एवं उपयोग को नियंत्रित करना।

(ण) निर्दिष्ट स्थानों में मछली पकड़ने के उपकरणों का संग्रह नियंत्रित करना।

(त) निर्दिष्ट स्थानों में सब या विशेष मछली प्रजाति या मछली उत्पादन प्रजाति या यातायात आवश्यकतानुसार नियंत्रित करना।

ऐसे नियम, अन्य बातें-

(क) राज्य से मछली या मत्स्य उत्पाद के आयात तथा निर्यात के लिए मार्ग निर्धारित करना।

(ख) मत्स्य अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मत्स्य आयात, निर्यात या यातायात का निषेध करना अन्यथा शर्तें निर्धारित करना।

(ग) लाइसेंस के प्रारूप, फार्म निर्धारित करना।

(घ) निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत मछली के परीक्षण का अधिकार।

(4) इस धारा के अन्तर्गत किसी नियम के बनाने में राज्य सरकार नीचे लिखी हुई बातों की व्यवस्था कर सकती है :-

(क) किसी ऐसे उपकरण को छीन लेना, हटा देना और जब्त कर लेना, जो नियमों के विरुद्ध मछली पकड़ने के लिए स्थापित किया या उपयोग में लाया गया हो ;

(ख) किसी ऐसे उपकरण द्वारा पकड़ी हुई किसी मछली को जब्त कर लेना; और

(ग) मछलियों की किसी ऐसी पेटी को जब्त करना, जहाँ नियम का उल्लघंन करके किसी के पास हो या कहीं भेजी जा रही हो।

(5) इस अधिनियम के अधीन कृत समस्त नियमों, उनके बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र जो की जा सकेगी, को राज्य विधान सभा के समक्ष जब यह एक सत्र या अनुवर्ती कई सत्रों के तारतम्य में चौदह दिनों की विस्तारित कुल अवधि के लिए सत्र में है, रखी जायेगी और जब तक कोई पश्चातवर्ती तिथि न नियत की जाय उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ऐसे उपान्तरणों या शून्यीकरण जैसा विधायिका करने को सहमत हो के अध्यधीन प्रभाविता ग्रहण करेगी, इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई उपान्तरण या शून्यीकरण उसके अधीन पूर्व में कृत किसी कार्य की वैधता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना होगी।

4. मछलियों की बिक्री को निषेध करने का अधिकार :—

राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निषेध कर सकती है कि किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में, जो इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किये जाये, कोई ऐसी मछली बिक्री या अदला बदली के लिये प्रस्तुत या प्रदर्शित न की जाय जो धारा–3 की उपधारा (3) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लघंन करके पकड़ी गई हो।

5. दण्ड :—

धारा 3 के अधीन बनाये गये किसी नियम का या किसी ऐसे निषेध का उल्लंघन करने पर जिसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति निकाली गई हो, नीचे लिखा हुआ दण्ड दिया जायेगा।

(1) पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड, और

(2) बाद में प्रत्येक बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि छः मास हो सकती है या अर्थ दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

6. विस्फोटकों द्वारा मछली विनाश पर दण्ड :—

(1) यदि कोई व्यक्ति विस्फोटकों के प्रयोग से, किसी जल क्षेत्र में किसी मछली को मारता, पकड़ता है या नष्ट करता है पहली बार दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

(2) बाद के प्रत्येक बार दण्डनीय होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थदण्ड, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

(3) ऐसी नदी, जलधारा, खाल, तालाब, झील, जलाशय जो मछली के निवास स्थल हैं, के निकट विस्फोटक पदार्थ, जो मछली मारने में प्रयोग हो सकते हैं, का संग्रह दण्डनीय घोषित होने पर किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

7. जहर द्वारा मछली विनाश पर दण्ड :-

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जहर, ब्लीचिंग पावडर, चूना या विषैले पदार्थ, विद्युत धारा से मछली पकड़ता है या नष्ट करता है, दण्डनीय घोषित होने पर, किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

(2) निषेध काल में मछली मारने या पकड़ने में कोई व्यक्ति धारा-3, उपधारा (3) भाग (घ) के अधीन निर्दिष्ट निषेध अवधि में जाल से मछली पकड़ने या मारने पर किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों ही दण्ड।

(3) संज्ञेय व गैर जमानती अपराध- इस अधिनियम की धारा 6 और 7 के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निहित है।

8. अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के लिए बिना वारन्ट के गिरफ्तारी-

(1) कोई मछली पदाधिकारी जो मत्स्य विकास अधिकारी के पद से नीचे का न हो या पुलिस पदाधिकारी, जो सब-इन्सपेक्टर के पद से नीचे का न हो, या अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे, किसी व्यक्ति को, जो उसके विचार में मछली पकड़ने का कोई अपराध कर रहा हो या करने की चेष्टा कर रहा हो, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम और पता उसे न मालूम हो ; और

(ख) वह व्यक्ति अपना नाम और पता न बताता हो या यदि जो नाम पता उसने बताया हो उसके ठीक होने के सम्बन्ध में सन्देह करने का कारण हो।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति उस समय तक के लिये रोक रखा जा सकता है जब तक कि उसका नाम और पता ठीक-ठीक न मालूम हो जाय

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उतने समय से अधिक न रोक रखा जायेगा जितना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो, सिवाय उस दशा के जब किसी मजिस्ट्रेट ने उसे रोकने की आज्ञा दी हो।

(3) प्रत्येक मछली पदाधिकारी को मछली पकड़ने के अपराध के सम्बन्ध में तलाशी लेने और जाँच पड़ताल करने के वही सब अधिकार प्राप्त होंगे, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन सब-इन्सपेक्टर के पद के किसी पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त है।

9. अपराध की संज्ञेयता-

किसी मछली पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, जो सब-इन्सपेक्टर के पद से निम्न पद का न हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत किये गये हों, अभियोग प्रस्तुत किये जाने की दशा के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में कोई न्यायालय इस एक्ट के अधीन किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

10. कुछ अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार–

(1) गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी मछली पदाधिकारी को स्वयं उसके नाम या उसके पद से इस बात का अधिकार दे सकती है कि वह:–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विषय में ऐसा प्रमाण हो जिससे यदि उसका खण्डन न किया जाय, यह सिद्ध हो कि उस व्यक्ति ने परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित मछली पकड़ने का कोई अपराध किया है, उस अपराध के लिए मुआवजे के रूप में कोई धनराशि ग्रहण कर लें, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाण (साक्ष्य) हो और ऐसी धनराशि ऐसे पदाधिकारी को दिये जाने पर वह व्यक्ति हिरासत में हो, मुक्त कर दिया जायेगा और फिर उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(ख) किसी ऐसी सम्पत्ति को जो जब्ती के योग्य होने के कारण जब्त कर ली गई हो, बिना कोई और धनराशि लिये या उसका ऐसा मूल्य लेकर, जिसका अनुमान ऐसे पदाधिकारी ने लगाया हो, मुक्त कर दे और ऐसे मूल्य का भुगतान होने पर वह सम्पत्ति मुक्त कर दी जायेगी और उसके बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के वाक्य खण्ड (क) के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रहण की गयी धनराशि किसी भी दशा में उस धनराशि से अधिक न होगी, जो परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ में वर्णित अपराध विशेष के लिए उसके द्वितीय स्तम्भ मुआवजे के रूप में ली जा सकती हो।

11. अधिनियम लागू करने के लिए चिन्हित राज्य कार्मिक–

मत्स्य अधिनियम के निष्पादन के लिए नियुक्त किये गये सभी अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक माने जायेंगे।

परिशिष्ट

(धारा 10 देखिये)

क्षतिपूर्ति की अधिकतम धनराशि जो मछली पकड़ने के कतिपय अपराधों के लिए धारा 10 के अन्तार्गत क्षतिपूर्ति के रूप में ली जा सकती है।

	अपराध का विवरण	क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाने योग्य अधिकतम धनराशि
	1	2
1	ऐसे जाल से मछली मारना, जिसके फंदे इस एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित नाप से छोटे हो	एक हजार

1	2
2. बिना लाइसेंस के मछली मारना	एक हजार
3. ऐसे मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्ट करना जो इस एक्ट द्वारा निर्धारित माप से कम नाम तौल की हो	पाँच सौ
4. मछली मारना निषेध अवधि में ऐसी जाति की मछलियों को मारना, पकड़ना या बेचना या मारने पकड़ने बेचने की चेष्टा करना, जिन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो	पाँच सौ
5. नियम के अधीन स्वीकृत विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि या उपकरण से मछली पकड़ना	पाँच सौ
6. नियम के अधीन स्वीकृत, एक समय में दो से अधिक विधि या उपकरण का प्रयोग	पाँच सौ
7. मछली मारते समय लाइसेंसदारों का बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को अपनी जालों सहित मछली पकड़ने में सहायता देने के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना।	पाँच सौ
8. ऐसे जलाशय में मछली पकड़ना या पकड़ने की चेष्टा करना, जिसमें मछली मारने का निषेध हो	पाँच सौ
9. ऐसी मछलियों को बेचने या अदला बदली करने के लिये उपस्थित या प्रदर्शित करना, जिनका धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट क्षेत्र में बेचना निषिद्ध हो	पाँच सौ
10. धारा 3 की उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (छ) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके मछली को बाहर भेजना या भेजने की चेष्टा करना	एक हजार
11. निर्दिष्ट बाजार से अधिक मूल्य पर मछली बेचना या बेचने की चेष्टा करना	पाँच सौ
12. धारा (3) की उपधारा (3) के वाक्य खण्ड (ट) के अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करके मछली पकड़ने के उपकरण रखना	चार सौ

उत्तरांचल की मुख्य नदियाँ एवं सहायक नदियाँ माहसीर एवं ट्राउट क्षेत्रों को दर्शाते हुए

जनपद	उत्तरांचल में नदी/सहायक नदी का नाम	उत्तरांचल में लम्बाई (कि0मी0)	माहसीर जौन (कि0मी0)	ट्राउट जौन (कि0मी0)
1	2	3	4	5
देहरादून	यमुना	50	30	—
	टौंस	45	—	15*

1	2	3	4	5
	सौंग	25	25	—
उत्तरकाशी	असीगंगा	34	—	34*
	यमुना	50	15 (बड़कोट से नीचे)	35 (बड़कोट से ऊपर)
	भागीरथी	140	45 (गंगोरी से नीचे)	95 (गंगोरी से ऊपर)
	टौंस	20	—	20
चमोली	रामगंगा (प0)	20	—	—
	पिण्डर	93	—	93*
	अलकनन्दा	150	—	150
	विष्नु गंगा	150	—	150
	विरही गंगा	50	—	50*
	गरुड़ गंगा	15	—	15
	बालखिला	15	—	15*
	अमृत गंगा	05	—	05
	नन्दाकिनी	40	—	40
	निगोल	15	—	15
	उपला	15	—	15
	अनन्तगाड़	20	—	20
रुद्रप्रयाग	नन्दाकिनी	100	(बासवारा से नीचे)	40 (अगस्तमुनी से ऊपर)
	काली नदी	10	—	10
	मदमहेश्वर	25	10	15
	कल्प गंगा	15	—	15

1	2	3	4	5
	काकड़ा नदी	15	—	15
टिहरी	भागीरथी	80	80	—
	भिलंगना	50	20(भागीरथी संगम से ऊपर)	—
पौड़ी	रामगंगा (प0)	37	37	—
	अलकनन्दा	50	50	—
	नयार (पू0)	60	60	—
	नयार (पं0)	50	50	—
	गंगा	48	48	—
	नयार नदी	18	18	—
	कोठारी नदी	21	—	—
	पलान नदी	21	—	—
	खोह नदी	12	—	—
	मालिन नदी	12	12	—
	रैबासन नदी	15	—	—
	मिनाथला नदी	12	—	—
	नल नदी	18	—	—
	हियाल नदी	27	—	—
	सोन नदी	12	—	—
हरिद्वार	गंगा	20	20	—
	सौंग	05	05	—
	सुवा	12	12	—

1	2	3	4	5
कुमाऊँ				
नैनीताल	कोसी	60	60	—
	गौला	50	15 (काठगोदाम से ऊपर)	—
	नंधौर	30	30	—
	भवाली नाला	20	10(कैंची मन्दिर से नीचे)	—
अल्मोड़ा	कोसी	58	58	—
	रामगंगा (प०)	77	77	—
	सुयाल	41	15(कोसी नदी संगम से ऊपर)	—
	गगास	38	38	—
	विनोद	20	—	—
	पनार	26	26	—
बागेश्वर	सरयू	57	40(कपकोट से नीचे)	—
	लाहुर	10	10	17(कपकोट से ऊपर)
	गोमती	40	5	—
	फनगाड़	20	20	—
	गरूड़ गंगा	10	10	—
पिथौरागढ़	रामगंगा	92	70(सरयू संगम से ऊपर)	22(तेजम से ऊपर)
	सरयू	60	60	—
	काली	190	150	40 (धारचूला से ऊपर)
	गौरी	90	30(काली संगम से ऊपर)	60 (मदकोट से ऊपर)
	धौली	80	—	—
	चरमागाड़	14	5	—

1	2	3	4	5
	दुली गाड	18	18	—
चम्पावत	काली	20	20	—
	लोहावती	40	40	—
	लधिया	50	50	—
ऊधमसिंह नगर	शारदा	10	—	—
	कैलाश	10	—	—

अधिकांश नदियों के ऊपरी भाग में असेला प्रजाति (स्नो ट्राउट) की मछलियों के प्राकृतिक निवास स्थल हैं।

*वर्तमान ट्राउट क्षेत्र।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 11 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की सूचना

*कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मेरी एक सूचना है। कृपया मुझे सुनने का कष्ट करें। मान्यवर, बड़े दुःख का विषय है कि लक्सर क्षेत्र में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मान्यवर, विडम्बना देखिये कि इस महिला की बात सुनने के बजाय उसके साथ बदसलूकी की गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना लिखकर हमें दे दीजिए हम इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

अमेरिका–ईराक युद्ध में ईराक की युद्ध पीड़ित जनता के प्रति संवेदना प्रस्ताव

नियम 110 के अन्तर्गत माननीय काशी सिंह ऐरी जी का संवेदना प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ, इससे माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी सहमत हैं। कृपया आप अपना प्रस्ताव रखें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह सदन ईराक की युद्ध पीड़ित जनता के प्रति अपनी गहन संवेदना प्रकट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करता है कि अन्तिम विजय, युद्ध की नहीं अपितु युद्ध विरोध और शान्ति की होगी, क्योंकि जहाँ एक ओर अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों की सरकारें ईराक युद्ध में सम्मिलित हैं, वहीं उन देशों की लाखों–लाख शान्ति प्रिय जनता युद्ध के विरोध में दिन पर दिन लामबन्द होती जा रही है। यह सदन भारत सरकार द्वारा ईराकी जनता को मानवीय सहायता के तौर पर प्रदान की गयी दो करोड़ डालर के सहयोग के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अधिक मानवीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन ईराक की युद्ध पीड़ित जनता के प्रति अपनी गहन संवेदना प्रकट करते हुए यह अभिमत व्यक्त करता है कि अन्तिम विजय, युद्ध की नहीं अपितु युद्ध विरोध और शान्ति की होगी, क्योंकि जहाँ एक ओर अमेरिका ब्रिटेन सहित कई देशों की सरकारें ईराक युद्ध में सम्मिलित हैं वही उन देशों की लाखों–लाख शान्ति प्रिय जनता युद्ध के विरोध में दिन पर दिन लामबन्द होती जा रही है।

यह सदन भारत सरकार द्वारा ईराकी जनता को मानवीय सहायता के तौर पर प्रदान की गयी दो करोड़ डालर के सहयोग के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और अधिक मानवीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 3 बजे पुनः आरम्भ हुई

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

*चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी आज से ठीक एक वर्ष 18 दिन पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

18 मार्च, 2002 को महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह साहब ने अपना यही अभिभाषण पढ़ा था कि यह कार्य 3 माह में होंगे। मान्यवर, जनता को उम्मीद थी कांग्रेस सरकार कुछ काम करेगी। ठीक 28 मार्च, 2003 को महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल जी ने अपना भाषण दिया उसमें 134 पैरा हैं जिनमें से 71 पैरों में एक ही बात देखने को मिली कि प्रयास करेंगे, प्रयास करने होंगे, प्रयास किये जायेंगे, प्रयास के लिए आशा की जा रही है पूर्वालोकन किया जा रहा है, प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है आदि–आदि। माननीय अध्यक्ष जी पता नहीं यह सरकार इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहती है। एक साल हो गये अभी तक उनके प्रयास ही जारी है, मैं समझता हूँ कि निश्चित ही यह सरकार कोई अच्छी दिशा की ओर नहीं जा रही है। मान्यवर, पैरा 71 में गन्ने की बात कही गयी है, मान्यवर, किसान का बेटा हूँ पहले गन्ने की बात कहूँगा, इसमें कहा गया है कि 442.5 करोड़ रुपये हमने काश्तकार को दिलवा दिया। मान्यवर, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई उपलब्धि थोड़े ही है, पहले जितनी भी सरकारें आयी हैं उन्होंने काश्तकारों को पैसा दिलवाया, उपलब्धि तो तब होती जब यह कहा जाता कि किसानों को पैसा 15 दिन के अन्दर दिलवा दिया जाएगा, उत्तरांचल का गन्ना पहले लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश का बाद में। मान्यवर, इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि एक प्रतिशत रिकवरी अधिक मिल गयी है तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह काश्तकार को थोड़े ही मिल रही है। यह सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है कि हमने पैसा दिलवा दिया। मान्यवर, पैरा 73 में बागों की बात कही गयी है इसमें रामनगर को लीची जोन घोषित कर दिया गया और ऊधमसिंह नगर को बासमती जोन घोषित किया गया है। मान्यवर, क्या सरकार आम को भूल गई। हरिद्वार जनपद में आम के बहुत बाग हैं। निश्चित रूप से उनका भी जिक्र करना चाहिए था, इससे प्रोत्साहन मिलता है। पैरा 44 में हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गयी है।

मान्यवर, मेडिकल कॉलेज की बात कही गयी है। हल्द्वानी के अलावा अगर हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाता तो सरकार की पारदर्शिता नजर आती। मैं कहना चाहता हूँ कि देहरादून में राजधानी, नैनीताल में हाईकोर्ट, हल्द्वानी में और नगर में मेडिकल कॉलेज। मान्यवर, पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है ? मान्यवर, सिर्फ पहाड़ों का विकास हो, मैदान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, बजट में दलितों की बात कही गयी है। निश्चित रूप से दलितों का उत्थान हो। अच्छा होता कि स्थायी पट्टे दलितों के नाम रजिस्टर्ड कराकर उनके नाम जमीन करती। मान्यवर, दलितों को खराब जमीन दी जाती है जिसको वह बहुत मेहनत से ठीक करता है। मान्यवर, आपने मुझे केवल पाँच मिनट का समय दिया है उसमें हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यह सरकार जनहित के कार्य नहीं कर रही है इसका उद्देश्य जनहित का नहीं है। मान्यवर, अनु0 13/14/15/28/340/341 अभिभाषण का उल्लंघन करता है अतः अभिभाषण जनहित में नहीं है। इस बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ।

"तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे,
तेरे आसू, मेरी आँखों से निकल सकते थे,
तुम तो ठहरे ही रहे झील में पानी की तरह,
दरियाँ बन के तो बहुत दूर निकल सकते थे।"

श्री अध्यक्ष–

काफी माननीय सदस्यों को बोलना है अतः मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

(श्री अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में 134 बिन्दुओं के माध्यम से उत्तरांचल राज्य के चहुँमुखी विकास की योजनाओं एवं विकास कार्यों का उल्लेख किया है, मैं इसके लिए महामहिम राज्यपाल एवं नेता सदन विकास पुरुष माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी एवं मंत्री परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार ने विगत वर्ष उत्तरांचल के चहुँमुखी विकास के संकल्प के साथ शपथ ली वह एक वर्ष के कार्यकाल में स्पष्ट नजर आ रहा है, जिसका परीक्षण उत्तरांचल की जनता ने विगत चार अवसरों पर प्रजातांत्रिक तरीके से किया है। इसके लिए मैं उत्तरांचल की महान जनता को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तरांचल को ऊर्जा प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था। उसके संदर्भ में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है या पूर्ण होने को है। विद्युत कटौती समस्या का समाधान कर सम्पूर्ण उत्तरांचल को 24 घन्टे बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया है तथा सफल रहे हैं। मैं इसके लिए विकास पुरुष माननीय नारायण दत्त तिवारी एवं उनके माननीय मंत्रीगणों को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में शिक्षा जगत में सबको शिक्षा की बात कही गई है उसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने और विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने का वादा किया है। उसमें हमारी सरकार ने विगत वर्ष से ही प्रयास शुरू कर दिये हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार ने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर पदों का सृजन कर नियुक्तियाँ प्रदान करने की कार्यवाही की है। मान्यवर, इण्टर कॉलेजों में कम्प्यूटर उपलब्ध करवाकर, भवनों की कमी को दूर करने के लिए धन उपलब्ध करवाया है। तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा दिया है।

मान्यवर, आपको याद होगा गत वर्ष पूर्व सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही थी। वर्तमान में हमारी सरकार अपने कर्मचारियों को जहाँ समय पर वेतन दे रही हैं वहीं कई विभागों में कर्मचारियों को नियुक्त भी किया गया है। वन निगम में कई कर्मचारियों को सेवा दी गई है। मान्यवर, इस अल्प अवधि में नवीन सड़कों का कार्य, सड़कों का सुधारीकरण आदि के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद का पात्र है। सड़क, पुल आदि के निर्माण की योजना बनाई गई है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा मा0 नेता प्रतिपक्ष माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने की है। मान्यवर, विगत माह डी0आर0डी0ए0 की बैठक में इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर चर्चा हुई थी। जिसमें 1000, 500, 250 की जनसंख्या वाले अनकनेक्टेड गाँवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की बात कही गई है जिसमें वहाँ जो कन्सलटेन्ट थे उन्होंने बताया कि केवल 30 किलोमीटर का पैकेज ही दिया गया है जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भौरनौला–मझोला मोटर मार्ग अकेले ही 60 कि0मी0 है एवं अनकनेक्टेड ग्रामों की सूची के अनुसार 80 ऐसी सडकें है जो मुख्य मार्ग से नहीं जुडी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसमें केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि लाने का कष्ट करें। जहाँ तक विभिन्न योजनाओं की बात है। ए0पी0डी0पी0 के अन्दर पैसा मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को जो विरासत में घाटे की चीनी मिलें मिली थी उसमें 6 सरकारी और 4 प्राइवेट चीनी मिलें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से गन्ना कृषकों को बकाया भुगतान किया जा सका है एवं वर्तमान में गन्ना क्रय नियमानुसार तौल कर किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी चीनी मिलों से गन्ना मूल्य 95 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया है इसमें 75 रुपये प्रति कुन्तल अग्रिम देकर शेष एरियर के रूप में देने के निर्देश दिये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में जो समस्याएं थी, उनका निदान हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। माननीय नेता प्रतिपक्ष और कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि विकास की गति रुक गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के मुखिया श्री नारायण दत्त तिवारी जो भारत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में उत्तरांचल विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सामने आयेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि

"वो चले जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे।"

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि

"माननीय तिवारी जी, नेता सदन विकास पुरुष हैं,

उनके संरक्षण में विकास होता जाएगा और आप देखते रह जाएंगे।"

अन्त में मैं, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार की उपलब्धियों, जिसको उत्तरांचल की महान जनता ने स्वीकारा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि उत्तरांचल की सरकार जिसके मुखिया माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हैं जो कि भारत में सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य का बहुँमुखी विकास होगा एवं उत्तरांचल भी भारत वर्ष में लोकप्रिय राज्य होगा। धन्यवाद।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण सदन में रखा था उसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है कि पिछले एक वर्ष में सरकार की क्या उपलब्धि रही ? महामहिम राज्यपाल जी का जो पिछली बार का अभिभाषण था उसमें भी 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी परन्तु इस सरकार द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ? जब तक प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक सम्यक् और ठोस नीति नहीं बनेगी, रोजगार की दिशा में तरक्की नहीं हो सकती।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को देखा जाय तो एक ही चीज समझ में आती है और बार-बार रिपीट होती है कि जो यह प्रस्ताव है उसे केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है यदि हम केन्द्र सरकार पर निर्भर रहेंगे और रिजर्व बैंक से ऋण लेकर प्रदेश चलाना चाहेंगे तो यह शर्मनाक और दुखद स्थिति होगी। जो हमारे संसाधन हैं पर्यटन की सम्भावनायें हैं पानी के स्रोत है उनका क्या होगा क्या हम अपने रिसोर्सेज का दोहन और उपयोग भी नहीं कर सकते हैं ?

मान्यवर, हमारा प्रदेश दैवीय आपदा ग्रस्त प्रदेश है इतनी दैवीय आपदायें जैसे भूकम्प, भूस्खलन आदि यहाँ पर आये दिन होते रहते हैं। इसके लिए पिछली सरकार द्वारा दैवीय आपदा विभाग बनाया गया था उसमें कहाँ-कहाँ पर दैवीय आपदायें आईं और उनके मानचित्र बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे थे और वहाँ से जो पैसा आया उसका उपयोग यहाँ पर किया गया था। दैवीय आपदा ग्रस्त हमारा पूरा उत्तरांचल है। मंत्री जी ने बताया था कि 83 गाँव दैवीय आपदा में भूस्खलन से प्रभावित हैं और उनमें से 52 गाँव जनपद पिथौरागढ़ में हैं जो कि भूस्खलन से प्रभावित हैं। इन 52 गाँवों में भूस्खलन के कारण पेयजल योजनायें भी ध्वस्त हुईं, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुए, झूलापुल भी टूट गये और सड़कें भी प्रभावित हुई हैं और दैवीय आपदा के राहत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इसी अनुपात में पैसा भी स्वीकृत किया गया जब उस मद के पैसे से देहरादून में ऊधमसिंह नगर में, हल्द्वानी में सड़कें बनी लेकिन जो जनपद पिथौरागढ़ में 52 गाँव प्रभावित हुए उनको भी यह पैसा मिलना चाहिए था जहाँ एक ओर एक जनपद को 1 करोड़ छः लाख रुपया दिया गया वहीं पिथौरागढ़ जनपद को मात्र 12 लाख रुपया दिया गया और उस पैसे से एक पेयजल योजना भी तैयार नहीं हो सकती है दैवीय आपदा जैसे मामले में यह सहायता तत्काल और मानक के अनुसार दी जानी चाहिए।

पिछली सरकार ने जो ए०एन०एम० की नियुक्ति की गई थी जिनकी उम्र 35-40 साल हो चुकी थी उन्हें संविदा के आधार पर नौकरी पर रखा परन्तु इस सरकार ने 31 मार्च को उनको नौकरी से हटा दिया है और एक तरफ वे 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जिनको 35-40 साल में नौकरी मिली थी उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग को देखें तो पता चलता है कि जो योजनायें पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई थीं उन्हें धन नहीं मिल पा रहा है जिसके अभाव में वे अभी तक अधूरी हैं। मेरे क्षेत्र में मसूरीकान्डा होकरा, जो 3500 की आबादी वाला गाँव है, उसके लिए वर्ष 1997-1998 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 10 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा उसके लिए पैसा नहीं दिया गया।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि मुनस्यारी में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं बना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चुफाल जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, पिछली सरकार के समय में टी–बोर्ड द्वारा डीडीहाट में मृदा परीक्षण कराया गया था और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा वहाँ पर एक नर्सरी बनायी गयी थी। मान्यवर, अब उस नर्सरी के पौधे बड़े हो गये हैं और उन्हें दूसरी जगह पर रोपित करना है, लेकिन सरकार के पास इन पौधों को डीडीहाट में दूसरी जगह पर रोपित करने के लिए तो पैसा नहीं है, परन्तु कौसानी के लिए पैसा खर्च करने को सरकार तैयार है। मान्यवर शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ, सरकार कह रही है कि हम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को निःशुल्क किताबें मुहैया करायेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ जिले के दूर–दराज के क्षेत्रों में आज भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को निःशुल्क किताबें नहीं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में 5 राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज ऐसे हैं, जहाँ पर प्रवक्ताओं के पद रिक्त होने के कारण हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों में प्रवक्ता के पद रिक्त हैं, उनको तत्काल भरा जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा0 नारायण सिंह जन्तवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे चर्चा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं कृतज्ञतापूर्वक आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, दुनिया के वृहद लोकतान्त्रिक जन आन्दोलन के परिणाम स्वरूप उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया और उत्तराखण्ड की जनता की अपेक्षा थी कि राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड के समग्र विकास और स्वस्थ लोकतान्त्रिक विकास के लिए समग्र प्रयास होंगे और कम से कम हमारी पहली निर्वाचित सरकार इस दिशा में पूरे देश को रोशनी दिखाने का काम करेगी। हम समझते थे कि हमारी जो सरकार है, यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण कर समयबद्ध तरीके से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। मान्यवर, इससे एक निरन्तरता प्राप्त होती है। मान्यवर, मुझसे पहले भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पिछले साल महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था, उसमें और इस साल के अभिभाषण में निरन्तरता होनी चाहिए थी, जो लक्ष्य पिछली बार निर्धारित किए गये थे, उनका जिक्र इस अभिभाषण में होना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से वह इसमें दिखाई नहीं देता है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद हमारा एक लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का भी था, इसका अर्थ यह है कि आज हमारे देश के अन्दर जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर से जनता का विश्वास उठ गया है। हम यह समझते थे कि इतने वृहद जनआन्दोलन के बाद जो राज्य बना है, वह इस व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएगा। हम समझते थे कि सरकार एक ऐसे धारदार लक्ष्य की परिकल्पना को साकार रूप देगी जो जनता की समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी कोई कटिबद्धता इस अभिभाषण में दिखाई नहीं देती है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि यह जो राज्य है संसदीय लोकतंत्र के लिए नई परम्परायें स्थापित करेगा और वह देश का अग्रणी राज्य बनेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई लोकतांत्रिक संस्था जब प्रारम्भ में सामने आती है तो उसमें उनको संचालित करने वाले लोग हैं वह आदर्श और त्याग की भावना के साथ एक अच्छी भावना रखते हैं, अगर यह संचालन करने वाले लोग केवल अपने–अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करेंगे तो एक अच्छा लोकतंत्र नहीं बन सकता। मान्यवर, मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए कहना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनका जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। मान्यवर, उत्तराखण्ड की जनता मुज्जफरनगर काण्ड के अवसर पर जिस उत्पीडन का डंक यहाँ की जनता ने सहा है उसे हम भूला नहीं पायेंगे। जिस तरह से यहाँ उत्तराखण्ड में मुज्जफरनगर काण्ड के बाद निराशा थी। आज यहाँ के नवजवानों और महिलाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है वह चाहती थी कि मुज्जफरनगर काण्ड में जो अधिकारी दोषी हैं उनको सरकार दण्डित करेगी। सरकार द्वारा आज तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड का सामाजिक तानाबाना है, सांस्कृतिक तानाबाना है, आर्थिक तानाबाना है उसको बनाये रखने के लिए जिस प्रकार से हिमांचल प्रदेश में व्यवस्था है उसी के अनुरूप यहाँ पर भी व्यवस्था बनायी जाय, मान्यवर, यह एक बुनियादी सवाल है इस बुनियादी सवाल को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो इसके दुष्परिणाम होंगे।

मान्यवर, उत्तराखण्ड के साथ जो राज्य बने थे उन्होंने अपने राजधानी का मसला सुलझा लिया है, मगर हम आज तक अपने राज्य की राजधानी का मसला हल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो नैनीताल शहर है उसको उत्तर प्रदेश के जमाने में ए क्लास सीटी का दर्जा मिला था लेकिन यहाँ राज्य बनने के बाद यहाँ बी–2 का दर्जा भी नहीं दिया गया, इससे यहाँ पर जो अधिकारी बाहर से आते हैं उनको तो टी0ए0डी0ए0 ज्यादा मिलता है लेकिन यहाँ के अधिकारियों को कम मिलता है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कमिश्नरी मुख्यालय पर कौन से कार्यालय रहेंगे। मान्यवर, वहाँ पर एक वन विभाग का कार्यालय है उस कार्यालय को भी वहाँ से हटाने की बात चल रही है। अन्त में कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से यहाँ पर 95 करोड़ की योजना मिली है उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ तथा जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है वह जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार के कार्यों का प्रतिबिम्ब होता है और तथा वह यह दर्शाता है कि हमारी सरकार कितनी क्रियाशील और संवेदनशील है। पिछले राज्यपाल जी के अभिभाषण में जितने कार्यों का उल्लेख किया गया था उन पर सरकार बड़ी निष्ठा से काम कर रही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मान्यवर, अभिभाषण में उत्तराखण्ड आन्दोलन के शहीदों को सम्मान देने की बात कही गई है जिसके तहत मुज्जफरनगर में भूमि की व्यवस्था कर ली गई है कलेक्टर परिसर देहरादून में शहीद स्मारक का शिलान्यास कर लिया गया है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से हम आज लोकतंत्र का एक हिस्सा बने हैं। शहीदों और स्वतंत्रता संग्रामियों के आश्रितों को जो पेंशन में बढ़ोत्तरी की है उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति का जो वादा पिछले अभिभाषण में किया था उसको भी पूरा किया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

हमारी सरकार ने सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है आज हर विकास खण्ड को कम्प्यूटरों से जोड़ दिया गया है तथा जिला मुख्यालय, विधान सभा तथा मुख्यमंत्री आवास तथा कार्यालय को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जोड दिया गया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाए। इस वीडियो कांफ्रेसिंग को तहसील और विकास खण्ड स्तर पर पहुँचाया जाए। मान्यवर, हमारी सरकार ने राजकीय इण्टरमीडिएट स्तर तक के कॉलेजों को कम्प्यूटरीकृत किया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मेरा निवेदन है कि अगले सत्र के शुरु होने तक राजकीय हाई स्कूलों में कम्प्यूटरों की व्यवस्था कर दी जायेगी। मान्यवर, एक निवेदन और है कि जो अशासकीय विद्यालय हैं उनको कम्प्यूटरीकृत किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे जो स्वतत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके आश्रितों को सरकार व्यापक स्तर पर सरकारी नौकरी दे तो यह हमारी स्वतंत्रता संग्रामियों तथा शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धान्जली होगी।

इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ लोक निर्माण विभाग को, जिन्होंने 240 करोड रुपये की राशि पुरानी सड़कों के निर्माण तथा उनके रख–रखाव पर खर्च की तथा एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ जो मरचूला–भैरगखाल–सौपखाल–डोटियाल सराई खेतमार्ग है जिसकी लम्बाई 65 कि0मी0 है उसमें से 19 कि0मी0 का डामरीकरण स्वीकृत हो गया है इसका शुरु और आखिरी का हिस्सा रह गया है। मुझे आशा है कि अगली बार जब सड़कों के डामरीकरण की व्यवस्था सरकार करेगी तो इस मार्ग को पूरा कर दिया जायेगा। इसके साथ ही जोडोटियाल देघाट कच्चा मोटर मार्ग जिसकी लम्बाई 19 कि0मी0 है, भैसिया पीपना कच्चा मोटर मार्ग जिसकी लम्बाई 10 कि0मी0 है, क्वैरला डमरा कच्चा मार्ग जिसकी लम्बाई 07 कि0मी0 है एवं पट्टी काजोट मिकियासैण कच्चा मोटर मार्ग जिसकी लम्बाई 15 कि0मी0 है का निर्माण किया जाना है मान्यवर, यह सारे मोटर मार्ग 1980 में निर्मित किये गये थे किन्तु यह अभी तक कच्चे हैं। मान्यवर, यह वे क्षेत्र में जहाँ के लोगों ने आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके योगदान को देखकर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुमाऊँ के बारदोली की संज्ञा दी थी। लेकिन मान्यवर, आज भी वहाँ पर लोगों को 19–19 कि0मी0 की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है।

मान्यवर, हमारी सरकार वृद्ध, असहाय तथा दुर्घटना में घायल लोगों की प्राथमिकता की दृष्टि से सहायता करेगी। माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में सन् 1989 में उत्तर प्रदेश में, सरकार ने कुटीर योजना लागू की थी, उसके बाद कई सरकारें आयीं

और गयीं। यह योजना किन कारणों से बन्द हुई। मान्यवर, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। हमारी सरकार ने एक बार फिर उत्तरांचल में यह योजना प्रारम्भ करके 40 हजार लोगों को कनेक्शन देने का वायदा किया है। मान्यवर, मैं पेयजल मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तरांचल जल संस्थान और उत्तरांचल पेयजल संस्थान का निर्माण करके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जब बोरिंग के जरिये पानी आता है, तो उस समय जनता के चेहरों की मुस्कराहट देखने लायक होती है, इसका प्रत्यक्षदर्शी खुद मैं हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई हैण्ड पम्पों का निर्माण किया गया है। आशा है यह सरकार लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करेगी। मान्यवर, जैविक खेती उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करेगी। अभी तक हम जो हल, बैल तथा कृषि यंत्र आदि खेती के लिए ले जाते थे। अब इसकी जगह हम जैविक खेती को अपनाने जा रहे हैं। आज पूरे देश तथा विदेशों में जैविक खेती की जा रही है। हम इस खेती से कम समय में अधिक लाभ ले सकते हैं, जो एक मील का पत्थर होगा।

मान्यवर, हमारी सरकार ने जड़ी–बूटी कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया, यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मान्यवर, इस सरकार ने नगरपालिका तथा पंचायतों का चुनाव कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन चुनावों को लेकर हमारे माननीय सदस्य बहुत उत्सुक थे, अब उनकी उत्सुकता समाप्त हो गयी है। (तालियों की गड़गड़ाहट की ध्वनि) मान्यवर, जहाँ तक 13 विधायकों के पत्रों का सवाल है (तालियों की गड़गड़ाहट की ध्वनि) यह हमारी पार्टी का मामला है, आपको अपनी पार्टी देखनी चाहिए। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम का अभिभाषण सरकार के कार्यों का दर्पण होता है, सरकार का दस्तावेज होता। मान्यवर, जब पिछले वर्ष यह दर्पण दिखाया गया था तो मन से एक आशा की किरण जागी थी कि शायद तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार जनता के हितों, उत्तरांचल के विकास, उन्नति प्रगति के लिए कुछ करेगी, लेकिन एक वर्ष बाद पुनः महामहिम के अभिभाषण से लगता है कि सरकार ने वर्ष भर आपसी खींचतान के अलावा कुछ नहीं किया है। मान्यवर, यदि सरकार के किसी मंत्री या किसी जिम्मेदार से सरकार की वर्ष भर की उपलब्धि के बारे में पूछा जाय तो वह सम्बन्धित मंत्री केवल एक ही उपलब्धि गिनाता है कि तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है।

मान्यवर, विभाग में कितना ही भ्रष्टाचार हो, कितने ही अधिकारी निलम्बित किये गये, कार्य की प्रगति शून्य हो, लेकिन आदरणीय तिवारी जी के नाम पर सब जायज है। मान्यवर, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उस विभाग के बारे में टिप्पणी करने को कहा जाता है तो वह मंत्री जी केवल इतना कहते हैं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी

हमारे मुख्यमंत्री हैं। मान्यवर, हम भी कहते हैं माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री हैं, जब वे मुख्यमंत्री बने तो हमने कहा था कि उत्तरांचल निश्चित रूप से प्रगति की ओर बढ़ेगा। लेकिन बार–बार भ्रष्टाचार होने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि माननीय तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं तो उसी का परिणाम हुआ कि माननीय तिवारी जी आज बीमार हो कर अस्पताल में भर्ती हो गये। मैं, आदरणीय तिवारी जी के जीवन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि निश्चित रूप से तिवारी जी बीमार हुए हैं लेकिन दवाई खाने की जरूरत मंत्री मण्डल को है। मान्यवर, 13 महीनों की सरकार उत्तरांचल से उत्तराखण्ड के नाम पर उलझी सी प्रतीत होती है। भ्रष्टाचार की सारी सीमायें लांघ दी गयी हैं। पटवारी प्रकरण से लेकर दरोगाओं की भर्ती, जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, लोक निर्माण विभाग में टेण्डर का घोटाला, दवा का घोटाला, कम्प्यूटर की खरीद का घोटाला न जाने कितने घोटालों का रिकार्ड इस सरकार ने 13 महीनों में किया। मान्यवर, डी0एम0, सी0एम0ओ0, सी0एम0एस0, को निलम्बित किया गया, तो इससे सिद्ध होता है कि घोटाले किये गये हैं। लेकिन जब सरकार से घोटालों के बारे में अन्य कार्यवाही के लिए बात की जाती है तो उच्च कार्यवाही के लिए लोकायुक्त की बात की जाती है।

मान्यवर, 12 वें वित्त आयोग का बहाना लेकर सरकार बजट नहीं लायी है। लेखानुदान लाने के पीछे सरकार द्वारा विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। मान्यवर, विकास कार्यों के लिए उत्तरांचल राज्य को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक मदद मिली, विशेष राज्य का दर्जा मिला लेकिन सरकार इसका सदुपयोग नहीं कर पा रही है। पिछले वर्ष अक्टूबर में दिल्ली में उत्तरांचल महोत्सव का आयोजन किया गया इस समारोह को सम्पन्न कराने का ठेका दिल्ली के कुछ निजी इवेंट मैनेजमेन्ट घरानों को दिया गया जो कार्य पर्यटन विभाग कर सकता था उससे दूसरों को करोड़ों का फायदा पहुँचाया गया। मान्यवर, प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के मण्डप निर्माण, मेला अवधि में आयोजित सांस्कृतिक, कार्यक्रम 17वें सूरजकुण्ड मेले के आयोजन तक जितने भी आयोजन हुआ सभी में उत्तरांचल के बाहर के लोगों को फायदा पहुँचाया गया है। मान्यवर, पुनर्गठन के सम्बन्ध में संस्थाओं, परिसम्पत्तियों, विभिन्न सेवा संवर्गों के विभाजन आदि अनेक महत्वपूर्ण मामले थे जिनको यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किये गये हैं। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा उत्पादित बोतल बन्द मिनरल वाटर इस निगम के अतिथि गृहों में ही उपलब्ध नहीं है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि 3 माह में नीति बना लेंगे, लेकिन 3 माह की नीति तो दूर अभी तक उ0प्र0 से बँटवारा भी नहीं हो पाया है। मान्यवर, मैं रोजगार नीति के बारे में कहना चाहता हूँ, जिस प्रदेश में शिक्षा की नीति मिलेगी, रोजगार की नीति मिलेगी तो वह प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ेगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के पिछले अभिभाषण में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गयी थी, रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, आज सरकार के पास स्पष्ट नीति भी नहीं है। मान्यवर, उत्तरांचल बनने से पहले जो पलायन चल रहा था, वह आज भी जारी है, ज्यों का त्यों है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करता हूँ। मान्यवर, भारत–सरकार ने राज्य के लिए एक औद्योगिक प्रोत्साहन का पैकेज जनवरी माह में घोषित किया था। इस पैकेज में विभिन्न श्रेणी के उद्योगों के लिए 10 वर्ष के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट, आयकर से 5 वर्षों के लिए शत–प्रतिशत और इसके पश्चात् 25 से 30 प्रतिशत छूट तथा पूँजी लागत में 15 प्रतिशत और अधिक से अधिक 30 लाख तक के अनुदान की व्यवस्था की गयी है, लेकिन अभी तक औद्योगिक नीति के अभाव में उत्तरांचल की ओर आने वाले उद्यमियों को परेशानी हो रही है। मान्यवर, उद्योगपति इस प्रदेश में आना चाहते थे, वह जनवरी से इन्तजार कर रहे हैं कि शायद सरकार की कोई औद्योगिक नीति स्पष्ट होगी, लेकिन आज तक इस नीति को स्पष्ट नहीं किया गया है मान्यवर, विद्युत के बारे में ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि एक जिला भी ऐसा नहीं है जहाँ 24 घण्टे बिजली आती हो जैसा कि बार–बार कहा जाता है कि उत्तरांचल में 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति होगी। मान्यवर, कहा जाता है कि तार टूट गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं हैं, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो तारें टूट गयी हैं उन्हें जोड़ा क्यों नहीं जाता, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाए जाते। मान्यवर, माननीय पेयजल मंत्री यहाँ बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। माननीय पेयजल मंत्री सदन में हैं, वे यहाँ बैठे–बैठे ही पानी से लबा–लब कर देते हैं, लेकिन मान्यवर, जब क्षेत्र में हम जाते हैं तो देखते हैं कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। श्री कण्डारी जी ने यह बात भी पिछले दिनों सदन में उठायी थी, वह इस बात से बहुत दुखी हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ऐसी समस्या मौके पर नहीं होगी तो वह इस्तीफा दे देंगे। मान्यवर, इस सरकार से किसान जितने दुखी हैं उतना इस सरकार से पहले कभी दुखी नहीं रहे हैं। गन्ना किसानों की महत्वपूर्ण पैदावार है, लेकिन आज तक किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है, आज किसान गन्ने को 40 रू0 कुन्तल पर बेचने को मजबूर है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं दो बातों को कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था तो राज्य की माँग के पीछे यहाँ उपेक्षित, कुचले, दबे वर्ग के उत्थान का चिन्तन भी इसमें समाहित था, लेकिन मान्यवर, आज भी जनजातियों एवं आदिमजाति के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तोलछा, मारछा, भोटिया, थारू, बोक्सा, जौनसारी आदि जनजातियों

को आज के नए राजनैतिक वातावरण में पूर्ण रूप से विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि–

"देवदारों के घने लम्बे हुए कितने दरख्त,

आसमां को रात दिन लगता है वे छू जायेंगे,

घूमती सड़कें यहाँ, ऊँची कभी नीची हुई,

चल रहे हैं लोग, मंजिल कब न जाने पायेंगे।"

मान्यवर, मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जैसा कि कहा गया, मेरे विपक्ष के मित्रों द्वारा कहा गया कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के कामकाज का, सरकार के लक्ष्यों का एक आईना होता है, और बार–बार जिक्र किया गया कि एक साल पूर्व जो महामहिम राज्यपाल जी द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किया गया था, मान्यवर, उसके परिणामों के बारे में या उसकी उपलब्धियों के बारे की कहाँ तक प्राप्त कीं, इस बारे में जनता ने अपना फैसला बहुत साफ सुनाया रामनगर के उपचुनाव से।

मान्यवर, यह जो रामनगर का उप चुनाव हुआ और नैनीताल का लोक सभा का चुनाव हुआ और अन्य चुनाव जैसे नगर निकाय, जिला पंचायत चुनाव। इसमें जो कांग्रेस को विजय मिली उससे यह पता चलता है कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसके लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, जो सदन में भ्रष्टाचार की बातें कही गयी और बड़े जोर शोर से उठायी गयी। मान्यवर, यह भी सच है कि मेरे विपक्ष के मित्रों ने उन्होंने स्वीकारा है कि हमारे जमाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम पकड़ नहीं पाए। यह हाउस की कार्यवाही में है उन्होंने स्वीकारा है।

मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मंत्रियों को कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। पारदर्शिता बनाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की गयी ताकि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लायी जाए। अभी कुछ गुणवत्ता की बात हमारी सरकार ने की मार्ग निर्माण में। इसमें सरकार ने कहा है, इस अभिभाषण में कहा है कि इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि जो भी कार्य कराये जायें उसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये प्राविधान किये जायेंगे, कि उन मार्गों का अनुरक्षण जो है वह एक निश्चित समय में ठेकेदार करें। मान्यवर, इस पर विचार किये जाने की बात कही है। मगर विचार ही नहीं मैं सुझाव भी देना चाहूँगा कि इसमें इम्पलीमेन्ट होना चाहिए। उत्तरांचल एक नवोदित राज्य है और गरीब राज्य भी है। हमको रोज कुँआ खोदकर रोज पानी पीना है। ऐसे में हमको इस पानी की प्रत्येक बूँद का इस्तेमाल करना होगा, और मैं यह निवेदन भी करना चाहूँगा और सुझाव भी देना चाहूँगा कि वास्तव में इस योजना पर इम्पलीमेन्ट होना चाहिए। मान्यवर, बेरोजगारी की बात यहाँ पर कही गयी। उस संदर्भ में भी सरकार ने कहा कि हम रोजगार दफ्तरों को और इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज जो है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको हम कैरियर गाइडेन्स और काउन्सिलिंग केन्द्र के रूप में विकसित करेंगे। मान्यवर, वास्तव में रोजगार कार्यालय शो-पीस बनकर रह गए हैं। इस ओर सरकार ने पहल की है। इस पर गम्भीरतापूर्वक प्रयास होना चाहिए। इसमें कहीं भी क्योंकि आज भी जो उत्तराखण्ड आन्दोलन ये युवाओं में हताशा और बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति थी, को दूर करने के लिए युवाओं ने सोचा कि हमारा अपना अलग राज्य होगा और हर हाथ में काम होगा। आज जरूरत है युवाओं को रोजगार देने की। शिक्षा आज उतनी जरूरी नहीं है। इसमें ज्यादा जरूरी है मान्यवर, कि हमारे यहाँ कोई एम0ए0 करने के बाद पी0जी0 करता है तो वह इसलिए नहीं करता कि एम0ए0 करने के बाद नौकरी पा जायेगा। वो बेचारा कुंठा से ग्रस्त होता है, वह अपनी बेरोजगारी को दो वर्ष टालना चाहता है। जिससे यह कहने को होगा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आवारा नहीं घूम रहा हूँ, यह हकीकत है। आज सरकार को वास्तव में गम्भीरता से प्रयास करना होगा कि शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। रोजगार किस तरह से दें अभी यह बात कल भी उठी थी सदन में बेरोजगारी भत्ता देने की। हलांकि सरकार ने उसमें कहा कि हम कोई ऐसा नियम नहीं बना रहे हैं। मान्यवर, यह ठीक है, लेकिन जहाँ भी हम राज्य सरकार की रिक्तियाँ निकालते हैं वहाँ यह अनिवार्यता राज्य सरकार खत्म करे, कि उनको कोई पोस्टल आर्डर न लगाना पड़े। उनको बैंक ड्राफ्ट नहीं देना हो। ऐसी तो सहायता हम दे सकते हैं। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए। मान्यवर, सरकार इस पर विचार करेगी ऐसा मेरा मानना है।

मान्यवर, राज्य मुख्यालय, मण्डी जनपदों और जनपद मुख्यालय का वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये जोड़ना हमारी सरकार ने एक अच्छी शुरूआत की है ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय से ये जो हमारी जनपद और मण्डल की इकाईयाँ हैं सीधे उनसे जुड़े तो कोई भी समस्या आने पर हमारी सरकार सीधे अधिकारियों के सम्पर्क में रहेगी, और उस समस्या का निराकरण होगा। मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभिभाषण के बाद जो बजट आए उसमें कहीं से कहीं तक ये बातें हमने जनता की अदालत में जाने पर कही थी जो कमीटमेण्ट लोगों से किये थे उनको कि वो किस तरह से पूरे होंगे वह झलकना चाहिए। मान्यवर, जहाँ पर बेरोजगारी की दिशा में हमको उत्तरांचल के कान्सेप्ट में किस तरह से हम रोजगार प्राप्त कर सकेंगे उस पर सोचना चाहिए। मान्यवर, हमको आज कृषि में उद्यान और बागवानी के क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, मैं हिमांचल में दौरे पर गया था 18-20 दिन मैं वहाँ रहा तो मैंने वहाँ गाँव में जाकर देखा तो गरीब से गरीब किसान का कहना था कि हम 5-7 लाख तक का सेब बेच लेते हैं। मान्यवर, पहाड़ी प्रदेश में हमको बागवानी पर ध्यान देना होगा और बागवानी के क्षेत्र में बजट में भी ज्यादा पैसा लाना होगा। क्योंकि उत्तरांचल में अगर बागवानी को बढ़ावा दे तो हमने जो लक्ष्य रोजगार के लिए है, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ईमानदारी से काम करना होगा। बागवानी के क्षेत्र में आवश्यकता है कि जिस तरह से हिमांचल में हैं, उसी तरह से सरकार समर्थन मूल्य यहाँ भी घोषित करे। चाहे वो सेब के हों, माल्टा के हों, या संतरे के हों किसान को हम बाग लगाने के लिए प्रेरित करें। उनको हम इन्श्योर करें कि जो आप माल पैदा करोगे उसको हम खरीदने को तैयार हैं। वैसे ही जड़ी-बूटी के क्षेत्र में जो जड़ी-बूटी प्रदेश बनाने की बात कही गयी है इसमें जो जड़ी-बूटियाँ को हम उनको लगाए और किसान को ये गारन्टी हो कि जो जड़ी-बूटियाँ उगा रहा हैं उसको एक निश्चित मूल्य पर सरकार खरीदने की योजना बनाए।

मान्यवर, उनको एक निश्चित मूल्य पर सरकार क्रय करने की व्यवस्था करे। मान्यवर, समय बहुत कम है। कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन लालबत्ती भी जल गई है। माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन् वैसे परम्परा तो यह रही है कि महामहिम के अभिभाषण के बाद जब उस पर चर्चा होती है तो सरकार गम्भीरता से माननीय सदस्यों के विचार सुनती है और उनके सुझावों को नोट करती है। लेकिन, मुझे कोई भी माननीय मंत्री सुझाव नोट करता हुआ नहीं दिख रहा है। (व्यवधान) उनके सहयोग के लिए अधिकारी दीर्घा में सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं लेकिन, मुझे एक मात्र न्याय सचिव को छोड़कर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं दिख रहा है। तो श्रीमन् इस अभिभाषण में कोई भी नई बात देखने को नहीं मिली है। सिर्फ एक ही नई बात दिख रही है कि पिछले वर्ष अभिभाषण 18 मार्च को हुआ था और इस वर्ष 28 मार्च को हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो राज्य को नई दिशा प्रदान कर सके। (माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में आने पर मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, जिन मूलभूत अन्तरविरोधों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और बेरोजगारी। ये 4 अन्तरविरोध थे जिसके कारण अलग राज्य का निर्माण हुआ इसके लिए ही यहाँ के शिक्षकों, छात्रों, माताओं, बहनों ने आन्दोलन में भाग लिया और उसकी परिणति उत्तरांचल राज्य की स्थापना के रूप में हुई। लेकिन, इन दो वर्षों में यदि हम आत्मावलोकन करें तो पाएंगे कि राज्य उन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहा है जिनके लिए राज्य बना है।

राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी राज्य के लिए आईना होती है कि आने वाले वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से ऐसा नहीं लगता कि इन चार अन्तरविरोधों जिनके लिए आन्दोलन किया गया था, उन समस्याओं के समाधान के लिए अभिभाषण दिग्दर्शिका का काम करेगा। मान्यवर, किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए उसका आईना होती है कुछ बातें जिनमें किस प्रकार शासन व्यवस्था चल रही है, कैसा नियोजन सरकार कर रही है। लेकिन इस अभिभाषण में ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

अभी पर्यटन की बात आई थी और शिक्षा की बात हुई थी तो मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो हमारे दूर दराज के स्कूल हैं वे बन्द पड़े हैं वहाँ पर अध्यापक नहीं हैं। उन विद्यालयों के बारे में भी काम काज को सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास इस सरकार द्वारा पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं किया है। आजकल सर्वशिक्षा अभियान को बड़ी ही भूमिका के साथ पेश किया जा रहा है अभी समाचार पत्रों में इसमें घोटाला उजागर हुआ है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त न हो। जनपद अल्मोड़ा का प्रकरण इस सर्व शिक्षा अभियान में, मेरे संज्ञान में आया है।

मैंने स्वयं भी जब उस क्षेत्र में जाकर देखा तो पता चला कि इस अभियान के लिए उस क्षेत्र में 25 लाख रुपये की पुस्तकें खरीदी गई हैं और 23 लाख रुपये की पुस्तकें उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा बिहार के प्रकाशकों से खरीद गई हैं। तो क्या उत्तरांचल में ऐसे प्रकाशक नहीं थे ? इस तरह के जो मामले आते हैं उनसे जाहिर होता है कि शिक्षा विभाग अपनी शिक्षा की नीति को बदलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी तो इतने गंभीर हैं कि इनसे कुछ कहने का मन ही नहीं करता है। लेकिन यह बात सत्य है कि इस दिशा में माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ प्रयास नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, अभी दवा घोटाला भी सामने आया था तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि हर विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। मान्यवर, रोजगार की समस्या की ओर देखें तो पिछले अभिभाषण में कहा गया था कि 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा, परन्तु यह भी कहीं फलीभूत होती नहीं दिख रही है। मान्यवर, पर्यटन के नाम पर इस देवभूमि उत्तरांचल में मात्र पंचतारा संस्कृति लाकर सांस्कृतिक प्रदूषण फैला ही नजर आ रहा है। जो हमारी गरिमामय संस्कृति है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण देश ही नहीं विश्व में फैला है उसे पर्यटन के नाम पर दूसरों लोगों द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण फैलने का खतरा ही नजर आ रहा है। केवल बर्तन मांजने वाले कुछ युवकों को छोड़कर हम कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? यह निश्चित रूप से सोचनीय है।

इसी क्रम में एक बात और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारा जनपद पिथौरागढ़ ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है जो शायद पूरे उत्तरांचल में न हो। मान्यवर, वहाँ पर हिमालय का प्राकृतिक सौन्दर्य आदि इतना अधिक है कि हम अभिभूत हो जाते हैं जब उस नैसर्गिक सौन्दर्य को देखते हैं। लेकिन अभिभाषण में इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से सदन में उपस्थित हैं, मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ पर रई कृत्रिम झील की बात वहाँ की जनता कई वर्षों से उठा रही है। माननीय कोश्यारी जी के कार्यकाल में इसका प्रस्ताव तैयार हो गया था और उसकी स्वीकृति भी हो चुकी थी लेकिन इस रई झील को आज तक इस सरकार द्वारा संज्ञान में नहीं लाया गया है। इसके अलावा जनपद पिथौरागढ़ में नगरपालिका परिषद् की सड़कों पर हाट मिक्स सड़क 10 वर्ष पूर्व बनाई गई थी आज वह भी जर्जर अवस्था में है। उसे हाट मिक्स कराने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान करने का कष्ट करें। पिथौरागढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन के कार्य हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। और उनसे माँग करता हूँ कि इस परियोजना को उसी प्रस्ताव के अनुरूप कार्य योजना में लाया जाय।

मान्यवर, पर्यटन मंत्री जी ने पिथौरागढ़ की जनता को आश्वासन दिया था कि वे इसे पर्यटन के लिए विकसित करेंगे। परन्तु आज तक इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे संज्ञान में नहीं आया है। मान्यवर, हमारे जनपद पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक किला है जो गोरखा राजाओं का किला है आज वहाँ पर तहसील तथा जिला पुस्तकालय चल रहा है। यह किला 1871 का बना हुआ है, और ऐतिहासिक है। यदि उसे संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया जाय तो यह पर्यटन विकास के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो उत्तरांचल के हल्के मोटर मार्ग थे उन्हें बन्द कर दिया है ताकि उन्हें बड़ा वाहन मार्ग के रूप में विकसित किया जा सके। किन्तु जो उनके स्थान पर बड़े वाहन मार्ग बनाये जाने थे वे नहीं बनाये गये हैं।

मान्यवर, मैं माननीया लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी हल्के वाहन मार्ग हैं, उन सबको भारी वाहन मार्ग में तब्दील करने हेतु एक शासनादेश निर्गत करें, जिससे आवागमन में परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त मैंने जो 10 संशोधन रखें हैं, मैं चाहूँगा कि सरकार उन पर भी गौर करे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुग्रहीत हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारी सरकार जिस गति से प्रगति कर रही है और विपक्ष द्वारा उसकी जो अनदेखी की जा रही है, उसको देखते हुए अनायास ही एक शेर कहने का मन कर रहा है–

"भूलने वाले से कोई कह दे, यूँ किसी को सताने से क्या फायदा।

मेरे दिल की दुनिया बसाते नहीं तो तसव्वुर में आने से क्या फायदा।।"

मान्यवर, विकास पुरुष पं0 नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो वृहद विकास कार्य किये हैं, उनके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रि परिषद् के सभी माननीय सदस्यों को साधुवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, विकास के संसाधन किस तरह जुटाए जाएं, किस तरह विकास किया जाय, इसके लिए केवल भारत वर्ष ही नही बल्कि पूरी दुनिया से लोग सलाह लेने माननीय तिवारी जी के पास आते हैं। मान्यवर, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो या बिजली की दशा में सुधार करना हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वादों पर खरे उतरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 घण्टे में बिजली उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया है। 132 के0वी0, 33 के0वी, तथा 440 के0वी0 के विद्युत सब स्टेशन जिस गति से हमारे प्रदेश में लग रहे हैं, उनको देखकर यह लगता है, बहुत जल्दी ही हमारा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश बन जायेगा। आजादी के 55 साल बीत जाने पर भी मेरे क्षेत्र के खानपुर ब्लाक में अन्धकार छाया हुआ था लेकिन हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से 1 करोड़ 21 लाख की योजना स्वीकृत कराकर इस ब्लाक के 20 के 20 गांवों का अन्धकार दूर कर दिया है।

मान्यवर, पर्यटन विकास के सन्दर्भ में कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमारी सरकार ने दिया है, वह अविस्मरणीय है। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद के लन्ढौरा क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में ईंट भट्ठों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है, जिससे क्षेत्रवासी विभिन्न रोगों का शिकार हो रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन ईंट भट्ठों की चिमनियों पर प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र लगवाकर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाय। मेरा अनुरोध यह भी है कि इनको बन्द न किया जाय बल्कि इनको साफ्ट लोन या सब्सिडी देकर ईंट उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। मान्यवर, हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देने का

सराहनीय कार्य किया है। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जसपाल राणा को सम्मानित कर सरकार ने इस राज्य के खिलाड़ियों के गौरव को बढ़ाया है। मान्यवर, मैं स्वयं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं 7 वर्ष तक भारत का हैवीवेट चैम्पियन रह चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रीतम सिंह जी के कुशल नेतृत्व में हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में आगे भी सफल होंगे।

मान्यवर, किसान होने के नाते मैं गन्ने की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस तरह से आज विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं। यह केन्द्र सरकार की लापरवाही की वजह से हुई। उससे बदनामी राज्य सरकार की हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या को सम्भाला। हमारे यहाँ बी०ओ०–91 प्रजाति का गन्ना पैदा होता है उस गन्ने का स्पेशल रेट तय कराया, वह गन्ना 20 रु० प्रति कुन्तल जाता था उन्होंने उसका रेट 80 रु० प्रति कुन्तल जय कराया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, जिस गति से हमारी सरकार दिनोंदिन विकास की ओर चल रही है शायद हमारे प्रतिपक्ष के भाईयों को उसका संज्ञान न हो, मैं मुक्त कण्ठ से उसकी तारीफ करना चाहूँगा। जो यह नया प्रदेश है उसके लिए हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु की कामना करते हुए पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ।

*औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी हमारे प्रतिपक्ष के साथी और कांग्रेस के और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें विश्व में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष का डाक्युमेन्ट 45 पन्ने का है, उसमें 194 बिन्दू हैं। हमारे प्रतिपक्ष के भाई शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करने के लिए बैचेन हैं, मैं यह देख रहा था जो संशोधन आपने दिया है। माननीय कोश्यारी जी और हमारे भाई अजय भट्ट जी और हमारे सभी साथी रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपने विधान सभा क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो सारे के सारे संशोधन रखे गये वह हमारे यहाँ सड़क नहीं बनायी, कण्डारी जी ने कहा कि हमारे यहाँ नल नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। इतने प्रोग्रेसिव राज्यपाल का अभिभाषण है। मुझे तो आशा थी कि महामहिम राज्यपाल अभिभाषण रखेंगे तो प्रतिपक्ष कहता कि कितना अच्छा डाक्युमेन्ट रखा है।

मान्यवर, उत्तरांचल को उत्तराखण्ड के नाम में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में मैं दिल्ली में अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पहले वे हमारे साथ थे बाद में आपके साथ चले गये मैंने उनसे पूछा कि एक चीज बताइये कि तीन राज्य हमारे साथ ही बने उनमें से दो राज्यों का नाम आपने वहीं रखा जो पूर्व में उनका नाम था इसका नाम उत्तरांचल क्यों रखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए किया कि जब चुनाव हों तो मतों में विभाजन न हो इसलिए इसका नाम बदलना पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी इससे माननीय काशी सिंह ऐरी जी को हुई, कि अब उत्तराखण्ड क्रांति दल क्या करे। जैसे जब भगत सिंह कोश्यारी जी बाहर जाते हैं तो कभी–कभी उनके पीछे–पीछे ये भी चल जाते हैं। तो उनसे कहूँगा कि। "यूँ न मिला करो गले तपाक से, ये हाथ भी नहीं मिलायेंगे, थोड़ा सा फासला रखा करो"। ये भाजपा वाले हैं। आज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल का नेतृत्व विकास पुरुष माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के हाथों में है। माननीय सुषमा स्वराज जी इस राज्य से राज्य सभा सदस्य हैं, माननीय खण्डूरी जी इस राज्य से मंत्री हैं, और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी भी अपने ही आदमी हैं। अगर अब भी इस प्रदेश का विकास न हुआ तो कब होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। मान्यवर, मैंने सुषमा स्वराज जी से आग्रह किया कि कम से कम जो राज्य का दूरदर्शन केन्द्र है उसको अपलिंकिंग कर दीजिए लेकिन वे इसे अपलिंकिंग नहीं कर पाई तो यह भेद-भाव हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। हम तो उनकी मुक्त कण्ठ से तारीफ करते हैं फिर भी हमारे साथ भेद-भाव हो रहा है। मान्यवर, 9 नवम्बर को राज्य का गठन हुआ और आपकी अन्तरिम सरकार बनी, और जब शपथ ग्रहण का वक्त आया तो पता चला कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी शपथ नहीं ले रहे हैं। मान्यवर हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की परिपाटी पहली बार में ही डाल दी जाएगी।

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, आज अभिभाषण पर बोलिए। दलगत बातें क्यों कर रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, उसी पर बोल रहा हूँ। मैं यह समझता हूँ कि राज्य के सामने टिहरी बाँध में पुनर्वास का बहुत बड़ा मसला है उस पर प्रतिपक्ष से बहुत सारी बातें कही गई। मान्यवर, इस पर प्रतिपक्ष से बहुत बातें आयी और उन बातों से सदन को यह संदेश गया कि श्री किशोर उपाध्याय टिहरी बाँध के खिलाफ हैं और बाँध को बनने नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, मैं बाँध का विरोधी नहीं हूँ मैं सदन के सम्मुख अपनी बात रख रहा हूँ। मैं श्री त्रिपेन सिंह नेगी जी की बात कर रहा हूँ जो महान स्वतंत्रता सैनानी थे 1965 में जब रामनगर में सम्मेलन हुआ, उसके बाद केन्द्रीय गृहमंत्री जी ने आन्दोलनकारियों को दिल्ली बुलाया। जब चौहान जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यदि छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो इस देश का भूगोल भी कुछ दूसरा होता। तो त्रिपेन सिंह नेगी जी ने कहा अगर माधो सिंह भण्डारी नहीं होते तो जो हम उत्तरांचल माँग रहे हैं उसका भूगोल भी दूसरा होता। हम उसी धरती के लोग हैं जिनमें माधो सिंह भण्डारी, श्री देव सुमन जिन्होंने 84 दिन तक भूख हड़ताल की और अपने प्राण दे दिये। गबर सिंह की औलाद हैं जिन्हें विक्टोरिया सम्मान भी मिला है। हम देश के हित की बात कर सकते हैं उसके लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन उनके साथ-साथ देश और प्रदेश के हित की बात करते हैं। मान्यवर, आपने कहा मार्च, 2003 में बिजली पैदा हो जायेगी, आपकी सरकार ने टनल 3-4 बन्द कर दी। हमारी सरकार ने जब बाँध शुरू हो रहा था ये तय किया कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे और ढाई साल पहले इस आदेश को वापस ले लिया। मान्यवर, मैं चाहता हूँ, हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बने। इसके लिए माननीय तिवारी जी ने एक पत्र केन्द्र सरकार को भेजा, इस पत्र को भेजे तीन माह बाद एक साल हो जायेगा, पर अब तक इस पत्र का जवाब नहीं आया है। पिछली सरकार ने अपने मद में से 13-14 करोड़ रु0 दे दिये और केन्द्र सरकार से कहा कि हम आज के बाद आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे। मान्यवर, जब हमारे अधिकारी और कर्मचारी दिल्ली गये उनको धमकाया गया और उनसे कहा गया कि पिछली सरकार ने यह साफ कहा है कि अब हम पैसा नहीं मांगेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है, कि केन्द्र सरकार द्वारा हमारे अधिकारियों को धमकाया गया। आप ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, चूँकि केन्द्र सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है। मान्यवर, यदि धमकाने वाली बात साबित हो जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, यह तो सीधे केन्द्र से सम्बन्धित है। मान्यवर, मंत्री जी का कहना है कि केन्द्र की ओर से हमारे अधिकारियों को धमकाया गया है यह गलत आरोप लगाया जा रहा है। मान्यवर, इस पर मुझे स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्री किशोर उपाध्याय जी को किशोर समझकर माफ कर दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कोई ऐसे सन्दर्भ न दें जिससे उत्तेजना हो।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं यह मानता हूँ। लेकिन यह उत्तरांचल भी इस देश का हिस्सा है। मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी परसों के अखबार में मैंने देखा कि हमारे सेना के जवानों के लिए कोई बैग.............(घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अखबार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर केन्द्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो आपके प्रश्न का उत्तर कौन देगा। मान्यवर, सदन में वही बात आती है जिसका उत्तर आ सके।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ट्रेजरी बैंच की ओर से कोई बात आती है तो वह सरकार का बयान होता है और ट्रेजरी बैंच से बयान आया है कि केन्द्र सरकार द्वारा धमकाया गया है अगर यह बात सत्य है तो इसका संज्ञान सदन लेगा, इस तरह का कुछ है तो जानकारी लें, अगर यह सत्य नहीं है तो इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन जब हमारे अधिकारी पैकेज लेकर गये तो कहा गया कि हम पैसा नहीं देंगे और उनसे कहा गया कि गेटआउट।

(घोर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं चाहूँगा कि केन्द्र से अधिकारियों को सदन में बुलाया जाए और उनसे यह पूछा जाये कि उन्होंने हमारे अधिकारियों को धमकाया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह विषय माननीय मंत्री जी की तरफ से आया है कि हमारे अधिकारियों को धमकाया गया, यह किसी सामान्य सदस्य की ओर से नहीं आया है। (घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आग्रह यह करना चाहता हूँ कि मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना जानने का मुझे अधिकार है कि नेता प्रतिपक्ष ने जब उनकी सरकार थी, टिहरी बाँध के बारे में, यह बात की है कि वह केन्द्र सरकार से पैसा माँगेंगे या नहीं माँगेंगे, यदि इतना भी जानने का अधिकार मुझे नहीं है तो मेरे सदन में रहने का क्या औचित्य है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, श्री तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें दीर्घकालिक अनुभव है, क्या कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रशासन केन्द्र–सरकार से यह कहेगा कि हम इससे कुछ नहीं माँगेंगे। मैं मानता हूँ कि मुझे 50 साल या 60 साल का अनुभव नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कांग्रेस की एक परम्परा रही है जिसकी परम्परा यह है कि वह यह नहीं देखती कि यह अपना है, यह पराया है, हमारी परम्परा रही है–

"अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।"

मान्यवर, हमने इसे चरितार्थ करके दिखाया है, हर विधायक को एक करोड़ रुपये दिये गए, उसमें यह नहीं देखा गया कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस का है, या हरबंस कपूर जी विपक्ष के हैं। और इस प्रदेश की जनता ने जो 4 चुनाव हुए माननीय नेता सदन तिवारी जी का रामनगर से, नैनीताल से लोक सभा का चुनाव हुआ, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, अब जिला पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं। जनता ने आईना दिखा दिया महाराज की कौन कहाँ पर है, साफ–साफ जनादेश दिया है, विकास के लिए जनादेश दिया है प्रगति के लिए जनादेश दिया है कि यह प्रदेश तिवारी जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है, यदि थोड़ी सी सहायता आप भी कर दें तो और अच्छा होगा। मान्यवर, मेरी भारी समस्या यह है कि जब भ्रष्टाचार पर बोलो तो केन्द्र सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते, चाहे देश ही लुट जाए। मान्यवर, मैं यहाँ पर जो हमारी आन्दोलनकारी शक्तियाँ हैं, वह जो चाहती हैं कि इस राज्य का भला हो, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले लोकसभा चुनाव में जब सोनिया गाँधी जी की सरकार बनेगी तभी इस प्रदेश का नाम बदलेगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मान्यवर आज कल उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में एक पुरानी गाड़ियों की रैली हो रही है। आज जो गाड़ियाँ हैं जैसे मरसडीज, ओपेल एक्स्ट्रा, बोलैरो इनको देखने कोई नहीं आता। लेकिन लोग पुरानी से पुरानी गाड़ियों को देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बेस्ट सी0एम0 ऑफ उत्तरांचल, इण्डिया टूडे में आया है अर्थात पुरानी चीजों की अहमियत आज भी है। बिल गेट्स हिन्दुस्तान आये उनको बहुत सी कीमती चीजें दिखाई गयी। ताज महल दिखाया गया और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाया गया।

मान्यवर, अभिभाषण के पहले पैराग्राफ में यह दिया गया है कि हमने लोकतंत्र की स्वस्थ्य परम्परायें स्थापित करने की बात कही है। मान्यवर, यह सत्य से परे है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मान्यवर, कैबिनेट की मीटिंग बाद में शुरू होती है और उसकी बातें पहले ही जनता के सामने आ जाती हैं। विधान सभा की अधिसूचना जारी हो जाती है और हमारे माननीय मंत्रीगणों में होड़ लगी रहती है कि कौन अपनी बात बताए ? परिवहन का मामला हो वह पहले मालूम था चाहे सेल्स टैक्स कर का मामला हो यह भी पहले मालूम हो गया। मान्यवर, बहुत सी बातें हैं जो मीटिंग के बाद में होती है और जनता के सामने पहले आ जाती हैं। आज बोलने का समय कम मिला है वरना मैं इसको लिखकर लाया हूँ। क्या हाल हो रहा है सरकार का ? हमारे भाई श्री किशोर उपाध्याय जी को आज पहली बार सदन में बोलने का मौका मिला। हमारी संसदीय कार्य मंत्री जी जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये सदन में बोलने का मौका लोगों को कम देती हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात बताना चाह रहा हूँ। कि एक बार एक महिला अपने पति को लेकर डाक्टर के पास गयी डाक्टर ने पूछा कि इनको क्या बीमारी है तो उसकी पत्नी ने कहा कि डाक्टर साहब ये रात में बहुत बड़बड़ाते हैं इस बात पर डाक्टर ने सलाह दी, इनको दिन में बोलने का मौका दीजिए जिससे कि ये रात में न बड़बड़ा पाएं।

(हँसी)

मान्यवर, सदन को नब्बे दिन चलना चाहिए लेकिन नहीं चला। आपसी मतभेद प्रजातांत्रिक मूल्यों की निशानी है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मंत्री मण्डल में अगर मतभेद हैं तो उसका निपटारा कैबिनेट रूम में होना चाहिए न कि बाहर। कैबिनेट रूम से दूसरी कोई जगह है तो उसका विरोध है। इसलिए उनको इस तरफ बैठना चाहिए अगर सच्चे शूरवीर हो तो यहाँ आए, इधर बैठें। मान्यवर, वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया न मीडिया को पता, न हमें पता। अभिभाषण में पढ़कर हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का गठन जिस प्रकार होता है उसके अनुसार वहाँ 6 विधायक होते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। उसमें एक एम0एल0सी0 व 5 विधायक होते हैं तो मान्यवर, यह सरकार कोई विधायकों पर रहमोकरम नहीं कर रही है यह तो एक्ट में है।

मान्यवर, इस अभिभाषण में गरीबों के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। परसों के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक कार्टून छपा था कि ए0आई0सी0सी0 के ऑफिस के बाहर एक भिखारी खड़ा है और लिखा था कि कांग्रेस हमेशा से ही गरीबी हटाती आ रही है। मान्यवर, टोंगिया राबरो गरीब किसान हैं और आज आन्दोलन पर बैठे हुए हैं उनको उजाड़ा जा

रहा है। उनके गाँव रेवेन्यू विलेज भी नहीं है फिर भी उन्हें उजाड़ा जा रहा है। उनकी बात कहने वाला कोई नहीं है। जौनसार मजदूर है, उनकी बात कहने वाला कोई नहीं है।

"जो सोचते हैं, वो कहते नहीं, जो कहते हैं, वो करते नहीं।

हम अहले सियासत हैं बिना वजह किसी पर मरते नहीं।"

मान्यवर, टोंगिया लोगों के इतने वोट भी नहीं हैं कि वो कोई असर चुनाव में डाल सकें। हज कमेटी और वक्फ बोर्ड बनाकर अल्पसंख्यकों को लॉलीपाप आपने पकड़ा दिया लेकिन, उनके रोजगार की बात नहीं कही गयी है। पॉर्लियामेन्ट की बात किशोर भाई कर रहे थे। मस्जिदों की सुरक्षा की बात कही गई, लेकिन एक मस्जिद आपकी जद में है जिसकी दीवार तोड़कर असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया है। जल निगम ने उनको पानी का कनेक्शन भी दे दिया है। पिछले सत्र में मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मामले को उठाया था लेकिन, कोई कार्यवाही नहीं हुई। एस0पी0 सीटी की नॉलेज में यह बात है लेकिन, अफसोस कि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी बातें होंगी तो बहुत ही मुश्किल से काम चलने वाला है।

शिक्षा और रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यह अफसोस की बात है। यदि किसी कार का कोई पुर्जा खराब हो तो वह चलेगी नहीं। मेरे वालिद आपको अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने मुझसे बताया कि 1977 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने उर्दू को दूसरा जुबान का दर्जा देने की वकालत की थी। मैं माँग करता हूँ कि उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा दिया जाये और उर्दू एकेडमी का गठन किया जाये वरना ये शेरो शायरी खत्म हो जाएगी। मान्यवर, आज आपने मुझे सुबह भी नहीं बोलने दिया था, इसलिए कृपया लालबत्ती थोड़ी देर बाद जलाइयेगा। अगर उर्दू एकेडमी बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो कृपया मेरे वेतन से किसी शायर को पुरस्कृत कर दें। तो कम से कम एक परम्परा तो शुरू होगी।

मान्यवर, अर्द्धकुम्भ का बड़ा जिक्र किया गया है मेलाधिकारी तो हमेशा ही बनाया जाता है। कुम्भ मेले का जिक्र आया है उस सम्बन्ध में कार्य चल रहा है। यह अच्छी बात है कि तीर्थाटन और मंदिरों के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु कांवड़ मेला जो कि विश्व में प्रसिद्ध है जिसमें 50 लाख लोग शिरकत करते हैं उसका कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं है और कलियर शरीफ के मेले का कोई जिक्र नहीं है जब कि भारत वर्ष में दो ही दरगाहें हैं एक है अजमेर शरीफ और दूसरी कलियर शरीफ इस दरगाह पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मेले के लिए किसी व्यवस्था का कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं है। तो मान्यवर, क्या यह ठीक है ? अभी जब चुनाव आ जाते हैं तो खासकर से कांग्रेस पार्टी के लोग चैम्पियन ऑफ द सोशल मैन को लेकर दलितों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं और इस अभिभाषण में दलितों के विकास की कोई बात ही नहीं है। दलितों से सम्बन्धित एक मामला मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया था कि श्री पहल सिंह जिनकी मृत्यु 16-12-2002 को हो गई थी, वे ग्राम-डांटा थाना लक्सर के रहने वाले थे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही उस प्रकरण पर नहीं हुई है। मुझे उसका जवाब तक नहीं मिला है। यह ठीक है कि एस0सी0, एस0टी0 कमीशन बना दिया गया है जो उनके विकास के लिए हो सकता है कार्य करेगा। परन्तु इस तरह का उदासीन रवैया सरकार द्वारा अमल में लाया जा रहा है।

मान्यवर, गन्ना को लेकर काफी चर्चा हुई इस अभिभाषण के पृष्ठ 24 में एक उल्लेख किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो वे इस पृष्ठ को खोलकर देख लें उसमें लिखा है कि "इस वर्ष अग्रिम के रूप में काश्तकारों को गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है"। मान्यवर, मैं डिक्शनरी भी लाया हूँ उसमें अग्रिम का अर्थ है पेशगी या एडवांस मैं इससे ज्यादा जुबान तो नहीं जानता नहीं तो संस्कृत और फारसी में भी बताता। लेकिन जो काश्तकार का पेमेन्ट है उसमें एक्ट में भी उल्लेख है कि यदि 14 दिन के अन्दर एस0एम0पी0 का पेमेन्ट नहीं होगा तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। और गन्ना किसानों का भुगतान बकाया हो रहा है, तो अभिभाषण में जो चीज कही गई है वह सत्य से परे है, और महामहिम राज्यपाल जी से भी इस सरकार ने सत्य से परे बात को कहला दिया। क्या यह इस सदन का विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं है ? मैं अनुरोध करता हूँ कि इस शब्द को अभिभाषण से हटा दिया जाय और कार्यवाही से भी हटा दिया जाय। हमारी मंडी समितियों और कृषि विभाग को देखकर तो लगता है कि यह विभाग इस प्रदेश में है ही नहीं। मण्डी समितियों में पैसा जनता का है, और वह कहीं बाहर लगाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ क्योंकि हमारा दायित्व सरकार को क्रिटीसाइज करना ही नहीं है बल्कि हैल्थी क्रिटीसाइज करना है और जो कार्य सरकार ने अच्छे किये हैं उनकी सराहना भी होनी चाहिए। जिस विभाग में जे0ई0 हो या इंजीनियर हों तो वहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो सकती है, लेकिन एक मामला मेरे संज्ञान में आया एक जे0ई0 मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले और कहा कि मेरी पोस्टिंग करवा दीजिए तो मैंने कहा कि आपके विभाग में जो ट्रेडीशन है उसके अनुसार कुछ ले-देकर कार्य करवा लीजिए परन्तु उन्होंने कहा कि ऐसा जरिया ही तो नहीं मिल पा रहा है। कोई ले-देकर कार्य करना नहीं चाहता है इस बात का उल्लेख मैंने माननीय अजय भट्ट जी और आदरणीय भगत दा से भी किया था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, दो तीन बातें रह गई हैं मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शेर नजर करना चाहता हूँ।

"मेरी रहनुमाई का हाल न पूछ, मुझे खुद मंजिल का पता नहीं।"

माननीय मुख्यमंत्री जी इस शेर के साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी आपको "मैन ऑफ द ईयर" का पुरस्कार दिया गया है बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन आपकी सरकार द्वारा ऐसे ही कार्य किये जाते रहे तो आपको "मैन ऑफ द ईयर" तो दूर "मैन ऑफ द मंथ" का पुरस्कार भी नहीं मिल पायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य श्री फूल सिंह बिष्ट द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय, अध्यक्ष जी, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने विगत एक वर्ष के सरकार के लेखे–जोखे तथा आगामी वर्ष में सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों का जो खाका पेश किया है, उसमें कहीं पर भी राज्य के विकास हेतु न कोई नीतिगत बात कही गयी है और न ही सरकार की इस सन्दर्भ में कोई इच्छा दृष्टिगोचर होती है। मान्यवर, जब मैंने पिछली बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी थी तब भी मैंने एक बात कही थी कि किसी भी सरकार का लेखा–जोखा या जनता में उसकी लोकप्रियता का मूल्यांकन उसकी नीतियों से ही किया जा सकता है। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य को बने हुए एक लम्बा अरसा हो गया है और इस लम्बे अरसे में एक सरकार चली गयी और दूसरी आ गयी है लेकिन इस ढाई साल की अवधि में न तो हमारी रोजगार नीति बनी, न बिजली नीति बनी, न पर्यटन नीति बनी, न उद्योग नीति बनी और न ही कृषि नीति आज तक बन पायी है। जब आपकी कोई नीति ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर ही आपने काम करना था तो फिर अलग राज्य बनाने की क्या जरूरत थी ?

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान राजधानी के सवाल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। राजधानी का सवाल मात्र टालने का सवाल नही है। मान्यवर, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इस राज्य के निर्माण के लिए 42 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें हमारी दो बहनें भी शामिल हैं। मान्यवर, हमारे शहीदों ने उत्तराखण्ड राज्य की जो परिकल्पना की थी, उसके अनुरूप आज तक हमारे राज्य का गठन नहीं हो सका है। मान्यवर, राजधानी के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि कौशिक समिति द्वारा किये गये सर्वेक्षण में 67 प्रतिशत जनता ने गैरसैंण को उत्तरांचल की स्थाई राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। बाद में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल बोरा द्वारा गठित एक कमेटी ने भी गैरसैंण पर अपनी सहमति व्यक्त की गई थी। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि एक वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस का जो घोषणा–पत्र था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी राज्य के मध्य में किसी स्थान पर बनायी जाएगी। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य का मध्य क्षेत्र देहरादून है ? यदि किसी और स्थान पर राजधानी बनाने की नीति सरकार की है, तो उस पर सरकार को शीघ्रता से विचार करना चाहिए। ऐसा न हो कि पंजाब के दर्शन सिंह फेरूमान की तरह यहाँ पर भी कोई आत्मदाह कर ले। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिमांचल टेण्डेन्सी एक्ट को इस राज्य में लागू किया जाय। हम यह नहीं कहते कि बाहर के लोग हमारे यहाँ न आए, हम तो अतिथि देवो भव पर विश्वास करते हैं लेकिन बहुत तेजी से हमारे यहाँ राज्य के बाहर से भू–माफिया और बड़े–बड़े बिल्डर उत्तरांचल राज्य की जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि बाहर के लोगों द्वारा हमारे यहाँ जमीनें खरीदने के मामले में तेजी आयी है।

मान्यवर यहाँ के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर यहाँ पर जमीनें खरीदी जा रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी विशेष प्राविधान होना चाहिए जिस तरह से हिमांचल प्रदेश ने टेण्डेन्सी एक्ट के अन्तर्गत किया है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर काण्ड

के हत्यारों को कठोर सजा दिलाये जाने के सन्दर्भ में उत्तरांचल सरकार क्या कर रही है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। आज तक परिसम्पत्तियों का बंटवारा भी नहीं हो सका है, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अपने-अपने अधिकार लेने हेतु हमारी स्थिति याचक जैसी हो गई है। राज्यपाल के अभिभाषण में आया कि हम बिल गेट्स से बात कर रहे हैं मुझे एक कहानी याद आती है कि फ्रांस की राज्य क्रान्ति में जब वहाँ की जनता भूखों मरने लगी और उसने लुई 14वें का महल घेर लिया तो फ्रांस की रानी ने पूछा कि ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। जब उन्हें बताया गया कि ये लोग रोटी की माँग कर रहे हैं तो रानी साहिबा ने कहा कि ये लोग "केक" क्यों नहीं खा लेते। यही स्थिति हमारे यहाँ भी दिख रही है। हमारे पहाड़ की जनता परेशान है उसे शाम की रोटी चाहिए। यहाँ की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार में उत्तरांचल राज्य देश के प्रथम श्रेणी राज्यों में आ जायें तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार को चाहिए कि वह सर्वप्रथम लाखों बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करे तब बिल गेट्स से भी बात करे। मान्यवर, राज्य का 2/3 पर्वतीय भू-भाग रोजगार विहीन है यहाँ बड़े उद्योग तो नहीं लगाये जा सकते क्योंकि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। हमारे योग्यतम मुख्यमंत्री हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि यू0एन0ओ0 द्वारा हमें पर्यावरण सुरक्षा हेतु जंगलों को बचाने के एवज में बेरोजगारी भत्ता दिलवा दीजिए या फिर इस क्षेत्र में रोजगार के नये साधन दीजिए।

मान्यवर, विकास का ढाँचा बदलने की आवश्यकता है। जी0आर0वाई0, एस0आर0वाई0 ऋण बन्द कर अब ब्लाकों को दी जाने वाली विकास की धनराशि का 75 प्रतिशत कुटीर उद्योगों के विकास में खर्च किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं पेयजल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है उसे टेलीवीजन में भी दिखाया गया था वहाँ पर औरतें 5 किलोमीटर से पानी ला रही है। मान्यवर, मैंने 6 लाख रुपया अपने विधायक निधि से एक अस्पताल को दिया 6 लाख दूसरे अस्पताल को जिसमें कि एक्सरे मशीन वगैरा कुछ नहीं था अल्ट्रासाउण्ड नहीं था। मैं आज की खबर बताना चाहता हूँ।

मान्यवर, आज की ताजा खबर यह है कि अभी-अभी ड्रग कन्ट्रोलर 20 हजार रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया है। यह हालत हो गई है। इस राज्य की किसी को कोई चिन्ता नहीं है। मान्यवर, पशुपालन के बारे में कहा गया कि भारत सरकार को 18 करोड़ की कैटल एवम् बैफैलो परियोजना भेजी गई उसमें से 6.5 करोड़ रुपया आया है उक्त योजना के अन्तर्गत स्पष्ट निर्देश है कि उक्त योजना की कार्यदायी संस्था सम्बन्धित राज्य का पशुपालन विभाग होगा। किन्तु इन निर्देशों के बावजूद यह धनराशि यू0एल0डी0बी0 (उत्तरांचल लाइव स्टोक डैवलपमेन्ट बोर्ड) को दे दी गई। इस बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी पशुपालन विभाग का निदेशक/अपर निदेशक को बनाया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके "अन्धा बाँटे रेवड़ी अपनों को ही दे" के अनुसार, सरकार ने केन्द्र के दिशा-निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाकर मनमाना शासनादेश निकाल दिया ताकि धन की बन्दर बाँट हो सके। यही नहीं मान्यवर, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 9.5 करोड़ की ब्रोलियर कुक्कुट पालन परियोजना जिसकी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। उसकी कार्यदायी संस्था पशुपालन विभाग को न बनाकर एक स्वयं सेवी संस्था को सौंप दिया है इससे बदनामी माननीय मुख्यमंत्री जी को हो रही है।

मान्यवर, विगत दिनों सूरज कुण्ड में हमारी सरकार ने पर्यटन मेला लगाया। मसूरी में मेला लगाया। इन मेलों में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विधायकों को आमंत्रित किया परन्तु राज्य सरकार ने मात्र खानापूर्ति की और निमंत्रण पत्र मेले की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ। जो अधिकारी पर्यटन की ए. बी. सी. डी. नहीं जानते वे हमारे पर्यटन के भाग्य विधाता बन गये हैं। बड़े होटल या शराब के बार खोलकर वे किस प्रकार का पर्यटन विकसित करना चाहते हैं। उत्तरांचल में पर्यटन मात्र आय का साधन न होकर गंगा यमुना की तरह नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की गंगा बहाकर देश के सामने नये आयाम प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु दुर्भाग्य है कि पर्यटन के नाम पर सूरज कुण्ड में करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये और कुछ नहीं हुआ। बस हमारे मंत्रियों व अधिकारियों के बड़े–बड़े रंगीन फोटो जरूर छप गये उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े गये। परन्तु जो समाचार पत्रों में छपा वह अच्छा नहीं है। आठ–आठ पेज के विज्ञापन दक्षिण भारत के अंग्रेजी समाचार पत्रों में दिये गये। इतने बड़े ताम–झाम से राज्य के पर्यटन विभाग को क्या मिला। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ नहीं कहा गया है। उत्तरांचल के गाँवों की अर्थव्यवस्था महिलाओं पर ही टिकी है घास, पानी, लकड़ी तथा खेतों की गुड़ाई से लेकर जानवर पालने तथा बच्चों के भरण पोषण तक का सारा कार्य महिलाओं पर निर्भर हैं। किन्तु उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। जब कि पंजाब, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सैकड़ों कुटीर उद्योग स्थापित किये गये हैं। उत्तरांचल में हमारी कला संस्कृति व निर्माण कला की नींव हमारा दलित समाज है, परन्तु उनके कल्याण के लिए तथा उनके तकनीकी ज्ञान को विकसित करने के बारे में कुछ भी अभिभाषण में नहीं कहा गया है। मेरा सुझाव है कि हमारे इन दस्तकारों व लघु उद्यमियों हेतु दीर्घकालिक योजनायें बनाई जानी चाहिए।

मान्यवर, जहाँ तक आपदा प्रबन्धन का प्रश्न है इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत विभिन्न योजनायें भेजने का परिपत्र तो जारी किया है परन्तु इस मद में कहाँ कितनी धनराशि दी गई यह अज्ञात है। पता चला की अपने ही दल के कुछ खास लोगों को आपदा प्रबन्धन योजनाओं से नवाजा गया है। मेरे क्षेत्र में 02 वर्ष पूर्व हुई अतिवृष्टि से भारी क्षति हुई। सिंचाई की दर्जनों योजनायें बह गई। स्कूलों व कॉलेजों के ध्वस्त भवन ज्यों के त्यों पड़े हैं। इनके पुनः निर्माण के लिए माननीय मंत्री जी के पास नौ बार गया परन्तु आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत बार–बार माँग के बावजूद कोई धनराशि नहीं दी गई, क्या यह आपदा प्रबन्धन का दुरुपयोग नहीं है। इससे तो यही चरितार्थ हो रहा है कि अन्धा बाँटे रेवड़ी अपनों को ही दें। मान्यवर, राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। मेरे क्षेत्र सहित विगत दिनों को मिलाकर पतनगर में 4 हत्याएं हुई लेकिन आज तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारे यहाँ पिछले वर्ष ललित जोशी की हत्या हो गई वे बहुजन समाज पार्टी के नेता भी थे किन्तु किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मान्यवर, इसी के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि बताया गया कि यह सरकार का एक डाक्यूमेन्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरूष हैं। मैं किसान का लड़का हूँ, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए खेती को और लाभकारी बनाने की जरूरत है, गन्ने और कृषि उपज का समर्थन मूल्य के समय से भुगतान की समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, आज किसानों की सुदृढ़ता का स्तर गिरता चला जा रहा है। किसान अपने बच्चों को पढ़ाने में असहाय हो रहे हैं। किसान के ऊपर पटवारी, रजिस्ट्रार तथा चकबन्दी अधिकारी हावी हो चुके हैं, जिससे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। जो चकबन्दी किन्हीं कारणों से रुकी हुई है, उसे वापस तहसीलदार को दिया जाय। मान्यवर, पहले पटवारी का आदमी खसरा खतौनी की जो नकल 5 रु० में देता था, आज उसी नकल के लिए 100 रु० ले रहे हैं, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उद्योग नीति बनायी जानी चाहिए। यहाँ पर खेती पर आधारित उद्योग कच्चा माल की आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश के साथ कोई दीर्घकालिक एग्रीमेन्ट किया जाना अति आवश्यक है। यदि उत्तर प्रदेश से एग्रीमेन्ट नहीं किया गया तो उत्तरांचल की उद्योग नीति डगमगा सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 10–15 साल का एग्रीमेन्ट उत्तर प्रदेश से किया जाय। मान्यवर, प्रदेश में जो उद्योग स्थापित हैं, उनमें जान डालने का कार्य करना चाहिए, जिससे कि यहाँ और उद्योगपति आ सकें। चूँकि जो भी उद्योगपति पहले प्रदेश में आता है तो सर्वप्रथम वह उद्योगपति से जानकारी लेता है, उसी के बाद अपना मन बनाता है। मान्यवर, बिजली के रेट उद्योग के लिए कम करना अति आवश्यक है। प्रदेश में प्रदूषण को देखते हुए एक मास्टर प्लान बनाया जाना अति आवश्यक है। मान्यवर, अलग–अलग उद्योगों के लिए जगहों का चिन्हीकरण किया जाना अति आवश्यक है। जिससे नदियों, और यहाँ की हवा को उद्योग प्रदूषित न कर सकें। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश की तरह यहाँ पर सब्जियों के लिए माडल तैयार किया जाना चाहिए। जिसमें मौसम एवं भौगोलिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना होगा तथा उसी के मुताबिक हमें खेती करनी होगी।

मान्यवर, बेमौसमी फल–सब्जियों से यहाँ के लोग और किसान लाभान्वित हैं। मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरा सुझाव है कि प्रदेश में काम होते हैं, अगर कम से कम 50 कि०मी० नवीन और 25 कि०मी० डामरीकरण के लिए विधायक से संस्तुतिकरण लिया जाये तो इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार आयेगा। मान्यवर, विधायक निधि में 50 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। मान्यवर, 50 लाख रुपये में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो मेरा सुझाव है कि विधायक निधि एक करोड़ कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, चार धामों का एक सर्किट बनाया गया है, मैं चाहता हूँ कि उस सर्किट में नानक मत्ता साहिब, रीठा साहिब, हेम कुण्ड साहिब को जोड़ा जाना चाहिए, यह भी

धार्मिक स्थल हैं। मान्यवर, ऐसा होने पर आस्था और विश्वास बढ़ेगा। मान्यवर, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों का उच्चीकरण कराया जाना चाहिए। प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए नये जनपदों का सृजन कराये जाने की बात सरकार की पालिसी में आनी चाहिए थी। मान्यवर, राज्य की चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एक चिकित्सा नीति बनाई जाए जिससे चिकित्सा पर कन्ट्रोल किया जा सके। मान्यवर, सरकारी अस्पताल में मरीज के जाने का मतलब होता है कि वह मौत के मुँह में जा रहा है। मान्यवर, काशीपुर में सिर्फ 2 डाक्टर हैं, कोई दवा नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है। मान्यवर, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश करने हेतु कार्य किया जाना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश के उद्योगों को भ्रष्टाचार और इसकी वसूली से मुक्त कराया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको भी ठीक करना चाहिए। मान्यवर, विकलांग, वृद्ध, विधवा पेंशन में नियम है कि अगर उसका बच्चा 18 साल का हो जायेगा तो पेंशन नहीं दी जायेगी। मान्यवर, 18 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है और वह अलग भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वृद्ध का क्या हो। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि यह 18 वर्ष का अनुबन्ध हटा दिया जाना चाहिए। जो 60 वर्ष से ऊपर चला गया, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। मान्यवर, बी0पी0एल0 कार्ड पहले बनाये जा रहे थे, अब नहीं बनाये जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

*डा0 प्रताप सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर यह जो दस्तावेज जारी हुआ है, 02 मार्च के पूर्व यह पिछले 12 वर्षों की गैर–कांग्रेसी सरकारों के बाद पहली बार हुआ है कि इस प्रदेश की 85 लाख जनता को यह लगा कि विकास की जो धारा है, वह आगे बढ़ी है। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि जो यह नया प्रदेश है, यहाँ की जनता ने बड़ी शहादत के बाद यह राज्य प्राप्त किया है और लोगों की बड़ी आकांक्षा इस प्रदेश के साथ है। चाहे हम सत्ता पक्ष में हों, विपक्ष में हों, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हम सबका दायित्व है और मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पूर्व जब 02 मार्च से पूर्व, माननीय प0 नारायण दत्त तिवारी जी जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है और तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़ा अनुभव है, जब 1989 में आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश में छोड़ी थी, तब से लेकर 12 वर्षों तक यहाँ की जनता को विकास से वंचित होना पड़ा, जब से पं0 नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है। जब हमारी गैर–कांग्रेसी सरकारें रही हैं तो जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में रहते थे, जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से वहाँ पर धर्म और जाति की राजनीति होती थी, उसमें विकास के कार्य नहीं हुए। मान्यवर, आज हमारे विपक्ष के लोगों को भी लगने लगा है कि कांग्रेस की सरकार आई है तो विकास होना चाहिए, वह भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने संशोधन प्रस्तावों में रख रहे हैं। इसलिए आज उनकी भी उम्मीद जगी है कि कांग्रेस की सरकार आपने पर निश्चित रूप से प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा।

पं0 नारायण दत्त तिवारी जी ने जब से इस सत्ता को संभाला है, यह राज्य विकास की ओर अग्रसर है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि पहली जो सरकार इस प्रदेश के बनने के बाद बनी, उसमें 1050 करोड़ रुपये का ही बजट बना था, मान्यवर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ऐसा कौशल है कि इस वित्तीय वर्ष को 1533 करोड़ तक पहुँचाया है और यही नहीं बहुत सारे क्षेत्रों में चाहे औद्योगिक पैकेज के रूप में हो, या अन्य में अपना साफ दृष्टिकोण रखा है। मान्यवर, 3,000 मेगावाट का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में प्रारम्भ करने का रखा है, जहाँ तक नौकरियों का प्रश्न है, सरकार ने बहुत सारे विभागों में नियुक्तियाँ की हैं, 2,500 कांस्टेबिलों की, 250 पुलिस निरीक्षकों और 900 बी0टी0सी0 में और 6,000 का शिक्षा विभाग में वर्ष 2003–2004 में लक्ष्य रखा गया है। और यही नहीं बहुत सारे क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या पेयजल का क्षेत्र हो।

मान्यवर, 240 करोड़ रुपये कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए इस सरकार ने दिया है और प्रत्येक विधायक को एक–एक करोड़ रुपया उनके क्षेत्र की सड़कों के लिए दिया गया। इसी प्रकार से सरकार ने पशु अस्पताल जो लम्बे समय से नहीं थे, उनको खोला और 500 चिकित्सकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य रखा है और अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इस तरह से बहुत सी योजनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया है । प्रत्येक जनपद में सड़कों का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और वे बहुत सारे विभाग हैं जिनका गठन नहीं हुआ था उनका गठन किया गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के बहुँमुखी विकास का परचम आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिए समय दिया है। मान्यवर, मैं अभिभाषण पर दर्ज अपने संशोधन 1 लगायत 50 तक को इस कार्यवाही का भाग बनाने का आपसे निवेदन करता हूँ। अभी हमारे भाई श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी ने विकास कार्य की बातें कहीं। शायद उनके यहाँ सारा विकास हो गया होगा और जब वे अपने क्षेत्र में जायेंगे तो उनसे भी जनता पूछेगी कि आपने संशोधन क्यों नहीं दिया। मान्यवर, विकास कार्य और शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, इस बात पर मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता जैसे कि कल माननीय विधायक जसपुर श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल ने कहा कि पुलिस वसूली कर रही है और रोड होल्डिंग कर रही है। उस पर अंकुश लगाना चाहिए। जैसाकि हमारे भाई श्री नारायण पाल जी ने कहा कि 50 पेड़ काटने

पर कार्यवाही और 50 लाख चंदा देने वाले पर कोई जांच नहीं। यह कैसी विडम्बना है। आखिर यह क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं। इसका मतलब हमारा मैनेजमेन्ट खराब है, मैनेजमेन्ट में कहीं खामियां हैं। उसकी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार कैसे चल रही है, यह देखने वाला कोई नहीं है। वे कौन अधिकारी हैं जो यह सब कर रहे हैं। आये दिन मंत्रियों में आपस मे विवाद हो रहे हैं। विकास कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राइट्स कम्पनी जिसको सर्वे करने के लिए बुलाया गया है, जिसने 372 गाँव का सर्वे किया है। आखिर इससे सर्वे क्यों कराया राइट्स ने जो सर्वे किया आखिर क्यों हुआ ऐसा। इसकी क्या आवश्यकता थी। दूसरा मैगोटेक। जब पी0 डब्ल्यू0डी0 के अधिकारी काम कर रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत ? इसका मतलब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो इनकी क्या जरूरत ? 130 करोड़ 63 लाख रु0 प्रधानमंत्री सड़क योजना की मदद से यहाँ आया है जिसका कार्य मैगोटेक कर रही है। यानि विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लाभ का अंश प्रदेश से बाहर जा रहा है। ठेकेदार बाहर के, सर्वे करने वाले बाहर के, यानि सारा विकास का पैसा बाहर जा रहा है।

मान्यवर, मैं एक बात आपके माध्यम से पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आबकारी नीति का न तो इस बार के अभिभाषण ने और न पिछले अभिभाषण में जिक्र किया गया। वास्तव में आबकारी नीति बनाना सरकार के बस में नहीं है। सरकार आबकारी नीति घोषित नहीं कर रही है और जानबूझ कर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रही है जिससे ऐसा दिखाया जाये कि पहली सरकार द्वारा बनायी गई इस नीति के कारण घाटा हुआ है। जबकि वर्तमान में इस नीति से घाटा नहीं, बल्कि काफी फायदा हुआ है। परन्तु अव्यवस्था के कारण और नीति में थोड़ी-बहुत जो खामियाँ थी उनको ठीक न करने के कारण घाटा हो रहा है। मान्यवर, जब तक एकाधिकार था तब तक तीन लाख शराब पेटियाँ उत्तरांचल में आती थी। एक पेटी में 12 बोतल शराब होती है। इस प्रकार कुल 36 लाख बोतलें ही उत्तरांचल में आती थीं और जब से ये नीति पिछली सरकार ने लागू की और एकाधिकार तोड़कर यहाँ भिन्न-भिन्न लोगों के हाथों में शराब का कारोबार दिया। तब से पूरे उत्तरांचल में 8 लाख पेटी यानी 96 लाख बोतलें आई हैं। 60 लाख बोतलें अधिक आने का मतलब यह है कि पूर्व में 60 लाख पर मिलने वाले सरकारी राजस्व की हानि हुई है। जब तक एकाधिकार था तब तक 204 करोड़ से अधिक कभी भी राजस्व नहीं मिला। इस नीति के लागू होने के बाद पहले साल में 232 करोड़ और इस साल लगभग 247 करोड़ का राजस्व आ चुका है। इन 60 लाख बढ़ी हुई बोतलों पर 32 प्रतिशत का जो सेल टैक्स सरकार को मिलता है, वह भी बढ़ा हुआ मिलेगा। जब से एकाधिकार समाप्त किया गया है, तब से विभिन्न शराब कम्पनियाँ यहाँ पर आने लगी हैं और कई किस्म की वैराईटी और ब्राण्ड जो पहले नहीं मिलती थी अब सुलभता से उपलब्ध हैं। मान्यवर, यदि पूर्व में पर्यटक यहाँ आता था तो उसे शराब की ब्राण्ड नहीं मिलती थी और वह अपने साथ बाहर से ही 2 बोतल तक ला सकता था। यदि एक साल में एक लाख पर्यटक आता तो उसके साथ 2 बोतल प्रति पर्यटक के हिसाब से 2 लाख बोतलें आ जाती, यह भी एक राजस्व की हानि ही होती।

आज इस समस्या का समाधान हो गया है। आज पूरी तरह से सरकार के कुछ नुमाइन्दे पुनः एकाधिकार कराने की सोच रहे हैं। उनको इस प्रदेश के राजस्व से कुछ

भी लेना–देना नहीं है। आज जो शराब की दुकानें बन्द हो रही हैं, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण बन्द हो रही हैं। क्योंकि एकाधिकार के समय दुकानों की सही कीमत नहीं निकाली गई थी। ठेकेदार ने शहरी दुकानों की ऊँची कीमत और गाँवों की दुकानों की कम कीमत दिखाई थी। इसके आधार पर तत्कालीन सरकार ने जो नई नीति बनाई तो दुकानों की सही कीमत निर्धारित कर दी। नई नीति में ठेकेदार द्वारा पूर्व में दर्शित कीमत पर ही अधिभार लगाकर दुकानों की कीमत फिक्स की गई। जब बीच में दुकानों में घाटा आने लगा और कई लोगों ने अधिभार छोड़ना प्रारम्भ कर दिया, तब तक तत्कालीन सरकार ने 20 प्रतिशत तक अधिभार किसी भी अन्य को देने सम्बन्धी आदेश कर दिया ताकि जिनका अधिभार अधिक हो गया था, उन्हें हानि न हो। परन्तु वर्तमान सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और वास्तविकता को नहीं देखा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि शराब की बिक्री को किसी एक व्यक्ति के हाथ में न देकर विभिन्न लोगों के हाथों में जैसा चल रहा है, दिया जाये। इससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही साथ ही कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। परन्तु इसमें जो खामियां अधिभार सम्बन्धी थोड़ी–बहुत रह गई हैं, उन्हें ठीक कर दिया जाये।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित करते समय स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाये। इसके लिए इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करने वाले निजी क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्र को मिलने वाली रियायतें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जायें। क्योंकि हमारे प्रदेश में अभी औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार नहीं किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कच्चे माल का अभाव है, दक्ष कारीगर उपलब्ध नहीं हैं, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कष्टप्रद पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अधिक रियायतें दी जायें। क्योंकि मैदानी क्षेत्र रेल, सड़क आदि क्षेत्रों से सम्पन्न हैं। जैसे कोई कच्चा माल दिल्ली से आना है तो वह हरिद्वार में जल्दी ही उपलब्ध हो जायेगा परन्तु उत्तरकाशी जनपद में उसे कैसे जल्दी पहुँचाया जायेगा। ऊधमसिंह नगर में भी यह माल सुगमता से और कम खर्च पर उपलब्ध हो जायेगा परन्तु अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़ तक पहुँचाने में जो अतिरिक्त भार उद्यमी पर पड़ेगा, उसके लिए उन्हें सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि पहाड़ों में इसका आधारभूत ढांचा अभी नहीं है।

उद्योग लगाने के लिए वित्तीय लागत और आधारभूत ढाँचे के निर्माण की दर भी काफी है इसलिए उनको यह रियायतें मिलनी चाहिएं जैसे बड़े पैमाने पर पूँजी सब्सिडी मिले, ऋण की वापसी उत्पादन शुरू होने के बाद कम से कम पांच वर्ष बाद शुरू हो, इस अवधि में कर्ज को ब्याज मुक्त भी रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही ब्याज लिबोर "लन्दन इन्टरनेशनल बैंकिंग रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट" के मानकों के अनुरूप 1/2 यानी 50 प्रतिशत तक निर्धारित हो, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा ज्ञान होगा, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नई उद्योग नीति में उपरोक्त बातों को अवश्य लागू किया जाय। इसके साथ ही बिजली की सब्सिडी को निश्चित करने तथा 24 घन्टे निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित होनी जरूरी होनी चाहिए। इसलिए ही बाहर का उद्यमी यहाँ पर आ पायेगा। बिजली की तरह ही माल भाड़े पर सब्सिडी दी जाये ताकि

कच्चे माल के आने और तैयार माल के जाने में खर्च कम हो और यह सब्सिडी 50 प्रतिशत होनी चाहिए। विश्व बैंक के मानकों के अनुरूप नये राज्य में औद्योगिक नीति का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय उद्यमियों के उत्पाद का अधिक मूल्य मिले क्योंकि सम्पन्न इलाकों में बनाये गये माल की कीमत यहाँ बनाये गये माल की कीमत से कम होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सरकार स्थानीय उत्पादकों से कम से कम 50 प्रतिशत की खरीद करेगी। लाइसेंस प्राप्त करने से लेकर उत्पादन का प्रथम चरण पूरा होने तक सभी कार्य तथा औपचारिकतायें सिंगल विन्डो सिस्टम से की जानी चाहिए क्योंकि अधिक विन्डो सिस्टम में कई तरह से भ्रष्टाचार उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। इस नीति को लागू करने के लिए हमें टेन्डर प्रणाली से भी बचना होगा। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से यहाँ के उद्यमी प्रतियोगिता नहीं कर पायेंगे। जिस प्रकार से उत्तरांचल राज्य आज केन्द्र सरकार से सब्सिडी मांग रहा है, उसी तरह उद्यमियों को भी सब्सिडी देनी होगी। मान्यवर, मुझे कई चीजें कहनी थी परन्तु चूँकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बातों को रख रहा हूँ।

मान्यवर, अभी एक दवा घोटाला उजागर हुआ है, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके समय में दवा नीति नहीं थी तो घोटाला नहीं होता था, आज दवा नीति बन गई तो घपला हो गया तो मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस घोटाले को उजागर करने में किसी भी मंत्री का या सरकार का कोई भी रोल नहीं है, यह तो दो दवा व्यापारियों की लड़ाई थी। उनकी लड़ाई जब सामने आई तो घोटाला भी सामने आ गया। मान्यवर, एक दवा व्यापारी ने पोल खोलने के उद्देश्य से एक पत्र डी0जी0, एक पत्र प्रेस और एक पत्र मुख्यमंत्री जी को भी भेजा था। डी0जी0एस0एम0डी0 और डी0जी0एच0एस0 ऐसे शब्द हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। इन लोगों ने इनके फर्जी कागज बना करके नकली एवं फर्जी दवाईयों की खरीद की और उत्तरांचल की जनता के धन का दुरुपयोग किया। लेकिन उन पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें आज जेल के सीखचों के पीछे होना चाहिए था। वे लोग आज वहाँ पर बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, और भी कई प्रकरण हैं जिन्हे मैं सदन के समक्ष रखना चाहता था परन्तु चूँकि समय कम है, मैं अपनी बातों के माध्यम से जनता की घोर उपेक्षा को सदन के समक्ष रख रहा था।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता सदन का नाम पुकारे जाने और नेता सदन श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृपया बैठकर ही अपनी बात कहें।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मानननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी, माननीय नेता प्रतिपक्ष की तथा अन्य माननीय सदस्यों की अनुज्ञा से ही बैठकर बोलने की धृष्टता कर सकता हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि आप बैठकर ही बोलें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

धन्यवाद, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। परम सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं किन शब्दों में नेता विरोधी दल, सभी दलों के सम्मानित नेतागण और तमाम माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करूँ, जिन्होंने धन्यवाद के प्रस्ताव पर अपने विचार, अपने सुझाव और अपने उद्‌गार यहाँ पर प्रस्तुत किये हैं। मैं आपके माध्यम से सभी का हार्दिकतम आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य श्री फूल सिंह बिष्ट तथा श्री गोपाल सिंह राणा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल द्वारा अभिभाषण रखना, उस पर संशोधन प्रस्तुत होना और धन्यवाद के प्रस्ताव का प्रारम्भ होना, संसदीय पद्धति का एक अनिवार्य अंग है। मान्यवर, सबसे पहले ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेन्ट्री पद्धति का परिचलन हुआ था। हमारे देश में भी संविधान निर्माताओं ने जो अनुज्ञाएं दीं, उनके आधार पर पार्लियामेन्ट्री पद्धति का निरूपण किया। हमें इस बात का गर्व है कि जब से हमारा नया राज्य बना है, हमने संसदीय परम्पराओं का पालन करने की पूरी चेष्टा की है। उसी सन्दर्भ में अभिभाषण हुआ, उसी सन्दर्भ में धन्यवाद प्रस्ताव आया और उसी सन्दर्भ में संशोधन प्रस्ताव भी हुए। संसदीय परम्पराओं का पुराना सेवक होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि जिस तरह से हमारे नौजवान विधायक और पहले से अनुभवी विधायक उभर रहे हैं, उनकी वाणी में जो ओज है, उनके अन्दर जो तर्कशीलता और आवेग है, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में उत्तरांचल या उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा उपवेशनों में उनकी उपस्थिति से चार चाँद लगेंगे और उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश भारत के एक अग्रिम प्रदेश के रूप में अग्रसर होगा। इससे पहले कि मैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव रखे गये हैं, उनके सन्दर्भ में अपनी बात कहूँ, मैं महामहिम श्री राज्यपाल का उनके पहले अभिभाषण के लिए व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अभिभाषण दिया। महामहिम राज्यपाल जी स्वयं संसदीय परम्पराओं के मर्मज्ञ हैं।

मान्यवर, मैंने उनको राज्य सभा में देखा, उन्होंने वहाँ पर सेक्रेट्री जनरल रहकर किस तरह दशकों तक संचालित किया। इसलिए गवर्नर के दायित्व के रूप में हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, इसका हमें भरोसा है। हम उनके आभारी हैं कि वे यहाँ आये और यहाँ आकर उत्तरांचल का सौभाग्य बढ़ाया। मैं इसी के साथ–साथ पूर्व राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी को भी बधाई देता हूँ, अभी कुछ ही समय पहले उनकी विदाई हुई है आप सब की ओर से मैं उनकी चर्चा किये बिना भी नहीं रह सकता। पिछले साल और उसके पहले साल उन्होंने यहाँ के राज्यपाल के नाते अभिभाषण किया, जिनके संचालन और व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे यहाँ दृष्टिगोचर रहा। अब वह आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल

है। मैं श्री बरनाला जी से आग्रह करूँगा कि उन्होंने यहाँ आकर इस प्रदेश की गरिमा को बढ़ाया, आप हमारा आभार उन तक पहुँचाने का कष्ट करें।

जो अभिभाषण है, यह विश्व में राज्य की नीति की खास तौर पर जिस कार्य के लिए विधान सभा बुलायी गई है, संविधान के अनुसार उसका दिग्दर्शन करता है, उसमें ज्यादा अभिभाषण की गुंजाइश नहीं होती। साथ–साथ यह अवसर मिलता है कि राज्य सरकार उसका संकलित दिग्दर्शन अभिभाषण करें, उसमें आखिर में यह भी दे दिया जाता है कि हमने किन कारणों से विधान सभा सत्र को आहूत किया है और अब जो केन्द्र में भी परिपाटी मान ली गई और सभी पार्लियामेन्ट्री पद्धति वाले देशों ने इसे मान लिया है कि विधायी कार्य के अलावा जो सरकार के वार्षिक कार्यक्रम और नीति एक अभिभाषण से दूसरे अभिभाषण के बीच के जो कार्यक्रम हैं, उसमें हम भाषणों के संदर्भ में और घोषित योजनाओं, बजट के संदर्भ में संक्षिप्त विश्लेषण देने की कोशिश होती है वही प्रयास इस प्रस्ताव के जरिये परिलक्षित होती है। जैसा कि हमारे सहयोग राज्य मंत्री ने बताया कि कितने पैरा हैं और कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, आप स्वयं देखेंगे इसके प्रत्येक पैराग्राफ में कुछ न कुछ ठोस बातें रखने की कोशिश की गई है जो नये राज्य के सामने चुनौतियाँ हैं, कि राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है। प्रदेश में पिछली सरकार जो भी रही चाहे वह किसी भी दल की रही हो, चाहे केन्द्र की 27 दलों की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार हो, सरकार को अपनी–अपनी जगह मिल करके कुछ कार्यक्रम तय करने होते हैं जो योजनाओं में पारदर्शिता लाते हैं। हम कहीं का भी दृष्टिकोण लें, विकास के मामले में यह बाधा नहीं मानी जाती चाहे किसी भी प्रकार की विचारधारा की सरकार हो, हमें मिलजुल कर चलना होता है।

मान्यवर, यह अभिभाषण राज्य सरकार का दस्तावेज है लेकिन इसमें केन्द्र की योजनाओं का भी समावेश है। यह अनिवार्यता हर राज्य के लिए होती है। अब हम यह सोच कर काम करें कि यह केन्द्र की योजना है और यह राज्य की योजना है तो हम विकास नहीं कर पायेंगे। प्रजातंत्र कड़वाहट से नहीं चलता है। आपसी सामंजस्य के आधार पर ही राज्य चलता है। गलतियाँ हो सकती हैं, त्रुटियाँ हो सकती हैं तथा कहीं–कहीं गम्भीर गलतियाँ भी होंगी तथा उनके निराकरण के लिए हमने प्रयास भी किये होंगे। हमारा यह प्रयास है कि हर दिशा में हम आगे बढ़ें और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। कोई भी क्षेत्र विकास की दृष्टि से अछूता न रह जाए। लेकिन मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि वे भी इसे देखें, और उचित मार्गदर्शन भी करें, आपसी सामंजस्य से ही राज्य का विकास होगा। अभिभाषण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि उत्तरांचल की जो समस्याएं हैं उनके निदान का रूप क्या हो सकता है। हम विकास के मामले में आंकलन एक वर्ष या महीनों के आधार पर नहीं कर सकते हैं, कोई–कोई योजना पाँच साल की भी होती है, वे तो पाँच साल में ही पूरी होगी। अभी हमें नौ हजार पचास करोड़ की योजना बनानी है इसमें दूरगामी योजना भी है, वार्षिक योजना भी है और अल्पकालिक योजनाएं भी हैं इन सभी का समन्वय हमें करना है इसमें केन्द्रीय योजना भी जोड़ी जायेगी। नई–नई योजनाएं भी जोड़ी जायेंगी। वे सभी योजनाएं भविष्य में दिखाई पड़ेंगी।

अभी हिमांचल प्रदेश का जिक्र किया। उस राज्य को बने 40 साल हो चुके हैं। उसे विशेष राज्य का दर्जा भी मिला और अब राज्य का दर्जा मिल गया है। इससे पहले हम एक बड़े प्रदेश के अंग थे। अब हमारा यह एक प्रकार से इम्तिहान है और यह हम सब का इम्तिहान है। इस छोटे प्रदेश को हम किस प्रकार से अग्रणी बना सकते हैं। यह काम केवल मुझ जैसे छोटे सेवक को ही नहीं करना है। इसके विकास के लिए हम सब को प्रयास करने होंगे, तभी यह अग्रणी राज्य बन पायेगा। मेरे पास महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी द्वारा दिये गये अभिभाषण की प्रति है। जिसमें कि उन्होंने 12 जनवरी, 2001 को यहाँ पर उत्तरांचल राज्य बनने के बाद पहली विधान सभा के सम्बोधन में कहा था। राज्यपाल के बतौर उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें मुझे दोहराने में कोई संकोच नहीं होता।

मान्यवर, राज्य गठन के पीछे जो जन आकांक्षाएं हैं, अब समय आ गया है, जब उनको पूरा करने के लिए सभी को दलगत राजनीति, वर्ग, जाति, क्षेत्र या अन्य स्वार्थों से ऊपर उठना होगा और मुझे पूरी आशा है कि इसमें आप सभी का पूरा योगदान होगा। ऐसे अवसर कभी-कभार ही आते हैं जब एक नया राज्य अस्तित्व में आये और हम सबको मिलकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए विकास एवं प्रशासन की नई संस्कृति पैदा करनी है जो संवेदनशील, जनोन्मुखी, सहभागिता पर आधारित, जनतांत्रिक मूल्यों को पोषित करने वाला, विकेन्द्रीकरण उन्मुख तथा पारदर्शी हो, यह मौका है जब प्रशासन के हर पहलू की समीक्षा करते हुए उसकी आवश्यकता और उसके स्वरूप व कार्य प्रणाली पर विचार किया जाय। इस कार्य के लिए जहाँ से भी विशेषज्ञ परामर्श मिल सके, वह लेना होगा। जब राज्य का प्रारम्भ हुआ यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया। हम इसे याद रखते हैं, हमारी राजनीति इसी भावना से संकल्पित है। हमने इसी के आधार पर कार्य करने का प्रयास किया। इसमें हमें मंत्रिमण्डल के सहयोगियों का भी पूरा सहयोग मिला और सदन में विपक्ष द्वारा जो भावना दिखाई जा रही है, उसके लिए हम आभारी हैं। जो उत्तरदायित्व हमारे हैं विपक्ष उन्हें पूरा करने का अवसर देगा। जैसा कि सम्मानित सदस्य मंगलौर ने जो कहा, मैं भी उसी सम्बन्ध में एक बात बता दूँ-

"ऐ दोस्त बता दूँ तुझ और मुझ में क्या फर्क है,

तन्हा तेरा दर्द है, मेरा दर्द जमाना।"

दर्द दल, दर्द उत्तराखण्ड, दर्द उत्तरांचल, दर्द भारत।

पहला सवाल नेता विरोधी ने विभाग के सम्बन्ध में किया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जिस ढंग से वे हमें सहयोग दे रहे हैं, उनकी बातों में "कुनीन" की कड़वाहट का इलाज लगता है। वे हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस समय किसी की चाटुकारिता करना सही नहीं है। चाटुकारिता सफल नहीं हो सकती। "निन्दक नियरे राखिये" जो बातें उन्होंने कही हैं, उनसे हमें बल मिला है।

मान्यवर, मुझे विश्वास है कि इस भावना से भविष्य में हम मिलकर कार्य करते रहेंगे। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की संसदीय क्षमताओं को आमंत्रित करना चाहूँगा और हमारे कुछ अन्य मित्रों ने इसका उल्लेख किया है कि हम पूरा बजट क्यों नहीं लाये। मैं स्वयं इस बात का हामी रहा हूँ कि पूरा बजट पेश हो। मान्यवर, बजट

केवल खर्चे का नहीं होता है, बजट साधनों का भी होता है, तो जब तक हमको यह नहीं मालूम होगा कि योजना व्यय के लिए योजनन्तर के लिए कहाँ से कितना पैसा मिलेगा, तब तक हम बजट नहीं बना सकते हैं। मान्यवर, मैं लोगों के सामने वह बजट पेश करने की धृष्टता नहीं करूँगा जो कि काल्पनिक हो। मान्यवर, मुझे सेवा करने का मौका केन्द्र और राज्य दोनों ने दिया है। मैंने सभी खिड़की देखी हैं, तो मुझे मालूम है कि राज्य की खिड़की में क्या दिक्कत आती है, मुझे यह भी मालूम है कि केन्द्र की खिड़की से क्या देने की शक्ति होती है, क्या नहीं होती है। तो मैं अपने अनुभव का डंका बजाऊँ यह मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन यह बात सही है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा एनवल प्लान 9 हजार 50 करोड़ के अन्दर जो वर्ष 2003–04 का है। मान्यवर, वार्षिक योजना क्या है, जब योजना बन गई तो योजना के आधार पर हमारे बजट के दो हिस्से होंगे। एक आयोजनागत बजट और दूसरा आयोजनेत्तर बजट। आयोजनेत्तर बजट के लिए फाइनेन्स कमीशन मदद देता है। मान्यवर, दुर्भाग्य से फाइनेंस कमीशन ने जब तक रिपोर्ट दी, ग्यारहवें फाइनेंस कमीशन ने। मान्यवर, तब तक राज्य नहीं बना था, जब राज्य नहीं बना तो 11वें कमीशन ने हमें नान–प्लान के लिए पैसा नहीं दिया। नाममात्र 19 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के हिस्से से मिला, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मालूम था कि हम अलग राज्य बनाने जा रहे हैं। हमें योजना का पूरा रूप न मालूम है और न हमें आयोजनेत्तर नान–प्लान का खर्च मालूम है, उसके लिए हमारा प्रयास था, लेकिन वहाँ भी कुछ स्थिति ऐसी आ गई कि राज्यों से योजना का जब तक वार्षिक रूप से आपस में परामर्श नहीं होता, तब तक वार्षिक योजना पूरी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि बहुत कम राज्यों में मुख्यमंत्री स्तर पर बात–चीत नहीं हुई है। तो उनका भी बजट पूरा नहीं बन सका है। केन्द्र में यह पद्धति बन गई है, केन्द्र में भी हर साल करीब–करीब वोट आन एकाउन्ट ले आते हैं और स्टैंडिंग कमेटी सदन की बन गई है। स्टैंडिंग कमेटी में बजट चला जाता है, हर विभाग का बजट विभाग के स्टैंडिंग कमेटी में चला जाता है, वहाँ से अब वापस आ रहा है स्टैंडिंग कमेटी, तब वहाँ से फाइनल केन्द्र का बजट होगा, तब केन्द्र का बजट फाइनल होता है। राज्यों के बारे में तो प्लानिंग कमीशन को मालूम होता है कि केन्द्र कितना रुपया देगी राज्यों को, तब प्लानिंग कमीशन अपनी योजना बनाती है, तो इसलिए हमने इस साल कोशिश की है कि तीन महीने का लेखानुदान हो। मान्यवर, कुछ राज्यों ने हो सकता है कि ज्यादा समय के लिए लिया हो। हमें आशा है कि हमें इसमें केन्द्र की योजना आयोग की पूरी सहायता मिलेगी जैसे पिछले साल मिली थी, पिछले साल भी हमें यही करना पड़ा।

मान्यवर, हम वोट एण्ड एकाउन्ट लाए, लेकिन नेता विरोधी दल का यह अधिकार है, कर्तव्य है कि कहीं हमारी भूल होती है, चाहे वह भूल न हो, चाहे वह मजबूरी की भूल हो, चाहे वह मजबूरी का कदम हो, तो उसे स्वयं स्वीकार करेंगे। मान्यवर, हर दल की कहीं न कहीं सरकार होती है, हमारी जब कमेटियों की बैठकें होती हैं तो वहाँ हम राज्य सरकार को मदद करते हैं, और कहते हैं कि यह अच्छा कार्य कर रही है, कहना भी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि कहाँ–कहाँ पर वोट एण्ड एकाउन्ट हुआ है, शायद एक–आध राज्य में ही हुआ हो। हाँ काल्पनिक रूप से हम कर सकते थे। लेकिन शायद नेता विरोधी दल इसे स्वीकार न करते। अगले वर्षों में क्या करना है उसके लिए हमें आप राय दे दें कि हम अन्दाज से बजट पेश कर दें, या कोई योजना के आधार पर कर दें

या संसाधन हमें प्राप्त होने हैं, उनके आधार पर पेश कर दें। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि 12वाँ वित्त आयोग बन चुका है, मेरा अनुभव यह है कि जिस शासन ने वित्त आयोग को ठीक से अपना केस नहीं भेजा, जिसने ठीक से अपना केस तैयार नहीं किया, वह राज्य घाटे में गया। यह पिछले 40—50 वर्षों का संसदीय इतिहास है। अब 12वाँ वित्त आयोग जो रंगराजन जी के नेतृत्व में बना है, उससे हमें बड़ी आशाएं हैं। इसकी बैठक 09 तारीख को होने जा रही है, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, अपना दायित्व पूरा करूँगा, कभी वित्त आयोग यहाँ आएगा और गवाही लेगा, मैंने पहले भी उत्तर प्रदेश में कहा और दिल्ली में भी मैंने इस बात का प्रयास किया है कि सब दल वहाँ अपनी तैयारी करें। आज कर्मचारियों की माँगें हैं, सरकार मेरी हो या उनकी। कल्पना कीजिए कि मेरी सरकार न होती, कोई और मंत्रिमण्डल होता तो उनके सामने भी कठिनाइयाँ आती, कर्मचारियों की माँगें आ रही हैं, स्टाफ की माँगें आ रही हैं, नए खर्च की माँगें आ रही हैं, अब जितना भी नया व्यय होगा यह सब नान—प्लान खर्च है। ये केवल फाइनेंस कमीशन के दायरे में आते हैं, प्लानिंग कमीशन के नहीं। अब उसमें एक चीज नई रखी गई है कि प्लानिंग कमीशन का एक मेम्बर फाइनेन्स कमीशन का भी होता है। फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन में तालमेल के लिए यह व्यवस्था की गई है, श्री सोमपाल जी शास्त्री बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उनको बनाया गया है, जो प्लानिंग कमीशन के भी मेम्बर हैं और फाइनेंस कमीशन के भी। ताकि योजना और आयोजनेत्तर में आपस में सामंजस्य रहे, इसके लिए केन्द्र में भी व्यवस्था की गई है। 09 तारीख को इसीलिए उन्होंने बुलाया है कि हमारी टर्म्स एण्ड रेफरेन्स क्या होगी तो हमारी माँग यह होगी कि, उसमें सदन की भावनाएँ भी आ जायेंगी कि हमें जो 11वें वित्त आयोग से राज्य देर से बनने के कारण हिमांचल प्रदेश को पौने 5 हजार करोड़ रुपए मिल रहा है, नान—प्लान में तनख्वाह आदि के लिए हमको 17 करोड़ रुपए मिला कुल एक साल में, पहले वर्ष 2000—2001 में और बाकी 05 साल कुछ नहीं तो इस कमी को पूरा करने के लिए अंतरिम रिपोर्ट दें, हम यह आग्रह रंगराजन समिति से करने जा रहे हैं कि वह अंतरिम रिपोर्ट दे ताकि हमें नान—प्लान के लिए कुछ पैसा मिले जो हमारा अधिकार है और वह इसलिए कि राज्य में 03 माह का फर्क बन गया, इसलिए छत्तीसगढ़, झारखण्ड और हमें नहीं मिला, अतः हम माँग करेंगे। वे यहाँ इसी वर्ष आयेंगे, हमने उन्हें आमन्त्रित किया है, मुझे विश्वास है कि हर दल के नेता और नेता विरोधी दल उनसे अवश्य मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में हम ऐसा करते रहे हैं और केन्द्र में भी हमने ऐसा ही किया है।

मान्यवर, यह बात बहुत जरूरी है। उत्तरांचल की जनता से मेरी अपील है, जितनी भी माँगें हैं उन सबको पूरा करने के लिए जब तक फाइनेंस कमीशन से पूरी सहायता नहीं मिल पायेगी जैसे अन्य प्रदेशों को मिलती है, तब तक कितनी कठिनाई होती है, आप सोच सकते हैं। हम कैसे इन माँगों को पूरा करेंगे। अभी नया राज्य बना है और लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा है लेकिन इसके लिए साधन नहीं है तो इसके लिए हाँ कहना कितना कठिन होगा। मितव्ययिता की बात कही गयी। माननीय नेता विरोधी दल जी ने कहा मितव्ययिता कैसे हो। एक तरफ कम खर्च तो दूसरी तरफ खर्चे की माँग। रोजाना कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन। कभी दैनिक कर्मचारी नाराज तो कभी वर्कचार्ज वाले नाराज। रिजर्व बैंक ने वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है। उनका अंकुश है। हम वित्तीय नियंत्रण नहीं करेंगे तो सभी राज्य मनमाने ढंग से खर्च करते रहेंगे। इससे रुपये की

वैल्यू क्या होगी रुपये की वैल्यू कम होगी तो दुनिया में एक्सपोर्ट कैसे होगा। इसके लिए यह जरूरी है। जो रोजगार की बात कही गयी है। यह बात सही है कि दो लाख लोगों को रोजगार देने का वादा हमारे घोषणा–पत्र में है। हम इसको स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में हम एक बात यह भी कह सकते थे कि अभी दो साल नहीं हुए हैं लेकिन हमको इसमें नहीं पड़ना है। हमारी सरकार ने जो रोजगार दिया है, वह सामने है और आगे अभी हमारी औद्योगिक नीति बनकर तैयार हुई है। जब उद्योग लगेगा तो अपने आप रोजगार बढ़ेगा इसमें हमारे नेता विरोधी दल का भी आशीर्वाद है, सदन में। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नैनीताल भ्रमण के दौरान 30 मार्च, 2002 को उनसे मिले। माननीय नेता विरोधी दल भी साथ में थे। उनका भी पूरा सहयोग रहा। हमने उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की और एक प्रेस रिलीज हुई जिसमें लिखा है कि श्री नारायण दत्त तिवारी, चीफ मिनिस्टर, उत्तरांचल एण्ड ए स्टेट बी0जे0पी0 डेलीगेशन लेड बॉय श्री भगत सिंह कोश्यारी फॉरमर चीफ मिनिस्टर एण्ड द लीडर ऑफ द अपोजीशन इन द स्टेट असेम्बली एण्ड श्री बच्ची सिंह रावत, युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट काल्ड ऑन द प्राइममिनीस्टर इन दीज थ्री डेज। उनसे तीन दिन बातें हुई। 30 मार्च, 2002 को एलान हुआ लेकिन जारी हुआ जनवरी में। थोड़ी देर हुई। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं जानता हूँ कि इन प्रक्रियाओं में देरी होती है यह सरकारी प्रक्रिया है। थोड़ा समय लगता है। एक्साइज में भी 10 से 15 प्रतिशत कन्सेशन देने की बात है, काशीपुर के विधायक जो हमारे उद्योगपति भी हैं वे इसके बारे में जानते हैं, आज चार दिन पहले ही एक जी0ओ0 निकला है। जी0ओ0 निकलने में देरी लगती है ही।

मान्यवर, अब मुझे इस बात का दुख हुआ कि औद्योगिक नीति जो केन्द्र ने घोषित की है, उसको लागू कैसे किया जाये ? इस पर सुझाव यहाँ पर नहीं आ सके। हम उद्योग नीति बना रहे हैं। इस पर भी हम आपके सुझाव चाहते हैं। उद्योग नीति में लघु उद्योग, घरेलू उद्योग, छोटे उद्योग, मंझले उद्योग से सम्बन्धित जो भी सुझाव है कि क्या हम राज्य में कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम आपके सुझाव चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगले एक–डेढ़ महीने में मंत्रिपरिषद नीति घोषित करें। बजट से पहले यह नीति घोषित हो जाये, यह हमारा प्रयास होगा। अगर हमने केन्द्र और प्रदेश की मिली–जुली उद्योग नीति लागू कर दी, खादी कमीशन ग्रामोद्योग को लागू कर दिया तो मुझे कोई संदेह नहीं कि हम 2 लाख लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य से भी आगे जा सकते हैं। मुझे कहा गया कि दो लाख तो आप कर नहीं पाये। बेरोजगारी हमारा और केन्द्र सरकार दोनों का मसला है। ऐसा नहीं है कि यह केवल हमारा ही मसला हो। हम और केन्द्र मिलकर ही बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। केन्द्र सरकार जो बेरोजगारी दूर करती है, वह राज्यों में ही दूर करती है। मुझे पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि सरकार अपने वादे के अनुरूप पिछले तीन साल में हर साल एक करोड़ रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो एक करोड़ रोजगार हर साल में तीन साल तक उपलब्ध हुए हैं। इसमें उत्तरांचल का क्या हिस्सा रहा ? आबादी के हिसाब से भी देखें तो एक करोड़ में एक लाख पड़ा।

इसमें लिखा है कि ग्रामीण रोजगार योजना में ही पाँच साल में प्रतिवर्ष 70 लाख नये रोजगार दिये हैं। ये योजना हमारे यहाँ भी लागू है। इसमें पूरा दिया गया है कि इतने मैनडेज हमने दिये हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया है। ग्रामीण रोजगार योजना हमारे माध्यम से लागू होती है।

अखबारों में पूरा विवरण दिया गया है। लगभग हर अखबार में विज्ञापन है और बयान भी है। मुझे भी कभी–कभी दाल की जरूरत होती है। अगर आप सारी योजनाओं का हिसाब लगाएं तो उत्तरांचल में 2 लाख रोजगार का लक्ष्य तो पूरा हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) ये पूरा विज्ञापन है अखबारों में। मैं इसे कहने में भी हिचक रहा था कि कहीं कोई दिल न दुख जाये। लेकिन, मैं क्या करूँ, आज ही अखबारों में छपा है। मैं भी इस बीच में थोड़ी तकलीफ में हूँ। लेकिन कुछ सहारा तो ढूंढना पड़ता है। हिन्दू अखबार में लिखा है, और भी कई समाचार पत्रों में है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि नये उद्योग लगें, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन एक बात का ख्याल हमें रखना होगा, हमें नये उद्यमी पैदा करने पड़ेंगे। हमें इन्टरपैन्यूल्स निर्मित करने होंगे, उसके लिए माहौल बनाना होगा।

आज हम देखते है पंजाबी भाइयों को, आज पूरे देश में ट्रांसपोर्ट के उद्योग में वे ही अग्रणी हैं वे क्यों अग्रणी हैं ? यह देखें तो पता चलता है कि वे इन्टरपैन्यूल हैं। उनमें उद्यम लगाने की, उसे कार्य योजना में लाने की भावना है। एक उदाहरण और देख लें आज भारत भर में दियासलाई का जो उद्योग है, वह तमिलनाडु प्रदेश के शिवकाशी गाँव में बनती है सिर्फ विमको कम्पनी को छोड़कर। आज जो हीरों का व्यापार है, नकली हीरों को, वह सिर्फ गुजरात प्रदेश में ही क्यों होता है चाहे, कोई भी सरकार हो, वहाँ इसका कार्य होता है। यह क्यों होता है क्योंकि वहाँ पर कार्य संस्कृति है, वही कार्य संस्कृति हमें अपने राज्य में लानी होगी। हमारी नौजवान जो पीढ़ी है, उसे इस कार्य संस्कृति से परिचित कराना होगा और मैं यह चाहूँगा कि आज हमारे सदन में जितने भी नौजवान हैं, वे इस कार्य संस्कृति से लोगों को परिचित करायें। हमें इस कार्य में टेक्निकल एजुकेशन का सहारा भी लेना होगा, हम इस पर बढ़ावा भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाय। यही बात को पूर्व राज्यपाल महामहिम सुरजीत सिंह बरनाला जी के 12 जनवरी, 2001 के अभिभाषण में भी उल्लिखित है। उस समय माननीय नित्यानन्द स्वामी जी मुख्यमंत्री थे। और कई माननीय सदस्य जो इस समय सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं, वे उस समय मंत्री थे और जहाँ तक मेरी जानकारी है, माननीय नेता विरोधी दल उस समय ऊर्जा मंत्री थे एवं मंत्रिमंडल में वे शीर्ष स्थान पर थे तो उसी अभिभाषण में कहा गया है कि "उत्तरांचल राज्य का गठन ऐसे समय में हुआ है जिसमें यह राज्य वर्तमान की सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ लिया जा सकता है।" उसमें कहा गया है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता लेकर प्रदेश का विकास किया जा सकता है जिसे आज कुछ लोग कम्प्यूटर घोटाला कह रहे हैं, जो नीतियाँ वहाँ पर कहीं गयी थीं उन्हीं पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम लागू कर रहे हैं। जैसा मैं अभी पूर्व में भी कह चुका हूँ कि महामहिम तत्कालीन राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह उल्लिखित है कि "उत्तरांचल राज्य का गठन ऐसे समय में हुआ है जिसमें यह राज्य वर्तमान की सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ उठा सकता है। लेकिन यह लाभ तभी उठाया जा सकता है जब इस अर्थव्यवस्था के नियमों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाये अर्थव्यवस्था के नियमों और आवश्यकताओं के विकास के लिए भौतिक अवस्थापना सुविधाएं अच्छी संचार व्यवस्था, ऊर्जा, जल एवं यातायात आदि आवश्यक हैं। और दूसरी आवश्यकता प्रगतिशील, कार्यकुशल व जन सहायक प्रशासन है। तीसरी आवश्यकता सुरक्षा का वातावरण तथा सुगम न्याय प्रणाली है। चौथी आवश्यकता सामाजिक सुविधाओं की है।

और आगे चलकर पृष्ठ 13 में यह कहा गया है कि "त्वरित संचार माध्यमों की सहायता से सूचना सम्प्रेषण के कार्य को राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में शीघ्रतीशीघ्र सुदृढ़ करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।"

मान्यवर, अगले कुछ माहों में राज्य मुख्यालय को आधुनिकतम संचार तंत्र से जोड़ना इस प्रदेश में प्रमुख आवश्यकता है और इसे समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, आगे इसमें लिखा है कि "किस तरीके से हम कम्प्यूटर टैनोलॉजी को हर ब्लॉक तक ले लायेंगे।" और भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीति दी थी, हमने उसको स्वीकार किया है। उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उसके लिए माहौल नहीं होगा तो बात कैसे बनेगी। मशीन को ठीक से चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए हम कम्प्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मान्यवर, हमारे देहरादून में ढाई सौ पब्लिक स्कूल हैं लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। रुड़की में एक आई०आई०टी० है। यहाँ पर हम एक सूचना प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। मान्यवर, मैंने कनाडा में देखा कि दूर पहाड़ में एक स्कूल खुला हुआ था, वह स्कूल टेलीविजन के आधार पर चल रहा था, वहाँ पर कोई मास्टर नहीं था, टोरन्टो में बैठकर एक प्रोफेसर पढ़ा रहा था। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गयी है। यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो पिछड़े के पिछड़े ही रहे जायेंगे। आपने ही हमें नीति दी है कि यहाँ पर हम विशेषज्ञ बुलाकर उनसे परामर्श लें, अब हमें यदि विशेषज्ञ के रूप में बिल गेट्स मिल जाएं तो क्या कहना ? मान्यवर, हमें सॉफ्टवेयर से बुनकर के हथकरघे तक जाना होगा। क्या अमेरिका या ब्रिटेन में हैण्डलूम नहीं है ? मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जापान में हैण्डलूम का काम सबसे अधिक होता है। आज भी हैण्डलूम की माँग बहुत अधिक है। मान्यवर, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आज भ्रष्टाचार की बात हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। यह भी सही है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो। इस सम्बन्ध में सब धान एक पसेरी नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग भ्रष्टाचारी हैं तो कुछ लोग सदाचारी भी हैं।

मान्यवर, हम नेता विरोधी दल को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोकायुक्त बनाये जाने पर सरकार को बधाई दी। लोकायुक्त के पास तीन सौ शिकायतें जा चुकी हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि भ्रष्टाचार का कोई मामला है तो उसको हम लोकायुक्त के पास भेज सकते हैं। अब जाँच की पूरी गुन्जाइश है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जायें कि जो यू०पी० का भ्रष्टाचार है, उसको साबित करने में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगायेंगे तो इसमें सारी जिन्दगी गुजर जायेगी। हमारे एक माननीय सदस्य जो द्वाराहाट से हैं, उन्होंने कहा कि विजिलैंस द्वारा एक ड्रग्स कन्ट्रोलर को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, यह आज की ताजा खबर है। मैं एक आग्रह करूँगा कि मेरा जो थोड़ा अनुभव है विरोधी दल में रहते हुए, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। हमारी जो फिलॉसफी है, यह एक तरफ तो कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु.......दूसरी तरफ कहती है कि शरीर नाश्वर्य है। मान्यवर, हम विजिलैंस डायरेक्टरेट को मजबूत कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक विरोध या बदले की भावना से हमें काम नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यह प्रजातंत्र के आचरण के विपरीत है।

बदले की भावना से कोई गलती कर रहा है या राजनीतिक भावना से बदला ले रहा है, यह हमसे नहीं हो सकता। हमने गाँधी जी के चरणों में बैठकर यह सीखा है। मान्यवर, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करता हूँ कि उन्होंने समय–समय पर यह करके दिखाया कि अपनी समस्याओं को आपस में बातचीत करके निपटाया।

मान्यवर, उन्होंने अपनी शिकायतों का निपटारा आपसी समझ–बूझ से किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम इसी भावना पर कार्य करते रहेंगे। बहुत सी बातें ऐसी हैं। यदि मैं उन सब का उल्लेख करने लगा तो बहुत समय लग सकता है, इसके लिए मैं समझता हूँ पूरा दिन चाहिए। हमारे माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी जी, श्री सिंघल जी, श्री नारायण पाल जी तथा माननीय महेन्द्र भट्ट जी ने एक अप्रैल को बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये, वह सब मैंने लिपिबद्ध किये हैं। मान्यवर, जब मैं सन् 1952 को विधायक बना था तो मुझे यह प्रशिक्षण दिया था कि तुम अपनी विधान सभा के लिए सबसे ज्यादा समय तक सेवा कर सकते संशोधनों के जरिये। मुझे खुशी है कि जितने संशोधन आए हैं, सभी में माननीय सदस्यों ने अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं का एक बारगी उल्लेख किया है। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ। माननीय नेता विरोधी दल का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुख्य बिन्दुओं पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन किया है। दो लाख लोगों को रोजगार देने की बात तो पूरी हो गई। इस सम्बन्ध में एक बैठक आज हुई थी, आप को यहीं पर बैठना था इसलिए आपको जानकारी नहीं होगी। बी0टी0सी0 के पदों के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उनकी नियुक्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के बारे में कहा है इस बारे में अवश्य विचार किया जायेगा, इसके अतिरिक्त श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री नारायण पाल, श्री हरबंस कपूर, माननीया विजय बड़थ्वाल, श्री कैलाश शर्मा, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री मालचन्द्र, श्री अनिल नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा श्री अजय भट्ट जी, जिनकी वाणी में ओज है। माननीय श्री प्रकाश पंत, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी वाणी में अध्यक्षता का पुट तो होगा ही। हमारे माननीय श्री काजी निजामुद्दीन, काशी सिंह ऐरी, श्री जंतवाल जी ने बहुत अच्छे सुझाव रखे। माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी ने 52 नहरों का उल्लेख किया है, अपने संशोधन हैं। इन संशोधनों का हमारे विभागों ने संज्ञान लिया है, उन पर विचार किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में . . . . . ।

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को हमारे माननीय मंत्रियों ने भी नोट किया है। माननीय सदस्यों की बातों को हमारे मंत्रीगण पत्र व्यवहार के जरिये इनको करेंगे। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मिलजुलकर काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। हमारे सम्मानित भाई रणजीत सिंह, हरीश चन्द्र दुर्गापाल, हेमेश खर्कवाल तथा कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", डा0 प्रताप सिंह बिष्ट, प्रदीप टम्टा, शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा डा0 नारायण सिंह जंतवाल ने अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं। माननीय काशी सिंह ऐरी जी का उत्तर प्रदेश का भी अनुभव रहा है, उन्होंने जितने सुझाव दिये हैं, इस सम्बन्ध में मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा।

राजधानी के बारे में भी कहा गया, इस सम्बन्ध में जैसा कि सदन अवगत है। एक बार मैं पुनः सदन को इस बारे में अवगत करा रहा हूँ। वीरेन्द्र दीक्षित ने आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था निर्वाचित सरकार नहीं है, इसलिए मैं कमीशन की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब फिर उन्होंने काम करना प्रारम्भ कर दिया है। इस आयोग के सामने हमें ऐसी बातें नहीं रखनी हैं, जिससे कि कटुता पैदा हो। अभी माननीय नेता विरोधी ने आयुर्वेदिक विभाग के सम्बन्ध में कहा, हमें कटुता नहीं बढ़ानी है। अस्थाई राज्य का निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया था। मान्यवर, अब कुछ लोग कह रहे हैं आप देहरादून में ज्यादा दफ्तर न खोलें। मैं चाहता हूँ अस्थाई राजधानी के बारे में आप अपनी सलाह कमीशन को दें और जो निर्णय कमीशन का होगा, हम उसे स्वीकार करें। मान्यवर, आपको जरूर असुविधा हुई होगी, आपने आज्ञा दी थी कि यहाँ पर विधान सभा बनायी जाय उस आज्ञा का पालन नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि विधान सभा यहाँ पर बनायी गयी तो यहाँ पर स्थाई राजधानी होगी तथा सचिवालय भी बनाया जायेगा।

मान्यवर, हम कमीशन से आग्रह करेंगे कि जल्द निर्णय लें। लेकिन इसको हम ऐसा न बना दें कि हम इसी झगड़े में रह जायें और इस झगड़े में हम अपना बुनियादी काम भूल जायें। इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मान्यवर, एक बहुत बड़ी कठिनाई जिसका उल्लेख भाषण में हुआ है, वह विकल्पधारियों के विषय में है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे थे, उनका विभाजन विकल्प के आधार पर होना था यह न्यायोचित भी था कि विकल्प लिया जाए। मान्यवर, विकल्पधारी योग्यता के अनुसार नहीं होता। जो विकल्प देता है, वह विकल्पधारी हो जाता है, जैसे भी विकल्पधारी हैं उनसे हमें काम लेना है। अभी हिल्ट्रान के कर्मचारियों को सचिवालय में रखना पड़ा, बहुत से लोगों को दूसरे विभागों में रखना पड़ा। स्टेनो, टाइपिस्टों को रखना पड़ा। मान्यवर, उन विकल्पधारियों की व्यवस्था केवल हमारे हाथ में नहीं है उत्तर प्रदेश का सहयोग भी जरूरी है। मान्यवर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि 74 लोगों को हमें लेना पड़ा, क्योंकि वह संवैधानिक जरूरत थी, वह सरकारी कर्मचारी थे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने जिस भी वजह से वापस नहीं लिया तो कहाँ जायें, तो हमारे और उत्तर प्रदेश के बीच में जो मतभेद है, वह कैसे दूर हो। मान्यवर, मुख्य सचिव और सचिवालय ने पूरी सूची दी है कि किस विभाग में कितने विकल्प हैं और कितने आने बाकी हैं। मान्यवर, पी0सी0एफ0, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, फारेस्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस में हैं और उन सबके लिए हमें संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। मान्यवर, पी0सी0एस0, फारेस्ट सर्विस के लिए बताया गया कि अन्तिम चरण में हैं। जो हमारी सरकार के मुख्य सचिव हैं और जो सचिव हैं, वे रात–दिन लगे हुए हैं। मान्यवर, हमारे ट्रांसपोर्टर निगम के लिए कितनी बार बात–चीत हुई। मान्यवर, अलग राज्य बना है तो अपनेपन में कुछ कमी हो जाती है, पर हम तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को मिलकर चलना चाहिए।

मान्यवर, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि अलग हो गए तो छोड़ो। आस्तियों में हम ऐसे दस्तखत भी नहीं कर सकते। माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को उत्तर प्रदेश से बातचीत करने में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, इसलिए निगम बनाने में देर हो गई, निगम

बनना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि बसें कितनी लेनी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बसें हमें उत्तर प्रदेश से लेनी हैं, वह खचड़ा तो नहीं है, बसें खचड़ा नहीं लेनी हैं, इसलिए थोड़ा देर होना अवश्य अच्छा है। हम उत्तर प्रदेश से बड़े मित्रतापूर्ण तरीके से चल रहे हैं, जब कभी कड़वाहट आ भी जाती है तो उत्तर प्रदेश के बड़ा भाई होने के नाते हम चुपचाप रह जाते हैं। तो हमें यह देखना है कि इसमें किसी का अहित न हो, हमारा और उत्तर प्रदेश दोनों का हित हो। तो इसलिए देर लग रही है, लेकिन कितना समय लगा है, इसका तो अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश से, अभी वहाँ के कुछ मसले बाकी हैं। अब जो आवंटन हुआ उसमें श्रीनगर का विद्युत गृह यू0पी0 के पास है। टिहरी का पानी कहाँ जायेगा, इसका सारा पानी गंगा जी का मैदानी क्षेत्रों में गंगा–यमुना कैनाल के जरिये हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को सिंचित करेगा, टिहरी बाँध हम अपने लिए नहीं स्थापित कर रहे हैं। बल्कि हमारे पास तो विस्थापितों की जिम्मेदारी भी नहीं थी, यह सन् 2001 में हमें दे दी गई और हमने इसे स्वीकार कर लिया। 1990–2000 के बीच में तो कोई काम ही नहीं हुआ। विस्थापितों को भी दिक्कत हो गयी, अब हम यह तो नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनको समझाकर, पुचकारकर तैयार भी करना है। इसमें 400 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, वह भी कम लगता है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी थे, अब दूसरे मंत्री हैं, वह भी जरूर कोशिश कर रहे होंगे, बहरहाल यह काम जारी है और अटल जी ने तो पहले ही रिहेबिलीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट–एफेक्टेड पापुलेशन ऑफ टिहरी डैम के विस्थापितों के लिए बात की थी, उसमें आप भी शामिल थे और उसके बाद पहला ही बिन्दु है जो हमारे और संयुक्त प्रपोजल में कहा गया था, "दि स्टेट गवर्नमेन्ट्स प्रपोजल फॉर इन्क्रीस इन कैश कम्पोनेन्ट रिहेबिलीटेशन टू दि टिहरी प्रोजेक्टेड एफेक्टेड पापुलेशन टू रुपीज 5 लैक्स विल बी एक्सेपटेड।" 15 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया, हमारे, आपके अनुरोध पर। भागीरथी डेवलपमेन्ट एथारिटी से भी बात करनी है, उसके लिए एथारिटी बनायी जा रही है। भागीरथी डेवलपमेन्ट एथारिटी इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी हैं।

मान्यवर, जहाँ पर कोई डूब क्षेत्र न हो। सुरंग यानि टनल के आधार पर यह योजना होगी मनेरी–भाली योजना। यह बन रही है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल जी ने कहा कि समय से बना पायेंगे या नहीं तो आपका आशीर्वाद चाहिए। हम इसको समय से पहले बनायेंगे, आशीर्वाद तो दे दीजिए। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। तो कुनबा जोड़ रहे हैं थोड़ा आपने जोड़ा तो थोड़ा मैंने भी जोड़ा। मनेरी–भाली के अलावा लखवाड़ 82 है। इस पर भी कार्य चल रहा है और छोटी–छोटी योजना जो उत्तर प्रदेश के समय मंजूर हुई थीं उनको हमने पुनरीक्षण करके, चाहे वह कल्याण सिंह जी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो, उन योजनाओं को मान्यता देने का हमारा प्रयास है इसके लिए हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। श्रीनगर की योजना, हम चाहते हैं कि यह जल्दी बने, अब दिक्कत क्या है कि यह उत्तर प्रदेश के पास है। मुझे विश्वास है कि आप और हम मिल करके इस पर बात करेंगे। इससे 12 प्रतिशत बिजली भी हमको मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से यह सब कारगर होगा। मुझे विश्वास है सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से, नेता विरोधी दल से, नेता उत्तराखण्ड

क्रांति दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनके सदस्यों से मुझे काम करने में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। मेरी यह कोशिश रहेगी कि बिना किसी भेद-भाव के, बिना किसी मतभेद से, हम लोग मिलकर काम करेंगे और कहीं कान पकड़ने की जरूरत हो तो आप कान भी पकड़ सकते हैं। अभी समय ही कितना हुआ। हमारा समय तो चुनाव लड़ने में ही चला गया। तमाम आचार संहिताएं लगी। रोज डर लगा रहता था कि कहीं ये न आ जाए कि आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसलिए मैं कहीं निकला ही नहीं। कुछ काम हुए हैं, बस थोड़ा उत्साह बढ़ाने की जरूरत है इसलिए थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दीजिए। मतभेद वगैरह सब चलते रहते हैं और दूर हो जाते हैं। यह सब चलता रहता है। आप 27 दलों को मिलाकर केन्द्र में सरकार चला रहे हैं तो हम आपस में मिलकर नहीं चला सकते। मैं तो आपको भी अपना समझता हूँ। कभी-कभी निरुत्तर होना भी उत्तर देने जैसा होता है।

मान्यवर, इसके लिए मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाने के लिए माननीय फूल सिंह बिष्ट और माननीय गोपाल सिंह राणा जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने अपना प्रस्ताव इतनी खूबी के साथ और गागर में सागर भर दिया। मैं हर सदस्य का आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, मैं जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा आग्रह है कि हम राज्यपाल महोदय को एक मत से धन्यवाद भेजें। यदि हम उनके धन्यवाद के प्रस्ताव को संशोधन से लाद देंगे तो वह संशोधित धन्यवाद हो जायेगा। तो हम एक अच्छी परिपाटी डालें। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा था कि

"उठ गई है पीर पर्वत से बहनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई गंगा बहनी चाहिए।"

लेकिन मैं कहता हूँ कि

" उठ गई है पीर पर्वत से बहनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई विकास की गंगा बहनी चाहिए।"

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

मा0 नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग और मतभेद से ऊपर उठकर राज्य में विकास की नयी गंगा बहाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो विषय से हटकर इस बात की बधाई देता हूँ कि आपके आने से पहले किसी माननीय सदस्य ने कह दिया कि प्रधानमंत्री, नारायण दत्त तिवारी। मुझे खुशी हुई कि कम से कम इस देश में जहाँ ऐसा लगता था कि एक परिवार के अलावा कहीं कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। सत्ता पक्ष के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री कहे जाने का स्वागत किया। यह संदेश यहाँ से मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए। आपका स्वास्थ्य भी जल्दी ही ठीक हो। यह भावना जो अनायास ही निकल गई थी, आपके दल के लोगों ने इसका स्वागत किया है। मैं उनकी ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

मैं सदन का बहुत लम्बा समय तो नहीं लेना चाहूँगा पर चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व की गरिमा के अनुकूल और अपने दीर्घ अनुभव और अपने विशिष्ट स्वभाव के अनुकूल विकास के लिए, प्रगति के लिए, बातें कही हैं। वास्तव में सरकार सतत् चलती है और पहली सरकार के राज्यपाल के पहले अभिभाषण के उन लक्ष्यों को उन्होंने इंगित किया है, जिनको वे संभवतः अपने राज्यपाल के अभिभाषण में जुड़वाना भूल गये थे। हमने इस राज्य के विकास के लिए एक कार्ययोजना बनाई थी, एक लक्ष्य बनाया था, राज्य के विकास की पीड़ा जो आपके मन में है, उससे कहीं ज्यादा मेरे मन में भी है। मान्यवर, हमारे नेता सदन की, मैं और मेरा दल बहुत इज्जत करता है। मैं उनके विनम्र स्वभाव का, उनकी विद्वता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हम ही नहीं, पूरा देश आपके गुणों की इज्जत करता है। भले ही आपके दल के लोग न करते हों, क्योंकि ये आपका कुर्सी का झगड़ा है। जैसी अभी बात आई कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी 27 दलों को एक साथ लेकर सरकार चला रहे हैं तो वह उनके विशाल हृदय का परिचायक है यह हमारे लिए सीख होनी चाहिए।

मैं मानता हूँ कि श्री नारायण दत्त तिवारी जैसा कुशल प्रशासक पूरे भारत में नहीं हैं, परन्तु यहाँ के मतभेदों के कारण आज वे अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, हमारे तो इनसे मतभेद हो सकते हैं, परन्तु इन लोगों के तो आपस में मनभेद हैं, मान्यवर, मनभेद और मतभेद में काफी अन्तर होता है, नित्य-नित्य अखबारों में इन लोगों के जो मनभेद हैं, वे सामने आते रहते हैं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का गठन और इसका विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मिशन है। मुझे यही लगता है कि सरकार के लिए राज्य का विकास एक मिशन नहीं है, वह राज्य के विकास के लिए समर्पित भावना से काम नहीं कर रही है। राज्य के लिए, उसके विकास के लिए, समर्पण भावना का होना आवश्यक है, भाव होने चाहिएं, समर्पण के वह भाव हमारे हो सकते हैं, हमारे भाई काशी सिंह ऐरी के हो सकते हैं, राज्य आन्दोलन में जो बलिदान हमारी माताओं ने, हमारे बच्चों ने दिया है, उसके भाव हैं, उन्होंने क्यों बलिदान दिया। क्या हमारा राज्य उन बलिदानों के पीछे जो समर्पण भावना थी उसे भूल जायेगा? लेकिन यह भाव उनकी ओर से नहीं दिख रहे हैं, मैं कई बार सदन के अन्दर और बाहर भी नेता सदन से कह चुका हूँ कि राज्य के विकास के लिए हमको आप जब चाहे बुला सकते हैं। क्योंकि इस प्रदेश का नागरिक होने और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी भी इस प्रदेश के प्रति जिम्मेदारियाँ है। अभी जब नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये थे तो मुझे पता चला कि राज्य सरकार अब पंचायतों के चुनाव कराने जा रही है तो मैंने तुरन्त मुख्य सचिव से फोन पर वार्ता की और उन्हें कहा कि अधिसूचना के कारण, आचार संहिता के कारण, जो कार्य नहीं हो पाये हैं, उन्हें तुरन्त शुरू करवाइये क्योंकि पंचायत चुनावों के कारण फिर से आचार संहिता लागू हो जायेगी।

तो मान्यवर, मैंने क्यों फोन किया, इसमें तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे यह भी कहा कि आपने फोन क्यों किया, इससे तो उनको यश मिल जायेगा। तो मैंने कहा कि यश मिले चाहे अपयश, लोक महत्व के कार्य होने चाहिएं और उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। एक बिन्दु पर और मैं माननीय नेता सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जो अभी आपने बजट प्रस्तुत किया है, लेखानुदान के रूप

में और वोट ऑफ एकाउन्ट के पास कराया है, आप जैसे अनुभवी और विज्ञ व्यक्ति के होते हुए भी यह लेखानुदान हमारे यहाँ लाया गया ? अब इसके बाद तो यह परम्परा ही बन जायेगी। क्यों नहीं अभी तक आपकी सरकार आबकारी पॉलिसी नहीं बना सकी है? मैं नेता सदन की इतनी इज्जत करता हूँ कि मैं अपने दल के सदस्यों से कहता हूँ कि तिवारी जी की विनम्रता, को देखिये प्रशासन के सम्बन्ध में उनसे जानकारी लीजिए। यह हमारा सौभाग्य है कि उनके जैसा अनुभवी आदमी हमारे प्रदेश के पास है लेकिन आपके दल का कोई भी आदमी आपके पास नहीं आया होगा। मैंने पहले भी कहा कि इस सरकार में मनभेद हैं मान्यवर, मेरे पास भी वह पत्र है। मैं किसी माननीय सदस्य से यह नहीं कहूँगा कि वह अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराये परन्तु इससे सरकार की कमजोरी पता चलती है इसका अन्य लोगों में क्या इफेक्ट जायेगा, क्या संदेश जायेगा ? यही कारण है कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही है, आबकारी नीति को अभी तक सरकार द्वारा क्यों नहीं तैयार किया गया ?

मान्यवर, माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी कह रही थीं कि जब 12वां वित्त आयोग अपनी संस्तुति देगा, तब हम बजट प्रस्तुत करेंगे। तो क्या आप 12वें वित्त आयोग की संस्तुति के लिए रुके हैं कि वह जब अपनी संस्तुति देगा, तब हम आबकारी नीति बनाएंगे। मान्यवर, आज मीडिया और अखबारों के माध्यम से जब इस तरह की खबरें आती हैं कि 37 करोड़ रुपये की चोरी आबकारी विभाग में हुई, तो इससे चारों ओर अनास्था का वातावरण बनता है। मान्यवर, पिछले साल भी यह नहीं बनी, और इस साल भी यह नहीं बनी है, तो आखिर यह आबकारी नीति है क्या ? जो नीति फरवरी माह में बन जानी चाहिए थी, उसको आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, इसका सीधा अर्थ यह है कि कहीं न कहीं प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। मान्यवर, मुझे लगता है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है बल्कि इसमें मनभेद है, कहीं न कहीं दाल में काला है। मान्यवर, अभी आपने 9 हजार 50 करोड़ रुपये की योजना के बारे में बताया, मैं नहीं समझता कि यह एक साल की योजना है। सम्भवतः आपने यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में कहा है। मान्यवर, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो छपा हुआ संस्करण है उसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरांचल राज्य के लिए 7,630 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि 7,630 करोड़ रुपया करेन्ट प्राइसेस के आधार पर लिखा है या कॉन्सटेंट प्राइसेस के आधार पर। क्योंकि भारत के लिए भी जो योजना बनती है, वह दो हिस्सों में बनती है, करेन्ट प्राइसेस के आधार पर और कॉन्सटेंट प्राइसेस के आधार पर। करेन्ट प्राइस पूरे भारतवर्ष में करेन्ट प्राइसेस के आधार पर मापी जाती है और कॉन्सटेंट प्राइस, जो 5 साल पहले कॉन्सटेंट प्राइस थी, उसके आधार पर मापी जाती है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। करेन्ट प्राइसेस और कॉन्सटेंट प्राइसेस में कितना ही अन्तर क्यों न हो लेकिन आपकी योजना स्वीकृत हो गयी है। मान्यवर, हम

हिमांचल राज्य से अपने राज्य की तुलना करते हैं। आपने उत्तरांचल राज्य के विकास के लिए 1 हजार 3 करोड़ रुपये का बजट रखा है और केन्द्र से 6626.50 करोड़ रुपये की सहायता हमें मिलनी है, जबकि हिमांचल ने अपने यहाँ 4 हजार 760 करोड़ रुपये का बजट रखा है और उसको केन्द्र से 5540 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिली है। इस प्रकार हमें हिमांचल से 1 हजार करोड़ रुपये अधिक केन्द्र से प्राप्त होना है।

मान्यवर, अगर ठीक से योजना पर विचार किया गया होता, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का बजट (10वीं पंचवर्षीय योजना) निश्चित रूप से हिमांचल से बढ़कर होना चाहिए था, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ के संसाधन ज्यादा हैं, हिमांचल की तुलना में। मुझे लगता है कि कसरत कम हुई है। मान्यवर, आपकी जो टीम है, उनको सारी चीजों की चिन्ता ही नहीं है। आपने भ्रष्टाचार पर बात करते हुए लाइट टोन में कहा कि विजिलैंस द्वारा भ्रष्टाचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया, मुझे लगा यह भी कहीं सस्पेंस तो नहीं है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपने अभी किसी अधिकारी को सस्पेन्ड किया था तो मैं उस समय बाहर था तो मैंने आपको वहाँ से बधाई दी थी। कभी-कभी तो लगता है कि इन सब चीजों को देखना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी दृढ़ता के साथ इसमें सारे विषय आने चाहिएं, विधायक निधि के अन्दर क्यों कमीशन लिया जाता है। चूँकि आप शासन में हैं वृहत्तर उत्तरदायित्व आपका है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ पिछले वित्तीय भाषण पर भी मैंने निवेदन किया था। आपने कहा कि शिक्षा मित्र और शिक्षा बन्धु सब भाजपा के हैं। मैं कहता हूँ कि यह सब सिस्टम के आधार पर लगाये गये हैं। आप जैसे अनुभवी व्यक्ति से यह आशा कर रहा था कि आप 10-15 हजार लोगों को सीधे रोजगार देंगे, मैं चाह रहा था कि आपके माध्यम से यह विषय आना चाहिए था। लेकिन आपने केन्द्र सरकार के विज्ञापन का हवाला देकर हल्के ढंग से विषय को टाल दिया। मान्यवर, आपने मितव्ययिता की बात कही, मितव्ययिता के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कल तीन विधेयक पास कर लिये आपने मितव्ययिता जरूर दिखायी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग को हम पिछली बार बना गये थे, आपने उसको एक पैसा नहीं दिया, कोई काम नहीं दिया।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे हम बनाकर गये थे, उस आयोग को आपने एक पैसा भी तनख्वाह के रूप में नहीं दिया जिससे वह अपना काम ही नहीं कर पाया और अन्ततोगत्वा आपने कहा कि उसको अपनी मौत मर जाने दो। अगर इस आयोग में 3-4 का स्टाफ दे दिया जाता तो वह पूरी तरह से प्रदेश की समस्या को देख लेता यह कोई बहुत कठिन काम नहीं था। चूँकि आपने सोचा कि निगम बनाना है, अधिक से अधिक लोगों को ऑबलाइज करना है, आपके ऊपर भी दबाव रहता है। मैंने बार-बार कहा कि माननीय तिवारी जी बहुत शालीन हैं, सज्जन हैं तथा हम आपकी महानता के कायल हैं किन्तु फिर भी कुछ मामलों पर कड़ाई तो बरतनी ही पड़ती है। जहाँ एक ए0जी0 काम करता था वहाँ पर 10 ए0जी0 बनाने पड़े। एक निगम बनाने के लिए आपने इतने सारे निगम बना दिये तो मान्यवर, यह कैसी मितव्ययता। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना रखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है वहाँ सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अगर वहाँ सारी सुविधाएं नहीं दी जायेंगी तो वहाँ पर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, जब मैंने इस सम्बन्ध में हिमांचल प्रदेश

की सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें गाडी मुहैय्या कराई जाती है लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि 100 लीटर पेट्रोल मिलेगा, इससे उनका क्या सम्मान बढ़ेगा, इससे वे गलत रास्ते पर जाएगे। उनको लाल बत्ती की सुविधा मिल सकती है अगर उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिस प्रकार की मितव्ययता होनी चाहिए उसमें आपका कोई सार्थक प्रयास नहीं है। मान्यवर, उद्योग नीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा फिर उद्योग नीति के सम्बन्ध में केन्द्र से 7 जनवरी को आदेश मिल गये थे। उस उद्योग नीति की नकारात्मक तथा सकारात्मक बातों की समीक्षा कर लेनी चाहिए थी लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि सुझाव दीजिए। तीन महीने सुझाव देने में लग जायेंगे, उसके बाद उसके कम्पाइलेशन में छः महीने और बीत जायेंगे। मान्यवर, कुछ सुझाव तो हम लोग भी दे सकते थे तथा उद्योगपतियों से भी सुझाव लेने चाहिए थे लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। किन्तु जिस ढंग से सरकार चल रही है, उससे कुछ नहीं हो पायेगा। सरकार बिना बजट के चल रही है, बजट आप ला सकते थे, कौन सी बड़ी दिक्कत है, एक सामान्य नियम है। वोट ऑफ एकाउन्ट लाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके पास समय की कमी है।

मान्यवर, जब-जब आप प्रदेश की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तब तक अगले दिन अखबार में कुछ ऐसा छपता है, जिससे आपको कठिनाई होती है। मान्यवर, जब तक आप दृढ़ निश्चय होकर काम नहीं करेंगे, तब तक विकास होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान करते रहेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार ने रानीखेत में दो विद्यालय के लिए कुछ सरकारी जमीन दी थी, जिसे आपके मंत्रिमण्डल ने यह कह कर रद्द कर दिया कि यह आर0एस0एस0 का स्कूल है। मान्यवर, जिस भावना से आप कार्य कर रहे हैं, इसे आपसी सहयोग नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, आप अपने मंत्रियों और साथियों को ....। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप बजट पर बोलें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, अखबारों में जो छपता है, उसका उल्लेख कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप इस बात का जवाब दें, जिस दिन आपकी सरकार शपथ ले रही थी, उस दिन आपने शपथ क्यों नहीं ली। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, (व्यवधान के मध्य) सभी मंत्री और सहयोगी आपके साथ हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अब किसी विधायकगण और मंत्री का ये बयान न आये जिससे कि सरकार सकते में आये....

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, संसद में केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ बहिष्कार किया था।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, शासन चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका सहयोग चाहिए, अगर उन्होंने हमारा सहयोग माँगा है तो सत्ता पक्ष का सहयोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य मिलना चाहिए और अगर वह सत्ता पक्ष का सहयोग नहीं लेंगे तो काम चलने वाला नहीं है।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, आपका सहयोग शान्ति से चलाने के लिये लिया जा रहा होगा, पार्टी चलाने के लिये नहीं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, खनन की बात आई। मान्यवर, खनन में हम लोगों ने तय किया था कि यदि हमारे गाँव में सरकारी जमीन है तो आदेश था कि गाँव के लोगों को ही खनन का अधिकार मिलेगा और दूसरी बात जो नाम भूमि होती थी, उसका जिलाधिकारी परमिट देता था। मगर आज यह होता है कि अगर किसी के खेत से एक पत्थर भी निकालना हो तो उसके लिए भी परमिट माननीय सचिव से लेना पड़ेगा। मान्यवर, मैं सोचता हूँ कि आपके मंत्रिमण्डल से सहयोग मिला होता तो इसका बहिष्कार हो जाता, आप मुखिया हैं अन्ततः मुखिया पर बात आती है। मान्यवर, यह छोटे–छोटे काम क्यों नहीं होते। मान्यवर, यह अति आवश्यक है कि इसमें हमारे और आपके पक्ष का सहयोग होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने नित्यानन्द स्वामी को क्यों निकाला, इसका जवाब दे दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आज हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने विचार रखे। माननीय श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरबंस कपूर, श्री नेगी जी ने और हमारे कई सदस्यों ने बहुत अच्छे संशोधन और क्षेत्र के विकास को रखा है। उन सारे संशोधनों और अपने संशोधन पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे पुनः बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सदन से पुरजोर माँग की है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए, मान्यवर, यह छोटे मुँह बड़ी बात होगी, मैं भी इसके लिए पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए, हालांकि सभी लोग यह मंशा बना चुके हैं, यह सर्वसम्मति से पास होगा, मुझे ऐसी आशा है। मैं निवेदन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को जो राज्य का प्रगति–पत्र है, हमारी सरकार का मंशा–पत्र है, इसमें इसको तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी जिनको हमारे नेता प्रतिपक्ष और तमाम लोग भी मानते हैं, पूरा देश मानता है कि एक बड़े योजनाकार, भारी–भरकम प्रतिभा के धनी और प्रतिभावान मंत्रिमण्डल, प्रबुद्ध मंत्रिमण्डल जिनको वर्षों तक विधायक रहने का अनुभव है, उनके संज्ञान से, उनके प्रयासों से यह इतना बढ़िया इस प्रदेश के विकास के लिए जो प्रस्तुत राज्य की योजनाओं के लिए निर्देशन–पत्र बना है, मंशा–पत्र बना है, वह इस राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष और तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संशोधनों पर समीचीन रूप से विचार करने का आश्वासन दिया और पूरी तरह से सबको आश्वस्त किया है। मैं मानता हूँ, मुझे उम्मीद है कि हमारा पूरा विपक्ष इससे आश्वस्त हुआ है और मेरी पुनः प्रार्थना है कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए, मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने सर्वसम्मति से इसे पास करने का मन बनाया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि मैं अपने संशोधन पर बल दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों से प्राप्त जो संशोधन उपस्थित किए हुए माने गए, को स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत प्रस्ताव "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2003 को दिए गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है" को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित किए जाने" विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

काज़ी निज़ामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को दिये जाने वाले त्रिभाषा अनुदान को पुनर्जीवित कर दिया जाए।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

"प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किये जाने" विषयक नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अजय भट्ट, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री तिविन चन्द्र त्रिपाठी, श्री प्रकाश पंत, श्री मदन कौशिक, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट तथा श्री हरबंश कपूर की 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं सभी की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(कार्यसूची की मद संख्या 22, 23, 24 और 25 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

जनपद (पिथौरागढ़) के क्षेत्र बेरीनाग में प्राथमिक विद्यालय कराला महर के भवन क्षतिग्रस्त होने से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[नियम 51 "जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र बेरीनाग में प्राथमिक विद्यालय कराला महर के भवन की जमीन बैठ जाने से विद्यालय की दीवारें टूट गयी हैं। भवन क्षतिग्रस्त है। विद्यालय के 75 छात्र–छात्रायें खुले मैदान में बैठाकर पढ़ाये जा रहे हैं। वर्षा के दिन विद्यालय बन्द रहता है।"

विभागीय टिप्पणी–

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग क्षेत्र में कराला महर, प्राथमिक विद्यालय की भूमि

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गत वर्ष वर्षा ऋतु में जमीन के धंसने के कारण, विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुआ है। उक्त विद्यालय में 76 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं। विद्यालय अभिदान कोष से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में टिन शेड की व्यवस्था की जा रही है तथा जिलाधिकारी से भी आपदा कोष से धन उपलब्ध कराये जाने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुरोध किया गया है। आगामी शैक्षिक सत्र तक सुचारू शिक्षण व्यवस्था करा ली जायेगी और डी0पी0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में उक्त भवन के लिए भी धनराशि प्रस्तावित की जायेगी।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोंक के अन्तर्गत लक्ष्मणझूला स्वर्गाश्रम के 118 भू–पट्टों के निस्तारीकरण के सम्बन्ध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

[स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों/धार्मिक संस्थाओं को गवर्नमेंट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे पूर्व में नजराना व वार्षिक लगान जमा करने के पश्चात् दिये जाने हेतु आदेश किये गये थे। उप जिलाधिकारी द्वारा जाँच करने पर सभी आवंटियों को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 150/1/85–(24)–रा–6, दि0 9–10–97 के अनुसार शर्तों का अनुपालन न करने के कारण सभी आवंटियों को तत्काल निर्गत करने में असमर्थता प्रकट की गयी।

तत्कालीन जिलाधिकारी गढ़वाल के आदेश दिनांक 24–12–2000 तथा 23–12–2000 से पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, कोटद्वार द्वारा जो आख्या प्रस्तुत की गयी थी, उस पर उपरोक्त नियमावली का अनुपालन नहीं किये जाने का उल्लेख था। उक्त नियमावली के प्रस्तर 3 के अनुसार बाजारू मूल्य के बराबर भूमि का नजराना निर्धारित किया जाना चाहिए था जबकि तहसीलदार/उप जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बाजारू मूल्य के 20 प्रतिशत पर आख्या प्रस्तुत की थी जिसके कारण नियमावली के विपरीत नजराना कम निर्धारित किया गया।

नियमावली के अनुसार जिलाधिकारी को मात्र रु0 25,000/– मूल्य तक की भूमि ही आवंटन करने का अधिकार है, जबकि सभी मामलों में भूमि का मूल्यांकन निर्धारित सीमा से अधिक है। नियमावली के प्रस्तर 3 की मद (क) से (घ) में अपेक्षित संस्थाओं को अन्तरण राज्य सरकार से राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा, जबकि मद (ङ) के अनुसार व्यक्तियों को अन्तरण सरकार के अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। कुछ संस्थाओं को भी भूमि के पट्टे की स्वीकृति दे दी गयी है जो कि नियमावली के अनुसार नहीं दी जा सकती थी।

नियमावली में अंकित शर्त (II) के अनुसार वरीयताक्रम का पालन नहीं किया गया है। नियमावली में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों का अनुपालन भी नहीं किया गया है। अधिकांश प्रार्थी उच्च वर्ग (जो आवासहीन की श्रेणी में नहीं आते हैं) को आवंटन स्वीकृत किया गया है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी को बिना प्रक्रिया पूरी किये ही, तत्कालीन तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति हेतु आख्या प्रेषित की गयी, जिसके कारण पट्टा जारी करने से पूर्व अनियमितताओं के प्रकाश में आने के कारण सभी 29 आवंटियों को जिलाधिकारी न्यायालय से आवंटन निरस्त करने के नोटिस जारी किये गये। कुछ आवंटियों द्वारा जिलाधिकारी न्यायालय से जारी कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध निगरानी आयुक्त के न्यायालय में की गयी है।

वर्तमान में भूमि का आवंटन शासनादेश सं0 258/16(1)/73–रा–1, दि0 9 मई, 1984 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। इस शासनादेश को शासनादेश सं0 1695/97–1–1(60)/95–2–रा–1, दि0 12 सितम्बर, 1997 के द्वारा संशोधित करते हुए नजराना दर से दोगुने मूल्य के बराबर एवं नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के दोगुने के स्थान पर बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके भूमि पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

इस प्रकार जिलाधिकारी, गढ़वाल के स्तर पर बाजार दर का मात्र 20 प्रतिशत नजराना लेकर जो पट्टे किये गये हैं, वे निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः जो व्यक्ति निर्धारित पात्रता रखते हों, उन्हें उक्त वर्ष 1984 एवं वर्ष 1997 के शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप पट्टे दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के पट्टों को निरस्त नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में आयुक्त, गढ़वाल से जाँच करायी जा रही है। जाँच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।]

जनपद उत्तरकाशी के क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत बड़कोट बाजार में शार्ट सर्किट द्वारा लगी आग से हुई क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

[दिनांक 2–4–2003 को नियम 51 के अन्तर्गत मा0 विधायक, यमुनोत्री क्षेत्र श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में सूचनीय है कि दिनांक 6–3–2003 को रात्रि 8 बजे जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट बाजार में हुआ अग्निकांड विद्युत दोष के कारण घटित नहीं हुआ है, जिस कारण विद्युत विभाग/उत्तरांचल पावर कारपोरेशन से कोई आर्थिक सहायता दिये जाने का अवसर नहीं है।

प्रकरण में तहसील के माध्यम से 11 लोगों को अहैतुक सहायता के अन्तर्गत प्रत्येक को रु0 1500.00 कुल रु0 16,500.00 वितरित किये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1.	श्री जगदम्बा प्रसाद पुत्र श्री चिदानन्द	रु0 1500.00
2.	श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह	रु0 1500.00

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3.	श्री राकेश पुत्र श्री सूरत सिंह	रु0 1500.00
4.	श्री यशवन्त सिंह पुत्र श्री सरवीर	रु0 1500.00
5.	मौ0 अहसान पुत्र श्री यासीन	रु0 1500.00
6.	श्री पीताम्बर सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह	रु0 1500.00
7.	श्री इरशाद पुत्र श्री यासीन	रु0 1500.00
8.	श्री धर्म सिंह पुत्र श्री गैणा सिंह	रु0 1500.00
9.	श्री महमूद पुत्र श्री अनीश	रु0 1500.00
10.	श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री वचन सिंह साड़ा	रु0 1500.00
11.	श्री शहाबुद्दीन पुत्र श्री शमसुद्दीन	रु0 1500.00
		कुल रु0 16,500.00

इस अग्निकांड में निम्नलिखित 5 भवन मालिकों को हुयी अनुमानित क्षति का विवरण इस प्रकार है :–

1.	श्री चतर सिंह पुत्र श्री लाखीराम, निवासी छटांगा	रु0 2.00 लाख
2.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखीराम, निवासी छटांगा	रु0 1.50 लाख
3.	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री गब्बर सिंह, निवासी पौंटी	रु0 3.10 लाख
4.	श्री बलदेव पुत्र श्री माधो सिंह, निवासी पौंटी	रु0 2.70 लाख
5.	श्री शंकर सिंह पुत्र श्री शालीग्राम, निवासी पौंटी	0.80 लाख
		कुल : रु0 10.10 लाख]

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैड़ी–कुंजासू मोटर मार्ग निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइनें से उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य

पेयजलमंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

[माननीय सदस्य, विधान सभा श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा यह सूचना दी गयी है कि विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैड़ी–कुंजासू मोटर मार्ग निर्माण से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्राम सरगोला–सेमीग्वाड़ एवं राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में विगत दो माह से पेयजल संकट बना हुआ है तथा टैंकरों से आपूर्ति किया जा रहा जल शुद्ध नहीं है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पैड़ी-कुजासू मोटर मार्ग के निर्माण से पानी की पाइप लाइन का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी की आपूर्ति बाधित हुई। लोक निर्माण विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से वर्तमान में पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी, चमोली द्वारा इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति समस्या के समाधान के लिए बनायी गयी है, जिसमें लोक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन के अधिकारी शामिल हैं। इस समिति द्वारा आज दिनांक 02 अप्रैल, 2003 को मौके का निरीक्षण किया जा रहा है।

नागरिकों को स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जा रही है, साथ ही क्षतिग्रस्त पानी की पाइप लाइन को ठीक करने के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं।]

सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिए उठते हैं।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा।
द्राविड़ उत्कल बंग।।
विंध्य हिमाचल यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 0.7 बजकर 40 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया)

देहरादून :

दिनांक 05 अप्रैल, 2003

महेश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,

उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–70 का उत्तर पीछे पृष्ठ–54 पर)

उन संस्थाओं एवं शर्तों का विवरण जिनके अधीन 6 राजकीय उद्यानों को दीर्घकालीन लीज पर दिया गया है

क्र0सं0	संस्था / व्यक्ति का नाम	उद्यान का नाम
1.	डाबर रिसर्च फाउण्डेशन (डाबर इण्डिया लि0) 8/3 आसफ अली रोड, नई दिल्ली	राजकीय उद्यान कर्मी, जिला बागेश्वर
2.	टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट दरबारी सेठ ब्लाक हैबिटेट प्लेस, लोधीरोड, नई दिल्ली	राजकीय आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र सूपी, जिला नैनीताल
3.	श्री सुनीत मेहरोत्रा 56–एफ बैंक बिल्डिंग, रानीखेत	राजकीय बहुधंधी उद्यान भटका, जिला पिथौरागढ़
4.	हिकान (हिमालयन) कनसोटियम फॉर हिमालय, कन्जर्वेशन ग्राम व पो0–रानीचौरा, टिहरी गढ़वाल	राजकीय उद्यान काणाताल, जिला टिहरी
5.	श्री अखिलेख काला (ब्लू डहेलिया हार्वेस्ट) 20–ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	राजकीय उद्यान चकराता, जिला देहरादून
6.	श्री अखिलेख काला (ब्लू डहेलिया हार्वेस्ट) 20–ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून	राजकीय उद्यान बटवालधार, जिला टिहरी गढ़वाल

प्रमुख शर्तें

1– सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति द्वारा उद्यान का उपयोग प्रत्येक दशा में औद्यानिक विविधीकरण से सम्बन्धित कार्यों के लिए ही किया जाएगा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

2– उद्यान में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संस्था/व्यक्ति द्वारा निदेशक उद्यान के साथ अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसका अनुमोदन/विधीक्षण शासन द्वारा किया जाएगा।

3– उद्यान में संस्था द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप औद्यानिक गतिविधियाँ ही संचालित की जा रही हैं अथवा नहीं इसका मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रत्येक 6 माह में निदेशक उद्यान उत्तरांचल के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा कर आख्या/अभिमत शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, अभिलेख तथा किये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण

निदेशक, उद्यान उत्तरांचल अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा किये जाने का अधिकार होगा।

4– सचिव, उद्यान द्वारा निदेशक की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

5– प्रथम चरण में 5 वर्ष हेतु अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर किया जायेगा एवं निदेशक, उद्यान तथा शासन के अभिमत के आधार पर 25 वर्ष के लिए लीज अवधि निर्धारित की जायेगी।

6– संस्था द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये किसी प्रकार का स्थाई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

7– लीज अवधि समाप्त होने पर पट्टा गृहिता को समस्त निर्माण व पेड़ों सहित राजकीय उद्यान को विभाग को हस्तगत करना होगा, लीज अवधि में कराये गये कार्यों का कोई भी क्लेम संस्था नहीं करेगी।

8– यह कि पट्टा गृहिता को जो भी फसल उद्यान से प्राप्त होगी उसी को प्राप्त करने का अधिकार पट्टा गृहिता का होगा किन्तु उद्यान में स्थित किसी भी पेड़/सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगा।

9– यह कि पट्टा गृहिता उद्यान भूमि में कोई भी ऐसा नहीं करेगा जिसका विक्रय करके वह अतिरिक्त लाभ उठाने का इच्छुक हो, कहने का तात्पर्य है कि भूमि/उद्यान का पैदावार का हक ही पट्टा गृहिता को मिलेगा।

10–यह कि पट्टा गृहिता उत्तरांचल के बेरोजगार युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देगा उनको नौकरी पर रखेगा और उनके भुगतान आदि की जिम्मेदारी भी पट्टा गृहिता की होगी, ऐसा कोई भी कर्मचारी पट्टा दाता के कर्मचारी नहीं माने जायेंगे तथा वह स्पष्ट रूप से पट्टा गृहिता का कर्मचारी रहेगा।

11–यह कि भूमि उद्यान की जो पैदावार स्थानीय निवासियों के लिए लाभप्रद होती हो या स्थानीय निवासियों को उसका लाभ मिल जाना हो तो वह लाभ पट्टा गृहिता स्थानीय निवासियों को प्रतिफल या अन्य के रूप में देता रहेगा।

12–यह कि पट्टा गृहिता उद्यान/भूमि में किसी प्रकार का कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा यदि कृषिकरण के उद्देश्य से कोई आवश्यकता हुई तो उसकी अनुमति पट्टा दाता निर्माण से पूर्व में प्राप्त करेगा।

13–यह कि पट्टा गृहिता ऐसा कोई भी अवैध कार्य नहीं करेगा जिससे कि शासन के द्वारा लिये गये निर्णयों/आदेशों या कानून का उल्लंघन होता हो।

14–यह कि पट्टा गृहिता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे की भूमि की कीमत का ह्रास हो।

15–यह कि उपरोक्त पट्टा गृहिता स्थानीय लोगों को कृषिकरण, विपणन, प्रसंस्करण आदि में स्वरोजगार उपलब्ध करायेगा।

16–यह कि उक्त राजकीय उद्यान का उपयोग अनिवार्य रूप से औद्यानिकी विविधीकरण से सम्बन्धित कार्यों के लिए ही किया जाएगा एवं प्रत्येक छः माह में शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उद्यान में संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए निदेशक उद्यान अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि स्वतंत्र रहेंगे।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 31 विधान सभा/334–10–11–03–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।